सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

स्मारकों तथा पुरावशेषों के परिरक्षण एवं संरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्तन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (सिविल)
संस्कृति मंत्रालय
2022 की प्रतिवेदन सं. 10
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

स्मारकों तथा पुरावशेषों के परिरक्षण एवं संरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्तन

संघ सरकार (सिविल)
संस्कृति मंत्रालय
2022 की प्रतिवेदन सं. 10
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

पैरा	विवरण	पृष्ठ
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सारांश	vii
अध्याय 1: विहंगावलोकन		
1.1	विधायी ढांचा तथा अवसंरचना	2
1.2	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	6
1.3	पिछले प्रतिवेदन से एएसआई द्वारा प्रारम्भ की गई पहल	8
अध्याय 2: लेखापरीक्षा दृष्टिकोण		
2.1	लेखापरीक्षा उद्देश्य	10
2.2	लेखापरीक्षा मानदण्ड	11
2.3	लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा चयन	11
2.4	लेखापरीक्षा पद्धति	12
2.5	प्रतिवेदन की सरंचना	12
2.6	आभार	13
ए. नीति तथा विनियम		
अध्याय 3: नीति तथा विनियम		
3.1	अधिनियमों, नियमावली तथा कानूनों का निरूपण तथा अद्यतनीकरण	14
3.2	विरासत उप-नियम (एचबीएल) तथा स्थल-योजना तैयार करना	18

बी. शासन तथा अवसंरचना		
अध्याय 4: शासन तथा अवसंरचना		
4.1	एएसआई में संगठन तथा शासन	24
4.2	विरासत संरक्षण हेतु मानव संसाधन	30
4.3	एएसआई में सर्किल तथा अन्य कार्यालयों का कार्यचालन	35
4.4	राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति	39
सी. वित्तीय प्रबंधन		
अध्याय 5: वित्तीय प्रबंधन		
5.1	व्यय तथा संरक्षण गतिविधियों से प्राप्तियां	40
5.2	एएसआई में वित्तीय-प्रबंधन	45
5.3	एएसआई में राजस्व सृजन	48
डी. कार्यात्मक मुद्दे		
अध्याय 6: स्मारकों तथा पुरावशेषों की पहचान एवं अधिसूचना		
6.1	सभी स्मारकों एवं पुरावशेषों का राष्ट्रीय डेटाबेस	54
6.2	एएसआई के साथ स्मारकों एवं पुरावशेषों का डेटाबेस	57
6.3	एएसआई के अधीन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक	59
6.4	पुरावशेष	66
अध्याय 7: स्मारक प्रबंधन		
7.1	केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का प्रबंधन	68
7.2	स्मारकों पर परिरक्षण और संरक्षण कार्य	76
7.3	सुरक्षा और बचाव व्यवस्था	79
अध्याय 8: पुरावशेष प्रबंधन		
8.1	राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय	82
8.2	एएसआई स्थल-संग्रहालय	95

8.3	एएसआई के अधीन अन्य संग्रहालय	99
अध्याय 9: अन्वेषण एवं उत्खनन		
9.1	एएसआई में अन्वेषण गतिविधियां	103
9.2	एएसआई में उत्खनन गतिविधियां	104
अध्याय 10: विरासत संरक्षण की अच्छी प्रथाएं		110
अध्यया-11: निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं		113
अनुलग्नक, शब्दकोश एवं शब्द-संक्षेप की सूची		121-158

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय (सीएजी) ने स्मारकों एवं पुरावशेषों के परिरक्षण एवं संरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा की थी (2012-13) तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से निहित प्रतिवेदन (2013 की सं.18) को अगस्त 2013 में संसद के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी थी तथा लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर आधारित कई सिफारिशें इसके प्रतिवेदन सं. 39 (अप्रैल 2016) तथा 118 (दिसम्बर 2018) के द्वारा की गई।

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी का यह प्रतिवेदन पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2013 की सं.8) का अनुवर्तन है। प्रतिवेदन में पीएसी द्वारा की गयी सिफारिशों तथा मंत्रालय/एएसआई द्वारा दिए गए आश्वासनों पर पूर्व सूचित विचारणीय क्षेत्रों पर संस्कृति मंत्रालय/एएसआई द्वारा की गई कार्रवाई की जांच के परिणाम निहित हैं। लेखापरीक्षा नवम्बर 2020 से मार्च 2021 तक की गयी। लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षिती इकाईयों में आने वाले संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, स्मारकों एवं पुरावशेषों का राष्ट्रीय मिशन तथा छः राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय शामिल हैं। सात राज्यों अर्थात् दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में स्मारकों, स्थलों तथा एएसआई के कार्यालयों अर्थात् सर्किल्स, शाखा कार्यालयों, पुरातत्व संस्थान, स्थल-संग्रहालय, स्मारक एवं उत्खनन स्थलों की जांच करने हेतु चयन किया गया।

प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है तथा लेखापरीक्षा, सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई।

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना: हमारी पुरातात्विक विरासत में 4 लाख से अधिक संरचनाएं एवं 58 लाख से अधिक पुरावशेष शामिल हैं, जो ज्यादातर केन्द्र तथा राज्य स्तर के प्राधिकरणों, संग्रहालयों, धार्मिक निकायों आदि के नियत्रण में हैं। हमारी अद्वितीय एवं अमूल्य सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासत, पारम्परिक ज्ञान, रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए तथा हमारी पुरातत्विक विरासत को सुरक्षित करने के लिए तेजी से शहरीकरण के कारण भी एक समर्पित अवसंरचना तथा वैधानिक फ्रेमवर्क को महत्वपूर्ण माना गया है।

संस्कृति मंत्रालय, भारतीय विरासत एवं संस्कृति के परिरक्षण, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (1861 में स्थापित), संग्रहालय, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से मंत्रालय में राष्ट्रीय महत्व के सभी केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन, कलाकृतियों का संग्रह एवं प्रदर्शन, उनका प्रलेखन एवं अंकीयकरण आदि शामिल है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय (सीएजी) ने स्मारकों एवं पुरावशेषों के परिरक्षण एवं संरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2012-13) की थी तथा अगस्त 2013 में प्रतिवेदन (2013 की सं. 18) को संसद के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा अपने प्रतिवेदन सं. 39 (अप्रैल 2016) तथा 118 (दिसम्बर 2018) में चर्चा की गयी थी। पीएसी ने अभ्युक्तियों को चार वर्गों अर्थात् नीति, मानव संसाधन, वित्तीय प्रबंधन तथा कार्यात्मक मुद्दों को पुनर्गठित करने के बाद 25 विशिष्ट सिफारिशें की थी।

वर्तमान प्रतिवेदन, पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा का अनुवर्तन है। लेखापरीक्षा पूर्व इंगित विचारणीय क्षेत्रों का अनुसरण करके कार्रवाईयों को सत्यापित करने तथा पीएसी द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की सीमा की जांच करने के लिए की गयी थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा 2020-21 के दौरान की गई थी। पिछली लेखापरीक्षा के दौरान आने वाले हितधारक अर्थात् संस्कृति मंत्रालय, एएसआई, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष

मिशन तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय अनुवर्ती लेखापरीक्षा के कार्य-क्षेत्र में शामिल हैं। सात राज्यों अर्थात् दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल को स्मारकों तथा निम्न स्तर अर्थात् सर्किलों तथा शाखा कार्यालयों, स्थल-संग्रहालयों, स्मारकों तथा उत्खन्न स्थलों पर एएसआई कार्यालयों की भी जांच करने हेतु चयन किया गया।

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, अध्यायों में शामिल पूर्व इंगित मुद्दों तथा प्रासंगिक समकालीन निष्कर्षों को पीएसी द्वारा चर्चा के अनुसार चार वर्गों में व्यवस्थित किया गया है। अनुवर्तन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन होने के बावजूद, निष्कर्षों को एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास किए गए हैं।

मुख्य निष्कर्ष: पीएसी की सिफारिशों तथा अन्य विचारणीय क्षेत्रों की अनुपालना से संबंधित मुख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नवत हैं:

- पीएसी की सिफारिशों के सापेक्ष में, राष्ट्रीय संरक्षण नीति के तहत नियमावली एवं संरक्षण गतिविधियों की अधिसूचना, पुरातत्व उत्खनन नीति की अधिसूचना, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम का अद्यतन तथा आगंतुकों की संख्या को अभिलेखित करने के संबंध में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया। पीएसी की सिफारिश के बावजूद, मंत्रालय/एएसआई के अधीन संग्रहालयों के लिए एक समान प्रक्रिया नहीं थी। मंत्रालय/एएसआई ने सूचित किया कि इनमें से अधिकतर कार्य प्रक्रियाधीन थे तथा वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा।

  (पैरा 3.1)

- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का गठन स्मारकों के निषिद्ध/विनियमित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को पूरा करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु एक सांविधिक निकाय (2011 में) के रूप में किया गया था। मूल उद्देश्य प्रत्येक स्मारक के लिए विरासत उपनियम (एचबीएल) तथा स्थल-योजना को तैयार करने के माध्यम से सांविधिक प्रावधानों का कार्यान्वयन था। तथापि, 3693 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में से केवल 31 स्मारकों के लिए एचबीएल अधिसूचित किया गया है जबकि 210 स्मारकों के लिए एनबीएल का

अंतिमीकरण विभिन्न स्तरों अर्थात् अधिसूचना, परामर्श पर था। इसलिए, इस प्रक्रिया में काफी विलम्ब रहा।

(पैरा 3.2)

- एएसआई के पास अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए कोई भी कार्यनीति या रोड-मैप (दीर्घ अवधि/मध्यम अवधि) नहीं था। संरक्षण गतिविधियां तदर्थ/वार्षिक आधार पर पूरी की जा रही थीं। पुरातत्व से संबंधित मामलों पर एएसआई को सलाह देने के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में संकल्पित केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड मार्च 2018 के बाद निष्क्रिय था तथा 2014-18 के दौरान केवल एक (अक्तूबर 2014 में) बैठक हुई। पीएसी की सिफारिश के बावजूद, अतिक्रमण की घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय या सर्किल स्तर पर कोई भी समन्वय एवं निगरानी तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

(पैरा 4.1)

- मानव संसाधन की कमी के संबंध में, पीएसी ने मंत्रालय/एएसआई को एएसआई की पुनर्गठन प्रक्रिया में तेजी लाने तथा वर्तमान रिक्तियों को भरने की कोशिश करने के लिए कहा की। तथापि, एएसआई की कुल रिक्त स्थिति पूर्व लेखापरीक्षा से 29 *प्रतिशत* पर स्थिर बनी हुई थी। एएसआई के प्रबंधन स्तरों तथा महत्वपूर्ण संरक्षण शाखाओं में स्थिति आगे और खराब हो गई थी।

(पैरा 4.2)

- 2017-18 के बाद, एएसआई का समग्र व्यय तथा विरासत सुरक्षा गतिविधियों पर इसके व्यय में वृद्धि (कुल व्यय का 40 *प्रतिशत*) मध्यम थी। मंत्रालय ने अन्वेषण/उत्खनन गतिविधियों पर कुल बजट का पांच *प्रतिशत* तक बढ़ाने के अपने निर्णय के संबंध में पीएसी को सूचित किया था। आश्वासन तथा पूर्व में इंगित करने के बावजूद, एएसआई का उत्खनन एवं अन्वेषण पर व्यय अभी भी एक *प्रतिशत* से कम था।

(पैरा 5.1)

- विरासत संरक्षण हेतु बाहरी बजटीय वित्त पोषण प्रदान करने के लिए नवम्बर 1996 में राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना की गयी थी। पीएसी ने सिफारिश की थी कि एएसआई और एनसीएफ के बीच समन्वय को संरक्षण एवं स्मारकों

पर आगंतुकों की सुविधाओं को वित्त पोषित करने में अधिक कॉर्पोरेट वर्गों एवं व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इस संबंध में, ₹19.50 करोड़ के प्राथमिक कोष के सापेक्ष में मार्च 2021 तक एनसीएफ में उपलब्ध अक्षय निधि में ₹76 करोड़ तक की वृद्धि हुई। एनसीएफ के उद्देश्यों के प्रति 14 *प्रतिशत* से कम उपयोगिता एएसआई के साथ इसके समन्वय के अभाव को दर्शाता है। इस संबंध में एएसआई ने सूचित किया कि उसने भावी प्रायोजकों के साथ साझा करने के लिए लगभग 50 कार्यों की एक शेल्फ तैयार की थी।

(पैरा 5.1.2)

- पीएसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, एएसआई ने स्मारकों के लिए अपने टिकट एवं अन्य प्रभारों को संशोधित किया तथा टिकट वाली श्रेणी के तहत अधिक स्मारकों को शामिल किया। यद्यपि समाधान तथा वित्तीय नियंत्रण तंत्र कमजोर था।

(पैरा 5.2 व 5.3)

- राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन (एनएमएमए) का शुभारंभ (2007 में) सरकार द्वारा पांच वर्षों में देश में सभी स्मारकों एवं पुरावशेषों के राष्ट्रीय डेटाबेस को तैयार करने के लिए किया गया था। एनएमएमए को अन्य पांच वर्ष की अवधि (2012-17) हेतु बढ़ा दिया गया तथा बाद में एएसआई में विलय कर दिया गया। 4 लाख से अधिक विरासत संरचनाओं एवं 58 लाख से अधिक पुरावशेषों में से, केवल 1.84 लाख स्मारकों एवं 16.83 लाख पुरावशेषों को अब तक अभिलेखित किया गया है। एनएमएमए ने उद्देश्य को प्राप्त करने में चूक के कारणों के रूप में साजो-समान की अपर्याप्तता, अप्रभावी निगरानी एवं बजटीय रुकावटों को बताया। लेखापरीक्षा ने इस विलम्ब के लिए अन्य कारणों के रूप में नियंत्रित एवं पूरा करने के लिए कार्यनीति/रोड-मैप, तकनीकी क्षमता एवं तंत्र के अभाव को चिन्हित किया।

(पैरा 6.1)

- मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया था कि आठ वर्गीकृत वर्गों में स्मारकों का वर्गीकरण पूरा किया गया तथा एनएमए को विचार-विमर्श एवं अधिसूचना हेतु

सौंप दिया गया। यह पाया गया कि प्रक्रिया अपूर्ण थी। एएसआई द्वारा केवल 915 स्मारकों की सूची तैयार की गयी थी जो अभी भी विचाराधीन थी।

(पैरा 6.2.1)

- पीएसी ने सिफारिश की थी कि स्मारकों के राष्ट्रीय महत्व के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देशों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए तथा इसके बाद स्मारकों की सही संख्या जिन्हें सुरक्षित किया जा सकता है, को चिन्हित करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि दिशा-निर्देशों को तैयार नहीं किया गया, एएसआई द्वारा स्मारकों का कोई सर्वेक्षण/ समीक्षा नहीं की गयी। जैसाकि पूर्व में इंगित किया गया था, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों हेतु मानदंडों के अभाव को परिभाषित करते हुए उदाहरण अभी भी मौजूद थे। इस संबंध में, मंत्रालय/एएसआई ने सूचित किया कि सर्वेक्षण करना एक सतत् घटना है तथा पीएसी के विचार को कार्यान्वित करना प्रासंगिक/सम्भव नहीं था।

(पैरा 6.3)

- केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में विसंगतियां तथा लापता स्मारकों की अधिसूचना वापस लेने से संबंधित मुद्दे (जैसाकि पूर्व में इंगित किया गया था) अभी भी इस आश्वासन के बावजूद मौजूद थे कि उनके सुधार हेतु प्रयास किए जाएंगे। मंत्रालय/एएसआई ने बताया कि अभ्युक्तियों को नोट कर लिया गया है तथा सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

(पैरा 6.3.3 तथा 6.3.4)

- चयनित स्मारकों अर्थात् विश्व विरासत स्थलों, आदर्श एवं टिकट वाले स्मारकों, जीवंत स्मारकों, *बाओलिस, कोस-मिनार* आदि की संयुक्त भौतिक जांच से (i) सार्वजनिक सुविधाएं अर्थात् सार्वजनिक शौचालय, पेयजल, पार्किंग, रैंप, मार्गदर्शक, सुरक्षा आदि की कमी (ii) स्मारकों पर संरक्षित निर्माण-कार्यों से संबंधित मुद्दे तथा (iii) विरासत बगीचों का प्रबंधन के मामले प्रकट हुए। इस संबंध में मंत्रालय/एएसआई ने बताया कि आगंतुकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना/उन्नत कराना एक नियमित कार्य है। उसने स्मारकों पर सुविधाओं में

सुधार के लिए *आदर्श स्मारक,* एक विरासत अपनाएं-योजना को अपनाना जैसी पहल को भी बताया।

(पैरा 7.1)

- एएसआई के अधीन चयनित राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों एवं स्थल संग्रहालयों में, पुरावशेष प्रबंधन अर्थात् कला खरीद समितियों का गैर-गठन, अधिग्रहण, परिग्रहण, सत्यापन, कलाकृतियों का प्रदर्शन एवं नियमित आवर्तन, उनका भण्डारण, परिरक्षण तथा सुरक्षा से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है तथा चित्रों के माध्यम से दर्शाया भी गया है।

(पैरा 8.1 एवं 8.2)

- पीएसी ने मंत्रालय/एएसआई को उत्खनन नीति के तहत कार्य योजना तैयार करने तथा इन गतिविधियों के लिए पर्याप्त निधियों का आवंटन तथा प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने को कहा। यह पाया गया कि एएसआई के पास अपने अन्वेषण तथा उत्खनन नीति पर आधारित कोई कार्य योजना नहीं थी। एएसआई ने उत्खनन प्रस्तावों, उनकी स्थिति को दर्शाते हुए सूचना/निगरानी प्रणाली को केन्द्रीकृत नहीं किया था। उत्खनन रिपोर्ट का लेखन 60 वर्षों से अधिक समय से लंबित था तथा गतिविधियों पर इसका व्यय एक *प्रतिशत* से कम था।

(पैरा 9.2)

मंत्रालय/एएसआई से लेखापरीक्षा/पीएसी द्वारा की गई पिछली सभी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अपने निष्पादन का जायजा लेने तथा अपने कार्य एवं निष्पादन में समग्र परिवर्तन लाने के लिए वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों पर प्रकाश डालने की भी आशा की गई थी। मंत्रालय/एएसआई ने प्रतिवेदन में शामिल अधिकतर मुद्दों पर समयोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

स्मारकों एवं पुरावशेषों के परिरक्षण एवं संरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्तन

अध्याय 1: विहंगावलोकन

भारत विश्व की पुरानी सभ्यता में से एक है। हमारी सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक विरासत में रीति रिवाज एवं परम्परायें, प्राचीन इमारतें, स्मारक, विरासत उद्यान, पुरावशेष आदि शामिल हैं। हमारी विरासत अमूल्य, हमारी पहचान का एक स्त्रोत तथा संपूर्ण मानवता के हित का विषय है। भारत की निर्मित विरासत तथा पुरातात्विक अवशेषों का कुल प्रमात्रा को विभिन्न धार्मिक न्यासों, ऐतिहासिक शहरों तथा पुरातात्विक स्थलों के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों (सीपीएम), राज्य संरक्षित स्मारकों, विरासत इमारतों सहित पूरे देश में चार लाख से अधिक विरासत संरचनाओं के रूप में अनुमानित किया गया है।

यूनेस्को[1] के अनुसार, किसी समुदाय के सांस्कृतिक संसाधनों को विशिष्ट पहचान, परम्पराओं तथा सांस्कृतिक उत्पादनों को बढ़ावा देकर आर्थिक सम्पत्ति में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इस अवधि में विकसित सांस्कृतिक परिसम्पत्तियों तथा पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण समुदायों की सामाजिक पूंजी को सुदृढ़ करने में काफी प्रभावी है। इस प्रकार, विरासत संरक्षण को आर्थिक एवं सामाजिक विकास में क्रॉस-कटिंग घटक के रूप में भी देखा जा सकता है। पुरातात्विक विरासत अर्थात् स्मारक, स्थल तथा पुरावशेषों की रक्षा का महत्व 1972 में यूनेस्को द्वारा इस संबंध में एक सम्मेलन को अपनाने के पश्चात एक वैश्विक प्रसंग बन गया।

लंबी समय अवधि से, तीव्र आधुनीकीकरण, शहरीकरण तथा चोरी के परिणामस्वरूप हमारी सांस्कृतिक विरासत की बपौती लगातार नष्ट हो रही थी। हमारी कई विरासत संरचनाओं का भी अभी भी उसी प्रकार से उपयोग किया जा रहा है जिसमें उन्हें रखना जारी रहा है जो भारत की 'जीवंत' विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत, परम्परागत ज्ञान तथा रीति रिजावों को ध्यान में रखते

[1] संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का 1945 में निर्मित एक विशिष्ट अभिकरण है जो शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहित करने पर लक्षित है।

हुए देश में एक समर्पित अवसंरचना तथा विधायी ढांचे के माध्यम से स्मारकों का संरक्षण अत्यधिक महत्व का है।

1.1 विधायी ढांचा तथा अवसंरचना

ब्रिटिश शासन के दौरान 1810 तथा 1817 का क्रमशः बंगाल विनियम तथा मद्रास विनियम प्रारम्भ किए गए थे जिसने उस समय की सरकारों को जहां कहीं सरकारी इमारतों के दुरुपयोग की आशंका थी, हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएमआई) की पूर्ण भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की सुरक्षा हेतु कानूनी प्रावधान शुरू करने के लिए 1861 में स्थापना की गई थी। 1863 तथा 1904 में महत्वपूर्ण अधिनियम भी पारित किए गए थे जिन्होंने सरकार को स्मारकों के परिरक्षण का प्राधिकार प्रदान किया। एएसआई भारतीय पुरातात्विक नीति (आईएपी), 1915 से संरक्षण हेतु अपनी औपचारिक प्रेरणा प्राप्त करता है जो स्मारकों की सुरक्षा तथा परिरक्षा को अनिवार्य बनाती है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 51ए (एफ) अनुबद्ध करता है कि *'हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान विरासत को अहमियत देना तथा परिरक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा'*। संविधान ने इन स्मारकों, सांस्कृतिक विरासत तथा पुरातात्विक स्थलों पर क्षेत्राधिकार को भी निम्नानुसार विभाजित किया हैः

संघ:	प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष, जिन्हें संसद ने कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया।
राज्य:	प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक जो संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए से अलग है।
समवर्ती:	उपरोक्त के अतिरिक्त, संघ तथा राज्यों दोनों का उन पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों पर समवर्ती क्षेत्राधिकार है जो कानून एवं संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए से अलग हैं।

संस्कृति मंत्रालय (मंत्रालय) देश में सभी प्रकार की कला तथा संस्कृति के परिरक्षण, संरक्षण, प्रोत्साहन तथा प्रसार के लिए उत्तरदायी है। यह विभिन्न राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालयों के माध्यम से पुरावशेषों के संग्रहण, परिरक्षण तथा प्रदर्शन को सुनिश्चित

करता है। मंत्रालय, एएसआई के माध्यम से, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों (सीपीएम), जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया हो, तथा प्राचीन स्थलों[2] के उत्खन्न के संरक्षण, परिरक्षण तथा अनुरक्षण में लगा हुआ है।

एएसआई के अतिरिक्त, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की भी स्मारकों के संरक्षण तथा परिरक्षण की प्रक्रिया को समर्थन देने हेतु सरकार द्वारा स्थापना की गई है। मंत्रालय/एएसआई के अधीन स्मारकों तथा पुरावशेषों के परिरक्षण तथा संरक्षण हेतु उपलब्ध संगठनात्मक संरचना को **चार्ट 1.1** द्वारा दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: विरासत सुरक्षा हेतु संगठनात्मक संरचना

<table>
<tr><th colspan="4">संस्कृति मंत्रालय</th></tr>
<tr><td rowspan="4">भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण</td><td colspan="2">मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय जो स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों, पुरावशेषों के अन्वेषण, उत्खनन, सर्वेक्षण, परिरक्षण तथा संरक्षण के उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा है।</td><td>एएसआई निम्न स्तरीय कार्यालयों अर्थात् सर्किल, बागवानी शाखा, विज्ञान शाखा, उत्खनन शाखा, पुरालेख शाखा, मंदिर, इमारत एवं ग्राम सर्वेक्षण परियोजनाएं, स्थल संग्रहालयों आदि के माध्यम से अपनी अधिदेशित भूमिका निभाता है।</td></tr>
<tr><td>पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान</td><td colspan="2">पुरातत्व तथा संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु एएसआई के अधीन एक संस्थान।</td></tr>
<tr><td>राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन</td><td colspan="2">देश में सभी स्मारकों तथा पुरावशेषों का डाटाबेस (प्रलेखन तथा अंकीकरण) तैयार करने के उद्देश्य से गठित।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">संग्रहालय</td><td>राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली</td><td rowspan="3">मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालय (मंत्रालय के स्वायत्त निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों के रूप</td></tr>
<tr><td>भारतीय संग्रहालय, कोलकाता</td></tr>
<tr><td>सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद</td></tr>
</table>

[2] अन्य स्मारकों का संबधित राज्य पुरातत्व विभाग, धार्मिक न्यासों, आदि द्वारा परिरक्षित किया जाता है।

	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहबाद	में कार्य कर रहे)। इन संग्रहालयों में पुरावशेषों, पाण्डुलिपियों, कलाकृतियों, सिक्कों आदि का बड़ा संग्रहण है। कलाकृतियों का इन संग्रहालयों द्वारा परिरक्षण, भण्डारण, परिग्रहण तथा प्रदर्शन किया जाता है।
	विक्टोरिया स्मारक हाल, कोलकाता	
	एशियाई समिति, कोलाकता	
	एशियाई समिति, मुंबई	
अन्य कार्यालय	राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण	अधिसूचित स्मारकों के परिरक्षित/विनियमित क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियों को विनियमित करने के अधिदेश वाली सांविधिक निकाय।
	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	विरासत के प्रोत्साहन, सुरक्षा तथा परिरक्षण में निगम तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की सहभागिता तथा भागीदारी को समर्थ बनाने की दृष्टि से स्थापित।
	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान	इतिहास, कला, संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में अध्ययन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान सुविधाओं में संस्थान पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।

सौंपे गई भूमिकाओं को प्रभावी रूप से निष्पादित करने के लिए इन अभिकरणों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिनियमितियां तथा निमयपुस्तिकाएं प्रदान की गई हैः

भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 - अकस्मात पाए गए परंतु पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक मूल्य के खज़ाने की सुरक्षा तथा परिरक्षण हेतु लागू किया गया।

प्राचीन स्मारक परिरक्षण (एएमपी) अधिनियम, 1904 – वे स्मारक जो विशेष रूप से व्यक्तिगत की अभिरक्षा अथवा निजी स्वामित्व के अधीन है को प्रभावी परिरक्षण प्रदान करने तथा उन पर एएसआई को प्राधिकार प्रदान करने के लिए लागू किया गया।

जोन मार्शल द्वारा संरक्षण नियमपुस्तिका, 1923 – स्मारकों के संरक्षण निर्माण कार्यों के दौरान कार्मिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अनुदेश शामिल है।

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष (एएचएमएएसआर) (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, 1951 – संविधान के प्रावधान को पूरा करने के

लिए लाया गया जिसके द्वारा एएमपी अधिनियम, 1904 के तहत पहले रक्षित सभी स्मारकों के राष्ट्रीय महत्व के होने की पुनः घोषणा की गई थी।
प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958- राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेषों के प्रतिरक्षण, पुरातात्विक उत्खनन के विनियमन तथा मूर्तिकला, नक्काशी एवं समान अन्य वस्तुओं की सुरक्षा के प्रावधान हेतु लागू किया गया। अधिनियम की अनुवर्ती में एएमएएसआर नियमावली 1959 को लागू किया गया।
पुरावशेषों तथा कला खज़ाना (एएटी) अधिनियम, 1972 – सांस्कृतिक सम्पत्ति, जिसमें पुरावशेष तथा कला खज़ाने शामिल हैं, पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सितंबर 1972 में लागू किया गया। इस अधिनियम की अनुवर्ती में एएटी नियमावली 1973 को लागू किया गया।
एएमएएसआर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 2010 – एएमएएसआर अधिनियम में किए गए संशोधन एक स्मारक के चारो ओर विनियंत्रित तथा वर्जित क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित किया। इसने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के सृजन का भी प्रावधान किया। इसकी अनुवर्ती में एएमएएसआर नियमावली 2011 तथा एनएमए नियमावली 2011 आई।
राष्ट्रीय प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों के लिए संरक्षण नीति (एनपीसी-एएमएएसआर), 2014 – नीति राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संबंध में परिरक्षण, संरक्षण, योजना, पर्यटन, आदि के पहलुओं पर ध्यान देता है।

प्रतिवेदन में इन अधिनियम/नियमावली के लागू प्रावधानों की उपयुक्त रूप से चर्चा की गई है।

1.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

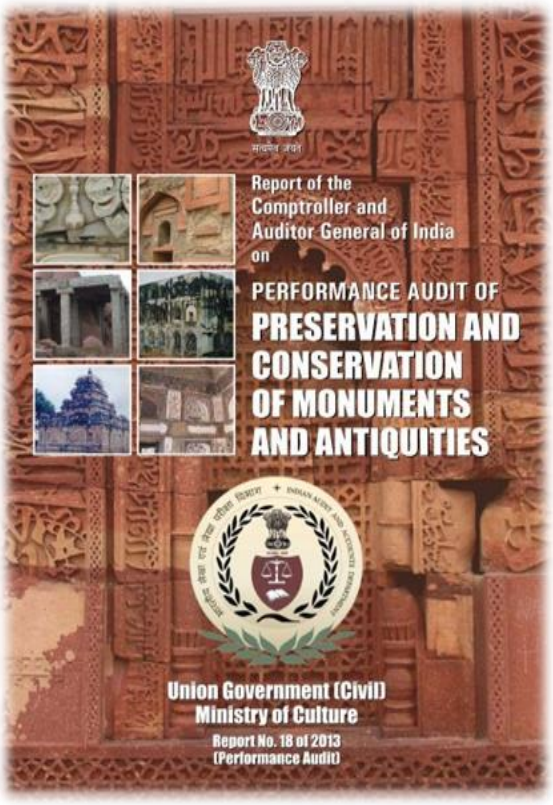

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के कार्यालय ने स्मारकों एवं पुरावशेषों के परिरक्षण तथा सरंक्षण की एक निष्पादन लेखापरीक्षा की थी (2012-13) तथा लेखापरीक्षा के परिणामों को 2013 की प्रतिवेदन सं.18 में शामिल किया गया था जिसे अगस्त 2013 में संसद के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। लेखापरीक्षा मंत्रालय/एएसआई द्वारा किए जा रहे कार्य का निर्धारण प्रदान करके स्मारकों तथा पुरावस्तुओं के परिरक्षण तथा संरक्षण की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने तथा सुधार हेतु उपयुक्त सिफारिशें करने पर लक्षित था। प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्षों को **बॉक्स 1.1** में सार प्रस्तुत किया गया है।

बॉक्स 1.1: सीएजी प्रतिवेदन में मुख्य निष्कर्ष

अध्याय	विवरण
2	एएसआई के पास अपने क्षेत्राधिकार के अधीन स्मारकों की यथार्थ संख्या का एक विश्वसनीय डाटाबेस नहीं था। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की पहचान करने अथवा विद्यमान सूची को संशोधित करने हेतु इसके द्वारा कोई व्यापक सर्वेक्षण या समीक्षा नहीं की गई थी। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणाम ने प्रकट किया कि केन्द्रीय संरक्षित के रूप में घोषित 92 स्मारकों का पता नहीं लग रहा था।
3	विश्व विरासत स्थलों को उपयुक्त देखभाल नहीं मिली थी तथा जन सुविधाओं के अभाव सहित इन स्थलों के आसपास अतिक्रमण, अप्राधिकृत निर्माण के कई मामले सूचित किए गए थे।

अध्याय	विवरण
4	एएसआई के पास स्मारकों के संरक्षण तथा परिरक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की एक सरंक्षण नीति नहीं थी। सरंक्षण निर्माण कार्य करने के लिए स्मारकों का मनमाने ढ़ंग से चयन किया गया था जबकि कई स्मारकों पर किसी भी प्रकार के संरचनात्मक संरक्षण हेतु कभी विचार नहीं किया गया था।
5	एएसआई के पास अन्वेषण तथा उत्खनन के लिए कोई नीति नहीं थी। एएसआई इस क्रियाकलाप पर अपने कुल व्यय के एक प्रतिशत से कम खर्च कर रहा था। किए गए उत्खनन निर्माण कार्यों का खराब प्रलेखन था तथा कई उत्खनन प्रस्तावों को प्रारम्भ नहीं किया गया था।
6	एएसआई के पास अपने स्वामित्व के पुरावशेषों की व्यापक नीति या डाटाबेस नहीं था। मूल्यवान पुरावशेषों का राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालयों में खराब हालत में भण्डारण किया पाया गया था। इन संग्रहालयों में पुरावशेषों के परिग्रहण, मूल्यांकन, प्रदर्शन तथा संरक्षण की भी खराब प्रणाली थी।
8, 11	एएसआई तथा अन्य संगठनों अर्थात् संग्रहालय, एनएमए आदि में सभी मुख्य पदों में स्टाफ की तीव्र कमी थी। एएसआई तथा संग्रहालयों के कार्य में मंत्रालय विभिन्न पहलुओं अर्थात् नीति एवं विधि निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन, आदि पर कार्रवाई करने में विफल था।

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (*इसके पश्चात् **पिछला प्रतिवेदन** कहा गया है*) पर लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा की गई थी जिसने पीएसी प्रतिवेदन सं. 39 (अप्रैल 2016) तथा 118 (दिसंबर 2018)[3] में अपने अभ्युक्तियों तथा अनुशंसाए को उजागर किया।

पीएसी के प्रथम प्रतिवेदन में 25 विशिष्ट मामलों पर अनुशंसा शामिल थीं, जिसमें से 20 को मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था। पांच शेष अनुशंसाओं में से, पीएसी ने, अपने दूसरे प्रतिवेदन में चार मामलों पर आगे और अनुशंसाएं की तथा शेष एक का अनुसरण न करने का निर्णय लिया। पीएसी की अभ्युक्तियों तथा अनुशंसाओं, मंत्रालय के उत्तर तथा की गई कार्रवाई को उचित प्रकार से इस प्रतिवेदन

[3] प्रतिवेदन पर 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2018-19 (सोलहवीं लोक सभा) की पीएसी द्वारा चर्चा की गई थी।

में शामिल किया गया है तथा **अनुलग्नक 11.1** के माध्यम से सार भी प्रस्तुत किया गया है।

1.3 पिछले प्रतिवेदन से एएसआई द्वारा प्रारम्भ की गई पहल

नेमी परिरक्षण, संरक्षण, अन्वेषण संबंधी अनिवार्य गतिविधियों के अतिरिक्त पिछले प्रतिवेदन के प्रकाशन से विरासत संरक्षण से संबंधित कई नई पहल प्रारम्भ की गई थी। इनमें से कुछ लेखापरीक्षा पश्चात् पहलों (2013 से) में निम्न शामिल हैः

ए) गूगल इंडिया को पुरातात्विक स्थलों की रिमोट सेन्सिंग सहित वेब पर सीपीएम की 360^0 फोटोग्राफी प्रदर्शित करने के लिए कार्य पर लगाना;

बी) विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहणों का अंकीयकरण हेतु *जतन* सॉफ्टवेयर का प्रारम्भ;

सी) वायु गुणवता निगरानी द्वारा सीपीएम की संरचना तथा निर्माण सामग्रियों पर पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण;

डी) चयनित स्मारकों पर अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए *आदर्श स्मारक* के रूप में स्मारकों का चयन;

ई) आगंतुकों के लिए ऑनलाईन बुकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु ई-टिकटिंग सुविधा का प्रारम्भ करना;

एफ) देश की अवश्य देखें स्थलों पर पोर्टल; तथा

जी) एक विरासत अपनाएं योजना (पर्यटन मंत्रालय द्वारा) प्रारम्भ करना जहां स्मारक मित्रों को स्मारक के गैर-प्रमुख क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं को विकसित/अनुरक्षण करना अनुमत था।

(स्रोतः मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने एक भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान की एक डीम्ड विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के साथ स्थापना की घोषणा की थी। सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता के अधीन देश में विरासत संरचनाओं तथा स्थलों के प्रबंधन की जांच तथा सांस्थानिक परिवर्तनों हेतु एक भविष्य का रोडमैप प्रदान करने और प्रबंधन का सुधार करने के उद्देश्य वाले कार्य समूह ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार तथा प्रस्तुत की थी (मई 2020)। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान इनमें से कुछ पहलों की विरासत सरंक्षण में मंत्रालय के कार्य का स्पष्ट निर्धारण करने हेतु जांच भी की गई थी।

अध्याय 2: लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

लेखापरीक्षा द्वारा पहले सूचित किए गए विचारणीय क्षेत्रों पर की गई कार्रवाईयों को सत्यापित करने तथा संसदीय समिति को मंत्रालय/एएसआई द्वारा दिए गए आश्वासन की जांच करने के लिए, लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के साथ 2020-21 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा[4] की गई थी, जैसी कि नीचे चर्चा की गई है:

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, पीएसी द्वारा की गई सिफारिशों पर मंत्रालय/एएसआई द्वारा की गई कार्रवाई की यह पता करने के लिए जांच की गई थी कि क्या:

- स्मारकों तथा पुरावशेषों की पहचान, प्रलेखन, सुरक्षा, परिरक्षण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया पर्याप्त थी;
- प्रभावी विरासत संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तथा कार्यान्वयन तत्रं उपलब्ध था;
- मंत्रालय के अधीन संग्रहालयों तथा एएसआई के अधीन स्थल-सग्रहालयों का कामकाज कुशल था; तथा
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र सहित वित्तीय तथा मानव संसाधनों हेतु कुशल प्रणाली मौजूद थी।

[4] सीएजी के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 अनुवर्ती लेखापरीक्षा का एक स्वतंत्र गतिविधि के रूप में वर्णन करते है जहां लेखापरीक्षक सुधारात्मक कार्रवाईयों, लेखापरीक्षित इकाई, अथवा अन्य उत्तरदायी दल, जिन्हें पिछली निष्पादन लेखापरीक्षाओं के परिणामों के आधार पर लिया गया था, की जांच करता है। यह एक स्वतंत्र गतिविधि है जो लेखापरीक्षा प्रक्रिया द्वारा महत्व में वृद्धि करता है तथा यह केवल सिफारिशों के कार्यान्वय तक सीमित नहीं है बल्कि इस पर भी ध्यान देता है कि क्या लेखापरीक्षित इकाई समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान किया है तथा इस प्रक्रिया हेतु अनुमत पर्याप्त समय के पश्चात अंतर्निहित स्थितियों का सुधार किया है।

2.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

अनुवर्ती लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदण्ड प्राप्त किया गया थाः

- पीएसी की सिफारिशें तथा पिछले प्रतिवेदन में उजागर अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन);
- स्मारकों, संग्रहालयों, पुरावशेषों, अन्वेषण गतिविधियों के परिरक्षण तथा सरंक्षण हेतु जारी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, नीतियों तथा दिशानिर्देशों; तथा
- सरकारी आदेशों, नियमों/विनियमों तथा अन्य नियमपुस्तिकाएं।

2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा चयन

पिछली लेखापरीक्षा के दौरान शामिल हितधारकों अर्थात् संस्कृति मंत्रालय, एएसआई (इसके सर्किलों एवं शाखा कार्यालयों, स्थल संग्रहालयों तथा उत्खनन स्थलों सहित), राष्ट्रीय संस्कृति निधि, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, स्मारकों एवं पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन को अनुपालन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा क्षेत्र में शामिल किये गये थे। शामिल अवधि 2013-14 से 2020-21 तक की थी; हालांकि, जहां कहीं अपेक्षित था, निष्कर्ष निकालने के लिए इससे पहले की अवधि के अभिलेखों की जांच की गई थी तथा सूचना का अद्यतन किया गया था।

पिछले प्रतिवेदन में की गई अभ्युक्तियों के आधार पर, सात राज्यों अर्थात् **दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा** तथा **पश्चिम बंगाल** का स्मारकों तथा निम्न स्तरों पर एएसआई कार्यालयों की जांच करने के लिए चयन किया गया था। विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित हितधारकों को शामिल किया गया थाः

केन्द्रीय स्तरः	संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, स्मारक और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन, केन्द्रीय पुरावशेष संग्रहण, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान तथा पुरातत्व संस्थान।
राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयः	राष्ट्रीय संग्रहालय (दिल्ली), विक्टोरिया मेमोरियल हॉल संग्रहालय, एशियायिक सोसायटी, भारतीय संग्रहालय (सभी कोलकाता में), एशियायिक सोसायटी (मुंबई) तथा सांलारजंग

	संग्रहालय (आन्ध्र प्रदेश)।
राज्य स्तर:	सर्किल कार्यालय (12), विज्ञान शाखा, बागवानी शाखा, उत्खनन शाखा तथा सीमा शुल्क शाखा, स्थल संग्रहालय (23)।

पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के समय, उस समय के 3678 सीपीएम में से, 1655 का संयुक्त भौतिक निरीक्षण के लिए चयन किया गया था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, परिरक्षण तथा सरंक्षण स्थिति का पता लगाने के लिए, पहले[5] चुने गए 1655 सीपीएम में से 184 सीपीएम का संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु चयन किया गया था। विभिन्न श्रेणियों के स्मारकों के अधीन सात राज्यों में फैले चयन को **अनुलग्नक 2.1** में दर्शाया गया है।

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

मंत्रालय तथा एएसआई के प्रतिनिधियों के साथ दिसंबर 2020 को प्रवेश सम्मेलन हुआ था जिसमें लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पर चर्चा की गई थी। ड्राफ्ट प्रतिवेदन जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणाम तथा लेखापरीक्षा प्रश्नावलियों का उत्तर शामिल है, सितंबर 2021 में मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी। सभी हितधारकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों पर विचार किया गया है तथा उपयुक्त प्रकार से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

2.5 प्रतिवेदन की संरचना

12 अध्यायों में विभाजित पिछले प्रतिवेदन पर पीएसी द्वारा अभ्युक्तियों का चार समूहों अर्थात् नीति, मानव संसाधन, वित्तीय प्रबंधन तथा कार्यात्मक मुद्दे में पुनः संगठित करने के पश्चात चर्चा की गई थी। तद्नुसार, वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अध्यायों, जिनमें पहले सूचित किए गए मामले तथा वर्तमान लेखापरीक्षा से संबंधित निष्कर्ष शामिल है, को निम्नानुसार उन्हीं चार समूहों में व्यवस्थित किया गया हैः

[5] दिसंबर 2021 तक एएसआई द्वारा 3693 स्मारकों की सीपीएम के रूप में घोषणा की है।

ए.	नीति स्तरीय मामले	अध्याय 3- नीति तथा विनियम
बी.	मानव संसाधन प्रबंधन	अध्याय 4- मानव संसाधन प्रबंधन
सी.	वित्तीय प्रबंधन	अध्याय 5- वित्तीय प्रबंधन
डी.	कार्यात्मक मामले	अध्याय 6- स्मारकों तथा पुरावशेषों की पहचान तथा अधिसूचना अध्याय 7- स्मारक प्रबंधन अध्याय 8- पुरावेशष प्रबंधन अध्याय 9- अन्वेषण तथा उत्खनन

अध्याय एक तथा दो विषय का एक विहंगावलोकन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान अपनाए गए लेखापरीक्षा दृष्टिकोण प्रदान करते है जबकि अध्याय 10 तथा 11 क्रमशः विरासत प्रबंधन हेतु अपनाए गए उत्तम कार्यों के उदाहरण तथा प्रतिवेदन का सारांश प्रस्तुत करते है। यह एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन होने के बावजूद, एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के रूप में निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के प्रयास किए गए है।

2.6 आभार

सूचना/अभिलेखों को प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल संस्कृति मंत्रालय तथा अन्य हितधारकों द्वारा प्रदत्त सहयोग तथा सहायता का आभार प्रकट करती है। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान फील्ड स्तरीय स्टाफ द्वारा प्रदत्त इनपुट भी विरासत प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों में ज्ञान प्राप्त करने में उपयोगी थे।

नीति और विनियम

मार्तण्ड सूर्य मंदिर (जम्मू एवं कश्मीर)

अध्याय 3: नीति तथा विनियम

उपयुक्त अधिनियमों, नियमावली, कानूनों एवं दिशानिर्देशों की उपलब्धता तथा उनकी समकालीन प्रासंगिकता स्मारकों तथा पुरावशेषों के प्रतिरक्षण तथा संरक्षण हेतु एक पूर्वापेक्षा है। इस अध्याय में, नीति तथा विनियमों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई है।

3.1 अधिनियमों, नियमावली तथा कानूनों का निरूपण तथा अद्यतनीकरण

स्मारकों तथा पुरावशेषों के प्रतिरक्षण तथा संरक्षण हेतु उपलब्ध विभिन्न अधिनियमों, नियमावली तथा अन्य कानूनों पर अभ्युक्तियों, जिनकी पिछले प्रतिवेदन में चर्चा की गई थी, की पीएसी द्वारा समीक्षा की गई थी। पीएसी ने नए अधिनियम/नियमावली के सामयिक निरूपण अथवा मौजूदा के अद्यतनीकरण को निर्धारित करते हुए कई सिफारिशें की थी। यह पाया गया था कि मंत्रालय/एएसआई ने इन अधिकांश नीति संबंधित सिफारिशों पर अपेक्षित स्तर तक कार्रवाई नहीं की थी जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

ए. राष्ट्रीय संरक्षण नीति

प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों के सरंक्षण की राष्ट्रीय नीति को फरवरी 2014 में अधिसूचित किया गया था। *पीएसी ने स्मारकों तथा उनके संरक्षण गतिविधियों की अधिसूचना तथा अधिसूचना को रद्द करने को कारगर बनाने के लिए इनके तहत नियमावली को भी अधिसूचित करने हेतु मंत्रालय को सिफारिश की थी।* इस संबंध में, मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया था कि स्मारकों की अधिसूचना तथा अधिसूचना रद्द करने पर दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं तथा जनता के मतों हेतु वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तथापि, अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, ऐसा कोई दस्तावेज/नियम एएसआई द्वारा तैयार तथा अधिसूचित नहीं पाया गया था।

मंत्रालय/एएसआई ने उत्तर में सूचित किया (जनवरी/फरवरी 2022) कि स्मारकों की अधिसूचना तथा अधिसूचना रद्द करने पर दिशानिर्देशों को संरक्षण नीति के अंतर्गत

जारी नहीं किया जाना था। यह एएमएएसआर अधिनियम 1958 के अधीन नियमावली का भाग था जिसके लिए एक समिति को अंतिम रूप दिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जवाब मंत्रालय की पूर्व प्रतिक्रिया के विपरीत था जैसाकि पीएसी द्वारा परिकल्पित सिफारिश किए गए नियमों को अभी तक जनवरी 2022 तक अंतिम रूप तथा अधिसूचित नहीं किए गया था।

बी. पुरातात्विक उत्खनन तथा अन्वेषणों पर राष्ट्रीय नीति

पुरातात्विक उत्खनन तथा अन्वेषण पर राष्ट्रीय नीति को माननीय संस्कृति मंत्री द्वारा मार्च 2015 में अनुमोदित किया गया था। *पीएसी ने मंत्रालय को उत्खनन तथा अन्वेषणो हेतु नीति की अंतिम अधिसूचना को शीघ्र पूरा करने को कहा था जिससे कि इन गतिविधियों हेतु चिन्हित लोक संसाधनों को उपयुक्त रूप से सुव्यवस्थित तथा केन्द्रित बनाया जा सके।* अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि उत्खनन तथा अन्वेषण नीति तैयार नहीं की गई थी।

मंत्रालय/एएसआई ने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि कथित नीति को अधिसूचित करते समय, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु बैंचमार्क होने से नीति से संबंधित कुछ अभ्युक्तियां नीति आयोग सहित महत्वपूर्ण हितधारकों द्वारा एएसआई को सूचित की गई थी। इसलिए, उक्त नीति को अधिक व्थापक बनाने के लिए समीक्षाधीन थी जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अधिसूचित कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नीति आयोग ने एएसआई को बदलते परिदृश्य, प्रौद्योगिकी की उन्नति को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज के पुनर्निरक्षण तथा अद्यतन करने को कहा था (मई 2020) जिसे मूल रूप से 2009 में तैयार किया गया था। इस संबंध में, एएसआई ने सूचित (दिसंबर 2020 तथा दिसंबर 2021) किया कि यह कार्य प्रक्रियाधीन था। इस प्रकार, पुरातात्विक अन्वेषण तथा उत्खनन पर राष्ट्रीय नीति के अद्यतनीकरण तथा अंतिम रूप देने/अधिसूचना में काफी विलम्ब हुआ।

सी. पुरावशेष एवं कला खज़ाना (एएटी) अधिनियम

पीएसी चिंतित थी कि एएटी अधिनियम, जो 1997 में शुरू हुआ था, का संशोधन करने की प्रक्रिया दो दशकों के बीत जाने के पश्चात भी लंबित थी। यह चाहती थी कि मंत्रालय संबंधित अधिनियम में संशोधन को शीघ्र पूरा करे। इस संबंध में

मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया था कि अधिनियम को सरल, कार्यान्वयन योग्य तथा प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन का सुझाव देने अथवा एक नया प्रारूप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। बाद में, एएसआई ने एटीएन के माध्यम से सूचित किया (अगस्त 2017) कि एएटी अधिनियम, 1972 के स्थान पर दो नए अधिनियमों अर्थात् पुरावेशष एवं कला खजाना (निर्यात एवं आयात नियंत्रण) अधिनियम तथा पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था तथा विचार हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, विधि मंत्रालय की अनुशंसा के पश्चात यह दो अधिनियमों को शामिल करते हुए एक संशोधित अधिनियम तैयार करेगा।

अधिनियम पर प्रगति का उत्तर देते समय एएसआई ने स्पष्ट किया (दिसंबर 2020 तथा दिसंबर 2021) कि यह कार्य एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी जिसमें सतर्क चर्चाओं तथा विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है। एएसआई ने तथ्यों को स्वीकार करते समय आगे बताया (जनवरी 2022) कि वह एएटी अधिनियम, 1972 के तहत किए जाने वाले संशोधनों पर मंत्रालय की सलाह से कार्य कर रहा था। उसने यह भी प्रस्तुत किया कि कार्य का वर्ष 2022 में पूर्ण होना संभावित था। तथ्य है कि पीएसी के अनुदेश के बावजूद कार्य 1997 से अभी तक चल रहा था।

डी. प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम

पीएसी ने मंत्रालय को एएमएएसआर अधिनियम में अनिवार्य संशोधन करने तथा बिना-टिकट वाले स्मारकों में आगंतुकों की संख्या दर्ज करने की एक प्रणाली स्थापित करने तथा स्मारकों के वर्गीकरण के मामले में विलम्ब का समाधान करने को कहा था। यह देखा गया था कि एएमएएसआर अधिनियम में अनिवार्य संशोधन नहीं किया गया था तथा स्मारकों के वर्गीकरण का मामला लंबित था (पैरा 6.2.1 का संदर्भ लें)। इसके अतिरिक्त, बिना टिकट वाले स्मारकों में दर्शकों की संख्या दर्ज करने की अभी भी कोई प्रणाली नहीं थी (*पैरा 5.3.1 का संदर्भ लें*)।

मंत्रालय/एएसआई ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में प्रस्तुत किया कि एएमएएसआर अधिनियम, 1958 का संशोधन का बिल जनवरी 2018 में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। लोक सभा ने 02 जनवरी 2018 में बिल पारित किया परंतु राज्य

सभा ने कथित बिल को प्रवर समिति को भेजा। कई विचार-विमर्शों के पश्चात, प्रवर समिति द्वारा बिल की सिफारिश की गई थी। हालांकि कथित बिल संसद के विघटन के कारण व्यपगत हो गया था। यह सूचित किया गया कि वर्तमान में संशोधन के अंतिम विवरण तैयार किए जा रहे थे।

ई. पुरातात्विक संग्रहालयों तथा पुरावशेषों के प्रबंधन की एकसमान प्रक्रिया

पीएसी ने पाया था कि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्मारकों में पुरावशेषों के प्रबंधन अर्थात् अधिग्रहण, परिग्रहण, अभिरक्षा, आवर्तन, आदि से संबंधित मामलों का निपटान करने तथा एएसआई के अधीन स्थल-संग्रहालयों हेतु भी व्यापक नीति दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं थे। मंत्रालय ने पीएसी को इसके द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों के संबंध में सूचित किया था:

- *कला वस्तुओं के अधिग्रहण हेतु एकसमान नीति तैयार करना तथा अंतिम रूप देना;*
- *एकसमान सुरक्षा नीति तैयार करने हेतु समिति का गठन; तथा*
- *प्रक्रियाओं की मानक नियम पुस्तिका तैयार करने हेतु समिति का गठन।*

पीएसी का मत था कि संस्कृति की कलाकृतियां तथा सांस्कृतिक उत्खनन किसी भी राष्ट्र का प्राचीन सांस्कृतिक गौरव है तथा इसलिए उसने सिफारिश की कि मंत्रालय सभी संग्रहालयों हेतु एक एकसमान प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को शीघ्र पूरा करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय/एएसआई के नियंत्रणाधीन संग्रहालयों हेतु कोई एकसमान प्रक्रिया, जिसमें सभी मामले शामिल हो जैसी पीएसी द्वारा सिफारिश की गई थी, उपलब्ध नहीं थी। एएसआई ने प्रारम्भ में बताया (मार्च 2021) कि ऐसे दस्तावेज की तैयारी, संशोधन तथा अनुपालन मंत्रालय के निर्देशों पर आधारित होगा। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय से ऐसा कोई दस्तावेज/निर्देश उपलब्ध नहीं था। एएसआई ने आगे बताया (जनवरी 2022) कि इसके स्थल-संग्रहालय अन्य राष्ट्र स्तरीय संग्रहालयों से अलग थे तथा इसलिए उनकी अधिग्रहण नीति एएसआई के अधीन संग्रहालयों के लिए उपयुक्त नहीं होगी। उत्तर केवल एएसआई के स्थल-संग्रहालयों हेतु एक व्यापक नीति की आवश्यकता को दर्शाता है।

ई.1 एएसआई के अधीन स्थल-संग्रहालयों हेतु दिशानिर्देश

एएसआई ने, *स्थल-संग्रहालयों हेतु दिशानिर्देशों के अभाव के संबंध में पीएसी की टिप्पणी* के उत्तर में सूचित किया (नवम्बर 2020) कि इसके द्वारा 2013 में तैयार एएसआई संग्रहालयों हेतु दिशानिर्देश का अनुपालन किया जा रहा था। एएसआई ने आगे सूचित किया (मार्च 2021) कि परिग्रहण पंजी, आवर्तन, आदि जैसे मामलों को मंत्रालय द्वारा 14 अंक संग्रहालय सुधारों (2009 में जारी) में शामिल किया गया है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एएसआई का दिशानिर्देश पुरावशेषों के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों का निपटान करने हेतु एक व्यापक दस्तावेज नहीं था। उत्तर तर्कसंगत भी नहीं थे क्योंकि दोनों दस्तावेज अर्थात् एएसआई संग्रहालयों हेतु दिशानिर्देश तथा 14 अंक संग्रहालय सुधार पीएसी की बैठक के समय उपलब्ध थे। पीएसी ने, सिफारिश करते समय (2016 में), इन दस्तावेजों पर ध्यान दिया होगा। इस प्रकार, उत्तर पुरावशेषों के प्रबंधन हेतु एक एकल व्यापक दस्तावेज की आवश्यकता के संबंध में पीएसी के तर्क को अनदेखा करता है जिसे प्रारम्भ में अनुपालना हेतु मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था।

जनवरी 2022 में, मंत्रालय/एएसआई ने अपने पहले के उत्तर को दोहराते समय बताया कि 2013 में तैयार दिशानिर्देश तथा 14 अंकीय संग्रहालय सुधार इसके स्थल-संग्रहालयों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तथापि, पीएसी की अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3.2 विरासत उप-नियम (एचबीएल) तथा स्थल-योजना तैयार करना

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) का, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों (सीपीएम) के आसपास निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु एएमएएसआर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक निकाय (2011) के रूप में स्थापना की गई थी। इसका मूल उद्देश्य विरासत उप-नियम (एचबीएल) के माध्यम से सीपीएम के प्रतिबंधित तथा नियंत्रित क्षेत्रों के सांविधिक प्रावधानों का कार्यान्वयन था। एनएमए को केन्द्र सरकार[6] द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारियों के

[6] 32 सक्षम प्राधिकरणों को सरकार द्वारा फरवरी 2014 में अधिसूचित किया गया था।

माध्यम से अपनी शक्तियों (अर्थात् सीपीएम के प्रतिबंधित/नियंत्रित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करना) का प्रयोग तथा निर्वाहन करना था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि कुछ अनिवार्य गतिविधियों के संबंध में एनएमए की प्रगति धीमी थी। इन मामलों पर आगे पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.2.1 स्थल-योजना तैयार करना: विरासत उप-नियम को प्रत्येक संरक्षित स्मारक के प्रतिबंधित तथा नियंत्रित क्षेत्रों हेतु स्थल-योजना के आधार पर तैयार किया जाना पाया गया था। एएमएएसआर नियमावली 2011 के अनुसार, पांच वर्षों की अवधि के भीतर महानिदेशक, एएसआई को विस्तृत स्थल-योजना तैयार करने के उद्देश्य हेतु प्रयास करना था। तथापि, 2018 में जारी अन्य अधिसूचना में, इस अवधि को दस वर्षों (2021 तक) के लिए बढ़ा दिया गया था। परिणामस्वरूप, स्थल-योजनाओं को तैयार करने तथा एचबीएल को अंतिम रूप देने में भी विलम्ब हुआ था। एनएमए ने सूचित किया कि 600 स्मारकों की सर्वेक्षण योजना तैयार की गई थी। इस संबंध में एएसआई ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि कार्य को आउटसोर्स किया जा रहा था फिर भी जटिल मैदान स्थितियों, स्मारकों के विस्तार तथा स्मारक के आकार, आदि ने प्रक्रिया में विलम्ब किया। तथ्य है कि सभी स्मारकों हेतु एचबीएल तैयार करने में विलम्ब हुआ था।

3.2.2 एचबीएल तैयार करना: एएमएएसआर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत एनएमए को स्मारक-विशिष्ट एचबीएल को अधिसूचित करना था। इस संबंध में, एएसआई के पांच क्षेत्रीय निदेशकों की एनएमए के अनुमोदन हेतु ड्राफ्ट एचबीएल तैयार करने के लिए पहचान (फरवरी 2014) की गई थी। तथापि अब तक (जनवरी 2022) केवल पांच एचबीएल, जिसमें 31 संरक्षित स्मारक शामिल हैं, को अधिसूचित किया गया है जबकि 165 एचबीएल, जिसमें 210 स्मारक शामिल है, को अंतिम रूप[7] दिए जाने के विभिन्न चरणों पर होना सूचित किया गया था।

[7] दो एचबीएल, जिसमें 2 सीपीएम शामिल हैं, को संसद में प्रस्तुत करने हेतु मंत्रालय को भेजा गया था (सितंबर 2020 में), 103 एचबीएल, जिसमें 128 स्मारक शामिल हैं, परामर्श अधीन थे तथा 60 एचबीएल, जिसमें 80 सीपीएम शामिल हैं, को सुझाव हेतु वेबसाईट पर अपलोड किया गया था।

3.2.3 एचबीएल तैयार करने में प्राथमिकता: निर्माण संबंधी गतिविधियों हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर 3693 सीपीएम में से 230 की एचबीएल तैयार करने हेतु अधिक प्राथमिकता वाले होने के रूप में पहचान की थी। तथापि, जैसा एनएमए द्वारा सूचित किया गया (दिसंबर 2020) कि अधिसूचित/प्रक्रियाधीन कुल स्मारकों में से अब तक केवल सात अधिक प्राथमिकता वाले स्मारकों की सूची से संबंधित थे।

3.2.4 बड़ी परियोजनाओं हेतु दिशानिर्देश तैयार करना: एनएमए को बड़े पैमाने की विकास परियोजनाओं के पुरातात्विक प्रभाव निर्धारण हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी करनी थे। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण को सांस्कृतिक परिदृश्य, जो अतीत में निर्माण अथवा समान गतिविधियों के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे, की मरम्मत हेतु सिफारिशें करनी थी। बड़ी परियोजनाओं हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के संदर्भ में एनएमए ने सूचित किया (नवम्बर 2020) कि 2000 वर्ग मी. तथा अधिक के कुल निर्मित क्षेत्र वाले आवेदनों के लिए निर्धारित प्रपत्र में अतिरिक्त सूचना प्राप्त की जा रही थी, जबकि 5000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र वाले मामलों के लिए पुरातात्विक प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट प्राप्त की जा रहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एचबीएल तैयार करते समय स्मारकों के सांस्कृतिक परिदृश्य पहलू को ध्यान में रखा गया था तथा इसलिए सीपीएम के लिए ऐसे संबंधित परिदृश्य मरम्मत कार्य नहीं किए जा रहे थे। लेखापरीक्षा का तर्क है कि दिशानिर्देशों के अभाव तथा कुछ एचबीएल तैयार करने/अधिसूचना में निर्माण संबंधित गतिविधियों हेतु आवेदनों को संसाधित करने की प्रक्रिया तदर्थ आधार पर थी।

एनएमए ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि एचबीएल तैयार करने का दायित्व प्राथमिक रूप से एएसआई पर है जिसे इसके अधिकारियों अर्थात् एएसआई में सर्किल तथा क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा सर्वेक्षणों तथा स्थल-योजनाओं के आधार पर तैयार किया जाना था। एनएमए की भूमिका इन्हें अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की थी। तथ्य है कि एचबीएल तथा स्थल-योजनाएं तैयार करने में काफी विलम्ब रहा है। परिणामस्वरूप, सीपीएम के वर्जित/नियंत्रित क्षेत्रों में निर्माण से संबंधित गतिविधियों की अनुमति आवेदनों को,

एनएमए नियमावली में प्रदत्त असाधारण आधारों[8] के अधीन अनुरोध के रूप में मान कर प्रदान किया जा रहा था।

हुमायूँ का मकबरा परिसर के वर्जित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियाँ

एएमएएसआर अधिनियम का, एनएमए की स्थापना को प्रारम्भ करके तथा स्मारकों[9] के वर्जित/नियंत्रित क्षेत्र में नवीकरण तथा निर्माण संबंधित गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने में इसकी भूमिका को परिभाषित करते हुए 2010 में संशोधन किया गया था। संशोधित अधिनियम के पैरा 20 सी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी बिल्डिंग अथवा संरचना, जो स्मारक के वर्जित क्षेत्र में मौजूद हो, का मालिक है ऐसी मरम्मत या नवीकरण करने जैसा भी मामला हो, के लिए एक आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पैरा 20ए के अनुसार, एक पुरातत्व अधिकारी के सिवाय कोई भी व्यक्ति इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसी भी वर्जित क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं करेगा किः

(ए) ऐसे सार्वजनिक कार्य या परियोजना निष्पादित करना अनिवार्य अथवा लाभकारी है जो जनता के लिए अनिवार्य है।

(बी) अन्य कोई कार्य अथवा परियोजना जिसका इसके विचार से स्मारक या इसके निकटतम परिवेश में संरक्षण, सुरक्षा, रक्षा या पहुंच पर कोई भारी प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

भौतिक निरीक्षण (जनवरी 2021) के दौरान, यह पाया गया था कि आधुनिक संरचनाओं अर्थात् दुकानों का निर्माण, परिदृश्य, अंडरपास, संरक्षण आदि के सृजन की एक परियोजना एएसआई से अलग अभिकरण द्वारा हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली के वर्जित क्षेत्र में निष्पादित की जा रही थी।

[8] एनएमए नियमावली, 2011 के नियम 15 के तहत, असाधारण मामलों में, विरासत उप-नियमों को अंतिम रूप दिया जाना लंबित हो, निर्माण संबंधित गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

[9] एएमएएसआर नियमावली 1959 के नियम 31 के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा जून 1992 में जारी अधिसूचना के अनुसार, एएसआई ने स्मारक की संरक्षित सीमाओं से 100 मीटर तक के क्षेत्र तथा आगे 200 मीटर को क्रमशः वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्र होने की घोषणा की थी। वर्जित तथा निंयत्रित क्षेत्र की धारणा को एएमएएसआर अधिनियम, 2010 में संशोधन से आगे ओर विस्तार से बताया गया है।

एएसआई ने अपने उत्तर (अगस्त 2021) में सूचित किया कि वह जुलाई 2007 (बाद में दिसंबर 2017 में विस्तार किया गया) में किए गए एक बुह-अभिकरण एमओयू[10] के माध्यम से शामिल था। एमओयू के अनुसार, संरक्षण गतिविधियाँ (स्थल संग्रहालय तथा व्याख्या केन्द्र की स्थापना सहित), ट्रस्ट[11] (निष्पादन अभिकरण) को सीपीडब्ल्यूडी के परामर्श से विभिन्न शहरी विकास गतिविधियाँ (दुकानों तथा रेस्टोरेटं के निर्माण सहित) करनी थी।

लेखापरीक्षा ने इंगित किया (जून 2021) कि हस्तक्षेप, स्मारक के दर्शकों हेतु सुविधाओं (अर्थात् शौचालय, जल, पार्किंग आदि) का सृजन नहीं थे तथा स्मारक के वर्जित क्षेत्रों में अन्य अभिकरण द्वारा वाणिज्यिक निर्माण (अर्थात् दुकाने) को अनुमत करके एएसआई ने एएमएएसआर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त केवल अभिकरण द्वारा निर्माण किए जाने वाले व्याख्या केन्द्र का स्वामित्व एएसआई के पास रहना था।

एएसआई ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि एएमएएसआर अधिनियम (धारा 20ए (3)) ने एक सीपीएम के वर्जित/नियंत्रित क्षेत्र में सुख सुविधाओं के निर्माण हेतु इसे प्राधिकृत किया तथा एएसआई द्वारा आगा खान ट्रस्ट (निजी दल) के माध्यम से निर्माण किए गए व्याख्या केन्द्र, स्मृति चिन्ह की दुकाने, अंडरपास आदि का सृजन विश्व विरासत स्थलों पर दर्शन हेतु आने वाले पर्यटकों के लिए अनिवार्य सुख सुविधाएं थी। उसने यह भी सूचित किया कि व्याख्या केन्द्र के निर्माण के संबंध में इसके द्वारा एनएमए से अनिवार्य अनुमोदन नवम्बर 2014 में प्राप्त कर लिया गया था। एएसआई ने अनुवर्ती प्रतिवेदन के प्रति अपने पहले के उत्तर को दोहराते हुए बताया (जनवरी 2022) कि एमओयू सरकार के उचित

[10] 2007 मे, एएसआई, सीपीडब्ल्यूडी, एमसीडी (सार्वजनिक दलों के रूप में) तथा आगा खांन सांस्कृतिक ट्रस्ट (एकेटीसी), आगाखान प्रतिष्ठान इंडिया (एकेएफआई) (निजी दल के रूप में) के बीच एमओयू किया गया था। पहल के तीन संघटक अर्थात(1) विरासत सरंक्षण (2) सामाजिक आर्थिक पहल तथा (3) पर्यावरणीय विकास थे। 2017 में एमओयू की अवधि को बढ़ाते समय सीपीडब्ल्यूडी, एएसआई, एसडीएमसी, एकेएफआई तथा एकेटीसी द्वारा एक ट्रस्ट डीड़ किया गया था।

[11] एमओयू के अनुसार, ट्रस्ट अर्थात् सरकारी सुंदर नर्सरी प्रबंधन ट्रस्ट का गठन किया गया था।

अनुमोदन के पश्चात किया गया था।

एएसआई का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एनएमए ने लेखापरीक्षा को सूचित[12] किया था कि उन्हें हुमायूं का मकबरा परिसर के वर्जित क्षेत्र के भीतर संग्रहालय तथा शॉपिग कॉम्प्लैक्स के विकास हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। दिसंबर 2017 में एमओयू को बढ़ाने के दौरान भी यह मामला एनएमए के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

एमओयू करके तथा एनएमए के अनुमोदन के बिना, निर्माण कार्य करने के लिए ट्रस्ट को अनुमति देते हुए एएसआई ने एएमएएसआर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

निष्कर्ष:

- *पीएसी द्वारा दिए गए सुझाव प्रभावी विरासत प्रबंधन हेतु अनिवार्य थे। तथापि, अधिकतर मामलों में, पीएसी द्वारा चर्चा किए गए नीति संबंधी विचारणीय विषयों पर अनिवार्य संशोधन/अधिसूचना करने का कार्य अभी भी प्रक्रिया में था।*
- *2011 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के गठन के बावजूद स्मारक के वर्जित/नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु विरासत उप-नियमों को तैयार करने में विलम्ब था।*

[12] पत्र सं.9-1/2020-एनएमए (प्रशा.) दिनांक 24 मार्च 2021 के माध्यम से

मानव संसाधन प्रबंधन

अजंता गुफाएं (महाराष्ट्र)

अध्याय 4: शासन तथा अवसंरचना

एक दक्ष शासन प्रणाली तथा तकनीकी क्षमताओं वाले पर्याप्त मानव संसाधन सफल विरासत संरक्षण हेतु अनिवार्य है। एएसआई में संगठन तथा शासन संबंधी मुद्दें, जिन पर विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा तथा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चर्चा की गई है, को इस अध्याय में शामिल किया गया है।

4.1 एएसआई में संगठन तथा शासन

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि पहले उजागर की गई संगठनात्मक चिंताओं ने एएसआई के अनिवार्य गतिविधियों के सफल शासन को प्रभावित करना जारी रखा। इन मामलों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई हैः

4.1.1 एएसआई की वैज्ञानिक विभाग के रूप में मान्यता

एएसआई पुरातत्ववेत्ता, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, इंजीनियरों, वास्तुकारों तथा प्रशासकों से बना एक बहु-विषयी अभिकरण है। *मिर्धा* समिति ने सिफारिश की थी (1984) कि एएसआई को मात्र एक प्रशासनिक संगठन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए बल्कि इसके अति विशिष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए इसे एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थान का ओहदा प्रदान किया जाना चाहिए जो अपने कार्यों में स्वायत्तता का आनंद लें। तथापि, इसे एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विभाग के रूप में अधिसूचित (1989) करने के पश्चात, घोषणा को कार्यान्वित करने हेतु मंत्रालय/एएसआई द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने इस संबंध में आगे की कार्रवाई के अभाव पर चिंता (नवम्बर 2005 का प्रतिवेदन सं.99 *के माध्यम से*) प्रकट की थी।

पिछले प्रतिवेदन में, यह इंगित किया गया था कि एएसआई ने अपने वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियों, कार्यों, अध्ययन तथा अनुसंधान पर सूचना प्रदान नहीं की थी जिसकी वैज्ञानिक विभाग के रूप में इसकी मान्यता हेतु आवश्यकता थी। *मिर्धा* समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि जबतक एएसआई स्वयं को एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सगंठन में परिवर्तित नहीं करेगा, सगंठन की मूल भूमिका तथा कार्य व्यर्थ

होंगे। वैज्ञानिक सगंठन के रूप में एएसआई की मान्यता हेतु किए गए आगे के प्रयास अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेख में नहीं पाए गए थे।

4.1.2 कार्यनीति या रोड-मैप का अभाव

एएसआई कई प्रसिद्ध विश्व विरासत स्थलों सहित 3693 स्मारकों का अभिरक्षक है। एएसआई के गतिविधियों में लगातार विकसित हो रही पुरातात्विक कक्षाओं के द्वारा देश के मूल्यवान अतीत का अन्वेषण करना; स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों का परिरक्षण; शिक्षा के केन्द्रबिंदु के रूप मे उनका विकास तथा दर्शको को एक विश्वसनीय सांस्कृतिक/ऐतिहासिक अनुभव प्रदान करना शामिल है। तथापि, एएसआई के पास इन अनिवार्य गतिविधियों को पूरा करने हेतु कार्यनीति को परिभाषित करने वाला कोई रोड-मैप (दीर्घावधि/मध्यमावधि) नहीं था।

एएसआई ने अपने सर्किल कार्यालयों को संरचनात्मक एवं रासायनिक परिरक्षण, पर्यावरणीय उन्नयन, सग्रंहालय तथा पर्यटन सुविधाओं को शामिल करके एक तीन वर्ष की अवधि के लिए संबंधित वीज़न प्लान तैयार करने को कहा था (जनवरी 2018)। दिल्ली सर्किल के वीज़न प्लान की जांच से पता चला कि दस्तावेज को, ज्यातर वर्ष के दौरान किए गए निर्माण कार्यों को शामिल करके, चयनित स्मारकों के लिए तैयार किया गया था। यह भी देखा गया था कि सरंक्षण क्रियाकलाप तदर्थ/वार्षिक योजना आधार पर किए जा रहे थे।

इसके अतिरिक्त, चण्डीगढ़ सर्किल में वीज़न प्लान का केवल 10 *प्रतिशत* कार्य का अनुसरण किया गया था। इस संबंध में, चण्डीगढ़ सर्किल ने सूचित किया (मई 2021) कि विचलन एएसआई मुख्यालय द्वारा निदेशित अन्य महत्वपूर्ण संरक्षण योजनाओं का अनुसरण करने के कारण था।

मंत्रालय/एएसआई ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष अर्थात् मध्यम अवधि/दीर्घावधि सरंक्षण कार्यनीति का अभाव को स्वीकार करते समय प्रस्तुत किया (जनवरी 2022) कि इसके द्वारा सीपीएम के तीन प्रकार के सरंक्षण निर्माण कार्य, अर्थात् (i) वार्षिक मरम्मत तथा अनुरक्षण (ii) विशेष मरम्मत तथा (iii) आकस्मिक मरम्मत, किए जा रहे थे।

4.1.3 केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार समिति

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार समिति (सीएबीए) का भारत में पुरातत्व से संबंधित मुद्दों अर्थात् पुरातत्व, संरक्षण तथा अन्वेषण पर एएसआई को सलाह देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में अवधारणा (1945 में) की गई थी। सीएबीए के सदस्यों में विभिन्न सरकारी सगंठनों से अधिकारी तथा इतिहास, पुरातत्व, सस्कृति, आदि के क्षेत्र से प्रख्यात व्यक्ति शामिल हैं। चार वर्षों की अवधि के लिए सदस्यों के बने रहने तथा प्रवेश के संबंध में अधिसूचना पिछली बार फरवरी 2014 में जारी की गई थी। परिणामस्वरूप, मार्च 2018 के पश्चात् सीएबीए निष्क्रय हो गया था। इसके अतिरिक्त 2014-18 के दौरान सीएबीए की केवल एक बैठक अक्तूबर 2014 में हुई थी। एएसआई ने सूचित किया (दिसंबर 2020) कि सीएबीए के पुनर्गठन का मामला अगस्त 2019 से मंत्रालय के पास लंबित था जो कि अभी भी प्रक्रियाधीन था (दिसंबर 2021)। इस प्रकार, विरासत संरक्षण तथा पीएसी की सिफारिशों के संभव कार्यान्वयन हेतु शीर्ष स्तरीय सलाह उपलब्ध नहीं थी।

4.1.4 एएसआई में अन्य अवसंरचना तथा शासन संबंधी मामले

लेखापरीक्षा के दौरान, एएसआई में अवसंरचना तथा शासन संबंधी मामले, जो स्मारकों तथा पुरावशेषों के प्रभावी प्रबंधन को प्रभावित कर रहे थे, पाए गए थे तथा यहां उन पर चर्चा की गई हैः

4.1.4.1 अतिक्रमण को रोकने के लिए वातावरण: स्मारकों में तथा आसपास अतिक्रमण, अप्राधिकृत निर्माण तथा पुरावशेषों की सुरक्षा पर संसदीय/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तहत लगातार चर्चा की गई है। पहले की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, अतिक्रमण के तहत स्मारकों की संख्या जैसा एएसआई द्वारा सूचित किया गया था, 249 थी जो फरवरी 2021[13] में बढ़कर 321 हो गई। पिछले प्रतिवेदन में, यह इंगित किया गया था कि एएसआई द्वारा सूचित स्थिति गलत थी क्योंकि 3678 स्मारकों में से 1655 स्मारकों, अर्थात् 45 प्रतिशत के संयुक्त निरीक्षण ने 546 स्मारकों में अतिक्रमण प्रकट किया था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा ने यह भी प्रकट

[13] अतिक्रमित स्थलों वाले शीर्ष राज्य जैसा एएसआई द्वारा सूचित किया गया-उत्तर प्रदेश (75), तमिलनाडु (74), कर्नाटक (48), महाराष्ट्र (46), राजस्थान (22) तथा दिल्ली (11)।

किया कि दिल्ली, भोपाल, जबलपुर तथा कोलकाता सर्किल में अतिक्रमण किए गए पाए कुछ स्मारकों को 321 स्मारकों की अद्यतित सूची[14] में शामिल नहीं किया गया है। औरंगाबाद, मुंबई, भोपाल, जबलपुर, भुवनेश्वर तथा कोलकाता सर्किल में यह पाया गया था कि अप्राधिकृत निर्माण सरकारी अभिकरणों द्वारा भी किए गए थे।

इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए पीएसी ने महसूस किया कि अतिक्रमण के मामले को सर्वोच्च स्तर तक उठाना चाहिए। उसने जिला एवं पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण की घटनाओं की जांच करने हेतु एक समन्वय एवं निगरानी तत्रं की स्थापना की सिफारिश की। तथापि, यह पाया गया था कि एएसआई मे केंद्रीय स्तर पर या अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान शामिल सर्किल में कोई ऐसा समन्वय तंत्र मौजूद नहीं था। दिल्ली सर्किल ने सूचित किया (जनवरी 2021) कि इसके मुख्यालय कार्यालय से ऐसे किसी भी अनुदेश के संबंध में अभिलेख इसके पास उपलब्ध नहीं था। चण्डीगढ़ सर्किल में, राज्य स्तरीय समिति का गठन केवल फरवरी 2020 में जाकर किया गया था। इसके अतिरिक्त, संबंधित स्मारक अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण/अप्राधिकृत निर्माण मामलों की सूचना देने के पश्चात उनकी आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र का अभाव था। एएसआई ने सूचित किया (मार्च 2021 तथा जनवरी 2022) कि उनके द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को सूचना देने के पश्चात ऐसे अतिक्रमण का हटाना तथा इसे एएसआई को सूचित करना जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है। इसलिए, अतिक्रमण या अप्राधिकृत निर्माण को हटाने के लिए जिला प्रशासन तथा राज्य सरकारों की ओर से सक्रिय कार्रवाई महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासनों तथा राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रतिक्रिया तथा सहयोग की कमी को उजागर करने वाले कुछ उदाहरणों को नीचे बाक्स में उजागर किया गया हैः

---

[14] उदाहरणार्थ, दिल्ली सर्किल में रजिया सुलतान का मकबरा, विजय मण्डल, सुनेहरी मस्जिद (सभी की एएसआई द्वारा सितंबर 2015 में अतिक्रमित के रूप में पहचान की गई) तथा मोठ-की-मस्जिद, चोर मीनार, कालेखान, बड़े खान, भुरे खान के मकबरें (एनएमए द्वारा 2019 में सभी को अतिक्रमित के रूप में घोषित किया गया) को एएसआई द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदत्त अतिक्रमित स्मारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

भोपाल सर्किल में, भीमबेटका के पूर्व-ऐतिहासिक आश्रयों, मोहम्मद घोस का मकबरा तथा जबलपुर सर्किल में मंदिरो के समूह, अमरकंटक, मांतगेश्वर मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, खजुराहो, गोंड किला अतिक्रमण में पाए गए थे। इसी प्रकार, कोलकता परिमण्डल में मोतीझील मस्जिद, दुबड़ी मठ तथा मुद्रा ईमारत अतिक्रमित थी पर इन्हे ऐसे स्मारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

अतिक्रमण तथा समन्वय की कमी

➢ महरौली पुरातत्व उद्यान (उद्यान) दिल्ली, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधीन एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें एएसआई[15] तथा दिल्ली सरकार[16] दोनों द्वारा संरक्षित स्मारक शामिल हैं। एनएमए ने एएसआई को सूचित किया (2019) कि उद्यान की ऐतिहासिक स्थापना का ध्यान में रखते हुए, स्थानीय निकायों/अभिकरणों के परामर्श से इसके विकास नियंत्रणों तथा दिशानिर्देशों को अलग से अधिसूचित करने की आवश्यकता है।

उद्यान में, एएसआई ने खान-ए-शाहिद मकबरे में सरंक्षण गतिविधियां की थी जबकि इसका स्वामित्व/अतिक्रमण का मामला *वक्फ* बोड के पास मुकदमेबाजी में था। उद्यान के दौरे के दौरान यह पाया गया था कि उद्यान के विभिन्न अन्य भागों पर अतिक्रमण था तथा खराब प्रबंधन था। परंतु उद्यान को सुरक्षित रखने तथा भविष्य में अतिक्रमण से बचने के लिए एएसआई तथा दिल्ली सरकार के बीच कोई समन्वय नहीं था।

➢ तुगलकाबाद किला, दिल्ली में यह पाया गया था कि नगरपालिका अभिकरण ने स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में सीवर के पानी को निकाल कर स्थल पर अतिक्रमण किया था। इस कार्य ने स्मारक के आस-पास किए गए सौंदर्यकरण निर्माण कार्य को नष्ट किया।

➢ पिछले प्रतिवेदन में भीमबेटका के विश्व विरासत स्थल पर अतिक्रमण का एक मामले का उल्लेख किया गया था। महानिदेशक एएसआई ने कथित अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किया था (2002)। तथापि, सर्किल कार्यालय, जिला प्रशासन से सहयोग की कमी के कारण अतिक्रमण हटाने में विफल रहा। यह देखा गया था कि मार्च 2016 के पश्चात् मामले को उपयुक्त स्तरों अर्थात् मंत्रालय अथवा राज्य सरकार, पर नहीं उठाया गया था।

➢ पिछले प्रतिवेदन में, यह उजागर किया गया था कि कर्नाटक सरकार ने, 1976 में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, राज्य में 43 सीपीएम की *वक्फ*

[15] जमाली कमाली मकबरा, बलबान का मकबरा, राजाओं की बाओली, गंधक की बाओली

[16] कुली खान मकबरा

बोर्ड की सम्पत्तियों के रूप में घोषणा की थी। मामले का एएसआई द्वारा विरोध किया गया था तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश (2004) में राज्य की अधिसूचना को अमान्य घोषित किया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि एएसआई सटीक संरक्षित क्षेत्र का पता लगाने के लिए राज्य राजस्व विभाग के साथ इन स्मारकों का संयुक्त सर्वेक्षण करने में अभी भी असमर्थ था।

- अन्य मामले में, गुलबर्ग किले (कर्नाटक) के भागों को 282 परिवारों द्वारा घेरा हुआ पाया गया था जो राज्य सरकार से सभी सुविधाओं अर्थात् पानी, बिजली आदि का आनंद ले रहे थे। यद्यपि, उच्च न्यायलय के अनुदेश (जून 2019) के अनुसार उप आयुक्त गुलबर्ग को अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए थे (मार्च 2020) फिर भी कार्रवाई अभी भी की जानी थी।

4.1.4.2 पुरावशेषों की सुरक्षा: अमूल्य पुरावशेषों का अभिरक्षक होने तथा पूरे देश में फैले गतिविधियों के बावजूद भी एएसआई के पास इसके स्मारकों से पुरावशेषों की चोरी के विरूद्ध निवारण के रूप में कार्य करने हेतु कोई सतर्कता या निगरानी सैल नहीं था। जबकि केन्द्रीय पुरावशेष संग्रह (सीएसी) जो एएसआई के पास पुरावशेषों का सबसे बड़ा संग्रह है, ने भी हानि/क्षति का कोई मामला सूचित नहीं किया था इसलिए स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सकता था क्योकि 2006 पश्चात इसके पुरावशेषों की भौतिक जांच नहीं की गई थी। दिसंबर 2021 तक एएसआई ने 2015 से 2021 के दौरान इसके स्मारकों से 17 पुरावशेषों की चोरी की सूचना दी थी जिसमें से केवल तीन बरामद किए गए थे।

4.1.4.3 एएसआई में निगरानी प्रणाली: पिछले प्रतिवेदन ने एएसआई में अपर्याप्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को इंगित किया था। यह पाया गया था कि एक केन्द्रीकृत सूचना अथवा वास्तविक समय एमआईएस अभी भी एएसआई में मौजूद नहीं था (दिसबंर 2021)। मामला आधारित सूचना अर्थात् बागवानी, प्रकाशन, अदालत के मामले, गैर-पुरावशेष प्रमाणपत्र प्रदान करना, आदि को उनकी आवश्यकता के अनुसार फील्ड कार्यालयों से एकत्रित किया जा रहा था।

संसदीय स्थायी समिति ने एएसआई को एक एप्लीकेशन विकसित करने की सिफारिश की थी (मार्च 2021) जो उपभोक्ताओं को नियमों एवं विनियमों के उल्लघंन, दशहत की घटनाओं, अतिक्रमण, आदि की सूचना देने को अनुमति प्रदान करे। यह पाया गया था कि एएसआई के पास इसके स्मारकों पर अतिक्रमणों अथवा

गैर-कानूनी गतिविधियों पर आम जनता की आनलाईन शिकायतों को दर्ज करने तथा उनके निपटान की निगरानी हेतु कोई केन्द्रीकृत प्रणाली नहीं थी (दिसंबर 2021)।

यह भी पाया गया था कि एएसआई का संरक्षण पोर्टल, जो आम जनता को इसके सभी संरक्षण गतिविधियां प्रदर्शित करती है, का भी नियमित रूप से अद्यतित नहीं किया जा रहा था। मंत्रालय/एएसआई ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि इन गतिविधियों को इसके ईजीओवी पोर्टल पर शिफ्ट कर दिया गया है। तथापि, व्यवस्था के पश्चात एएसआई द्वारा किए गए गतिविधियों पर सूचना आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं थी।

इस चिंताओ के अतिरिक्त, एएसआई के कुछ सर्किल अर्थात् दिल्ली तथा आइजोल सर्किल की वैबसाईटों की गैर-मौजूदगी/कार्य न करना एएसआई में पारदर्शी तथा प्रभावी आईटी आधारित निगरानी प्रणाली के अभाव को दर्शाता है।

4.2 विरासत संरक्षण हेतु मानव संसाधन

एएसआई में मानव संसाधन की कमी, संवर्ग पुनर्गठन तथा रिक्तताओं का न भरना जैसा पिछले प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, से संबंधित मामलों की पीएसी द्वारा गंभीरता से जांच की गई *थी। पीएसी ने सिफारिश की थी कि एएसआई को अपनी पुर्नगठन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना चाहिए तथा वर्तमान रिक्तताओं को भरने के प्रयास करने चाहिए। पीएसी का तर्क था कि मामले को उच्चतम स्तर पर उठाने की आवश्यकता है।* पुनर्गठन प्रक्रिया के भाग के रूप में वित्त मंत्रालय ने एएसआई में अतिरिक्त पदो के सृजन (कुछ मौजूदा पदों को समाप्त करने के पश्चात्) का अनुमोदन प्रदान किया था (28 अप्रैल 2021)। एएसआई के मानव संसाधनों, जैसा पिछले प्रतिवेदन में उजागर किया गया था, की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान तथा पदो के पुनर्गठन के पश्चात् (जैसा जनवरी 2022 में मंत्रालय/एएसआई द्वारा सूचित किया गया) की तुलनात्मक स्थिति **तालिका 4.1** में दर्शाई गई हैः

तालिका 4.1: एएसआई की श्रमशक्ति

पदों का वर्गीकरण	संस्वीकृत कार्य बल			रिक्तता की प्रतिशतता		
	पिछली लेखापरीक्षा	अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान	पुनर्गठन के पश्चात्	पिछली लेखापरीक्षा	अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान	पुनर्गठन के पश्चात्
वर्ग ए	235	233	302	41.7	41.2	55.6
वर्ग बी	459	844	919	28.5	32.9	40.0
वर्ग सी	1599	1197	1354	21.4	30.7	49.1
वर्ग डी/एमटीएस	6152	6152	6152	30.5	27.8	41.1
कुल	**8445**	**8426**	**8727**	**28.9**	**29.1**	**42.7**

स्रोत: पिछली लेखापरीक्षा-सीएजी का प्रतिवेदन सं.18(2013), अनुवर्ती लेखापरीक्षा-संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन, मार्च 2020 तथा जनवरी 2022 में मंत्रालय/एएसआई को उत्तर

नोट: पिछली तथा अनुवर्ती लेखापरीक्षा की अवधि क्रमशः 2012-13 तथा 2020-21 थी।

तालिका 4.1 से यह देखा जा सकेगा कि एएसआई में समग्र रिक्तता स्थिति में सुधार नहीं हुआ था (लगभग 29 *प्रतिशत* पर स्थिर रही) तथा पुनर्गठन के पश्चात् अंतर आगे ओर बढ़ा। एएसआई की तीन मुख्य शाखा (अर्थात् संरक्षण, बागवानी तथा विज्ञान) जिसमें मुख्यतः तकनीकी पद (अर्थात् पुरातत्ववेता, इंजीनियर, बागवान तथा रसायनज्ञ) शामिल है, में रिक्तता की समान तुलना को **तालिका 4.2** के द्वारा दर्शाया गया है:

तालिका 4.2: एएसआई के तीन शाखाओं में रिक्तताएं

शाखा	संस्वीकृत कार्यबल			रिक्तता की प्रतिशतता		
	पिछली लेखापरीक्षा	अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान	पुनर्गठन के पश्चात्	पिछली लेखापरीक्षा	अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान	पुनर्गठन के पश्चात
संरक्षण	503	504	918	26.6	36.3	66.1
बागवानी	114	114	152	7.0	25.4	47.4
विज्ञान	140	135	134	12.1	29.6	35.1
कुल	**757**	**753**	**1204**	**21.0**	**33.5**	**60.3**

नोट: पिछली तथा अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं की अवधि क्रमशः 2012-13 तथा 2020-21 थी

जैसा उपर्युक्त दो **तालिकाओं** से देखा गया है कि रिक्तता स्थिति प्रबंधकीय स्तरों तक तथा सभी शाखाओं में आगे और बिगड़ी थी।

जैसा पिछले प्रतिवेदन में पहले ही उल्लेख किया गया, स्टाफ की कमी का एएसआई के निष्पादन तथा आउटपुट पर प्रतिकूल प्रभाव था। दिल्ली सर्किल में यह पाया गया था कि 24 स्मारकों तक की देखरेख केवल एक सरंक्षण सहायक (कश्मीरी गेट उप-सर्किल) द्वारा की गई थी। इसी प्रकार, धारवाड़ सर्किल के ऐहोल तथा बदामी उप-सर्किल में क्रमशः 70 तथा 31 स्मारको की देख रेख एक ही सरंक्षण सहायक द्वारा की जा रही थी। मुबंई सर्किल में, स्थायी स्टाफ की कमी के कारण टिकट कांउटरों पर बिक्री/प्राप्तियों को संभालने के लिए अस्थायी/तकनीकी स्टाफ का उपयोग किया गया था। इसी प्रकार कोलकाता सर्किल में, स्मारक सहायकों के 41 प्रतिशत पद रिक्त थे। स्टाफ की कमी स्मारकों के दुरुपयोग तथा अतिक्रमण की घटनाओं का कारण भी बनी जैसा नीचे दर्शाया गया हैः

तमलुक राजबती, पश्चिम बंगाल में घोड़ा बंधा पाया गया	**अर्धनारी नटेश्वर मंदिर, सोलापुर, महाराष्ट्र में पशु आश्रय**

पीएसी ने मंत्रालय को एएसआई में सभी रिक्त पदों को भरने के संगठित प्रयास करने तथा छः माह के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।

मंत्रालय/एएसआई ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि रिक्तता स्थिति, पर पीएसी द्वारा की गई अभ्युक्तियां जैसी तालिका में दर्शाई गई है, यद्यपि वास्तव में सही थी फिर भी यह अधिकांशतः यूपीएससी/एसएससी के माध्यम से प्रत्यक्ष नियुक्ति कोटा (89 *प्रतिशत*) के कारण थी जिससे इन्हें नियमित रूप से सूचित किया जा रहा था। एएसआई ने यह भी सूचित किया कि इसने अपने कार्यालयों में सभी संर्वगों में कार्यबल को मजबूती प्रदान करने हेतु एक आंतरिक पुनर्गठन दस्तावेज तैयार किया था। पीएसी की सिफारिश तथा एएसआई में रिक्तताओं को भरने में काफी विलम्ब को ध्यान में रखते हुए विरासत सुरक्षा में मानव संसाधन

बाधाओं का समाधान करने हेतु उच्चतम स्तर पर संगठित प्रयासों की आवश्यकता है।

4.2.1 पुरातत्व तथा संग्रहालय संबंधी गतिविधियों में क्षमता निर्माण

एनपीसी-एएमएएसआर प्रशिक्षित तथा कुशल संरक्षकों, कारीगरों तथा शिल्पकारों, जो संरक्षण गतिविधियों की विविधता में लगे या से अवगत होने चाहिए, के एक पूल को विकसित, अनुरक्षित तथा नियमित रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता पर जोर डालता है। *पीएसी ने एएसआई को अपने तकनीकी स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकता तथा इसके अधिकारियों की क्षमता निर्माण का निपटान करने की भी सिफारिश की थी।* पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान (पीडीयूआईए) तथा राष्ट्रीय स्मारक संस्थान (एनएमआई) पुरातत्व, इतिहास, भूविज्ञान नृविज्ञान तथा संग्रहालय विज्ञान में उच्च शिक्षा प्रदान करने तथा व्यवसायिक श्रमशक्ति का निर्माण करने हेतु मंत्रालय के दो प्रधान संस्थान हैं। पुरातत्व संस्थान, एएसआई की क्षमता निर्माण हेतु नोडल कार्यालय, पुरातत्व के क्षेत्र में सेवा कर्मियों हेतु लघुअवधि व्यवसायिक प्रशिक्षण-सह-कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पत्ति सरंक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला भी छःमाही संरक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करती है।

यह पाया गया था कि पुरातत्व संस्थान में सभी 45 पद (विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत) जैसा पिछले प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था भरे नहीं गए थे तथा नियुक्ति नियमावली तैयार करने में विलम्ब के कारण समाप्त हो गए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्मारक संस्थान में उच्चतर अध्ययनों हेतु नामांकन उपलब्ध नहीं थे। 2013 तथा 2015-17 के दौरान इतिहास संरक्षण तथा संग्रहालय विज्ञान में इसके पीएचडी (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) स्तर के पाठ्यक्रमों में किसी भी छात्र को दाखिला नहीं दिया गया था। इस संबंध में, एनएमआई ने बताया (दिसबंर 2021) कि एक प्रध्यापक के अधीन पीएचडी छात्रों की संख्या को सीमित करने वाले यूजीसी के विनियमों, तीन एनएमआई पीएचडी पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण केवल पांच शिक्षण संकायो की उपलब्धता तथा अनुसंधान कार्य को पूरा करने हेतु तीन वर्षों के न्यूनतम समय के कारण वह प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम हेतु आवेदन आंमत्रित करने की स्थिति में नहीं था।

भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना (*पैरा 1.3 का संदर्भ लें),* से यह प्रत्याशित है कि विरासत संरक्षण हेतु तकनीकी क्षमताओं में कमियों का निपटान किया जाएगा। मंत्रालय ने एक प्रेस वक्तव्य (जुलाई 2021) में भी बताया था कि संस्थान की स्थापना भारत की बहुमूल्य विरासत तथा इसके संरक्षण[17] में उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान को प्रभावित करेगी। एएसआई ने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि वह अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम को आगे और मजूबत कर रहा था।

4.2.2 संग्रहालयों का श्रमशक्ति प्रबंधन

पिछले प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया था कि सभी राष्ट्रीय संग्रहालयों में कम स्टाफ थे। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान संग्रहालयों में संस्वीकृत कार्यबल तथा रिक्त पदो के विवरण **तालिका 4.3** में दिए गए है:

तालिका 4.3: राष्ट्रीय संग्रहालयों में रिक्तताएं

संग्रहालय	पिछली लेखापरीक्षा			अनुवर्ती लेखापरीक्षा		
	संस्वीकृत कार्यबल	रिक्तता	रिक्तता की प्रतिशतता	संस्वीकृत कार्यबल	रिक्तता	रिक्तता की प्रतिशतता
राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	276	122	44.2	174	36	20.7
सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	166	39	23.5	140	46	32.8
भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	209	60	28.7	209	123	58.9
विक्टोरिया स्मारक हॉल, कोलकाता	176	53	30.1	175	94	53.7
एशियाटिक सोसाईटी, कोलकाता	257	45	17.5	254	81	31.9

[17] संस्थान की पुरातत्व संस्थान, भारत के राष्ट्रीय पुरालेख के अधीन पुरालेख अध्ययन विद्यालय, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के शैक्षणिक स्कंध को एकीकृत करके नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थापना की जा रही है।

जैसा उपरोक्त **तालिका** से देखा गया है कि राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली को छोड़कर अन्य राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों में रिक्तता की स्थिति आगे और बिगड़ी थी।

4.3 एएसआई में सर्किल तथा अन्य कार्यालयों का कार्यचालन

स्मारकों का संरक्षण एक बहु-विषयी प्रक्रिया है जो स्वयं को स्मारक की संरचना/निर्माण के भीतर हस्तक्षेप तक सीमित नहीं कर सकती है बल्कि इसमें इसके अस्तित्व से स्थापना अथवा पर्यावरण अंगभूत की सुरक्षा तथा अनुरक्षण भी शामिल है। जबकि एएसआई की अधिकांश अनिवार्य संरक्षण संबंधित क्रियाकलाप इसके सर्किल कार्यालयों के माध्यम से किए जाते हैं; फिर भी बागवानी तथा रसायन संरक्षण हेतु विशिष्ट शाखाओं की स्थापना की गई है। इन कार्यालयों के कार्यचालन से संबंधित मामलों की नीचे चर्चा की गई हैः

4.3.1 सर्किल कार्यालय: एएसआई 37 सर्किल कार्यालयों[18] (आगे उप-सर्किल में विभाजित किया गया) के माध्यम से कार्य करता है तथा उनके कार्यचालन से संबंधित मामलों की इस प्रतिवेदन के विभिन्न भागों में चर्चा की गई है। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया था कि विरासत संरक्षण गतिविधियों से संबंधित सूचना/अभिलेख अर्थात् किए गए संरक्षण निर्माण कार्य की प्रवृत्ति, किया गया व्यय, फोटोग्राफ, अतिक्रमण मामलों के ब्यौरे आदि, संबंधित स्मारक अथवा सब-सर्किल के स्थान पर सर्किल कार्यालय में उपलब्ध थे। इस प्रकार, एएसआई के सर्किल कार्यालयों को एक विशिष्ट स्मारक की प्रशासन/संरक्षण संबंधित सूचना का भारी काम सौंपा गया था। पीएसी तथा नीति आयोग ने भी सूचित किया था कि एएसआई के सर्किल कार्यालयों के तकनीकी स्टाफ पर अदालती मामलों को संभालने सहित प्रशासनिक कार्य का भार डाला गया है।

जैसा पीएसी द्वारा पाया गया कि इन अतिरिक्त उत्तरदायित्वों ने एएसआई स्टाफ (पहले ही कार्यबल में कमी) के पास विरासत संरक्षण की उनके प्रधान उत्तरदायित्व हेतु उपलब्ध समय को काफी कम किया।

[18] जनवरी 2022 को स्थिति

4.3.2 विज्ञान शाखा: एएसआई की विज्ञान शाखा स्मारकों/उत्खन्नीत की गई वस्तुओं के रासायनिक संरक्षण/उपचार तथा चयनित स्मारकों में वायु-गुणवत्ता निगरानी मे लगी थी। कार्य को प्रभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। विज्ञान शाखा के कार्यचालन से संबंधित मामले नीचे दिए गए हैः

- विज्ञान शाखा के पश्चिमी क्षेत्र, औरंगाबाद, में विशिष्ट दिशानिर्देशों या मापदण्ड के अभाव के कारण कई स्मारकों में रासायनिक उपचार नहीं किया गया था।
- भुवनेश्वर सर्किल में, विज्ञान शाखा ने 2014-15 से 2019-20 के दौरान रासायनिक उपचार/सफाई की आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु कभी भी 44 स्मारको का निरीक्षण नहीं किया था।
- विज्ञान शाखा के दिल्ली क्षेत्र कार्यालय के संबंध में, कार्यालय पहले लाल किले में स्थित था, को एएसआई द्वारा इसकी प्रयोगशाला सहित ग्रेटर नोएडा में, इसकी प्रयोगशाला[19] को वहां स्थापित करने के प्रावधान को सुनिश्चित किए बिना, शिफ्ट कर दिया था (जून 2019)। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय कार्यालय इसके उपकरण को फिर से वापस लाल किले में शिफ्ट करके अस्थायी प्रयोगशालाओं से कार्य कर रहा था (जनवरी 2021)।
- इसी प्रकार, मैसूर-कार्यालय में, रासायनिक उपचार की आवश्यकता का पता लगाने हेतु औसतन 18 वार्षिक निरीक्षण (अर्थात् बैंगलूरू तथा हम्पी सर्किल के अधीन 218 स्मारकों का 8.65 प्रतिशत) किए गए थे। परिणामस्वरूप, 191 स्मारकों का 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान रसायनिक उपचार नहीं किया गया था।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि कार्यालय विज्ञान शाखा, दिल्ली को प्रभावी निगरानी हेतु अब दिल्ली में स्थापित किया गया था। उसने यह भी प्रस्तुत किया कि रासायनिक संरक्षण हेतु स्मारकों का चयन संबंधित सर्किल की सलाह से उनकी आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया गया था।

[19] पुरालेख संरक्षण प्रयोगशाला तथा पुरावशेष उपचार प्रयोगशाला

4.3.3 बागवानी शाखा: एएसआई की बागवानी शाखा, अपने चार प्रभागों के साथ, दो प्रकार के उद्यानों (i) स्मारक जिनके आस पास, उनके मूल डिजाईन के भाग के रूप में, उद्यान हैं, तथा (ii) स्मारकों/सरंचना के परिदृश्य, जो उनकी मूल परिकल्पना का भाग नहीं है, के सौंदर्यकरण हेतु उद्यान के रख-रखाव के कार्य में लगा था। शाखा, जो दिल्ली तथा आगरा में स्मारकों के आस पास स्थित आठ उद्यानों के साथ 1950 में अस्तित्व में आई, अब 25 विरासत उद्यानों सहित 583 उद्यानों का रखरखाव करती है। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान एएसआई की बागवानी शाखा में कम-स्टाफ (तालिका 4.2 का संदर्भ लें) पाया गया था तथा रिक्तता प्रतिशतता पिछले प्रतिवेदन की तुलना में 7 से 25 तक बढ़ी थी। यह भी पाया गया था कि बागवानी शाखा से स्मारक स्थलों, जिसमें उनके मूल डिजाईन के अनुसार उद्यान शामिल थे, के संबंध में सूचना प्राप्त करने में सर्किल कार्यालयों द्वारा परामर्श नहीं किया जा रहा था (*विरासत उद्यानों के रखरखाव से संबंधित मामलों के लिए पैरा 7.2.3 का संदर्भ लें*)। मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी/फरवरी 2022) कि बागवानी निर्माण कार्य, जब कभी पुरातात्विक स्थलों पर किया गया, का उद्यान शाखा तथा सर्किल कार्यालय के प्रभारी द्वारा सौहार्दपूर्ण निर्णय लिया गया था। उसने सूचित किया कि बागवानी प्रभाग के पुनर्गठन के अलावा सर्किल कार्यालयों के साथ उसके सामंजस्य को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त आदेश जारी किए गए है।

4.3.4 पुरालेख शाखा: एएसआई की पुरालेख शाखा पत्थर या धातु की मेज या मिट्टी की चट्टानों पर पाई गई शिलालेखों के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या का कार्य करती है। पत्थर, तांबे की प्लेट तथा अन्य सामग्रियों पर शिलालेखों (संस्कृत, द्रविड़ तथा अन्य भाषाओं में लिखे) के स्पष्टीकरण तथा लिप्यंतरण के पश्चात इन्हें भारतीय पुरालेख पर वार्षिक प्रतिवेदन में सूचीबद्ध किया जाता है। जैसा पिछले प्रतिवेदन में इंगित किया गया कि पुरालेख शाखा से संबंधित कोई अधिनियम/नियमावली/दिशानिर्देश नहीं था। इसके अतिरिक्त, पुरालेख निदेशालय, मैसूर में निदेशक का पद 2006 से रिक्त था। इसके साथ पुरालेख अधीक्षक (संस्कृत), पुरालेख उप-अधीक्षक (द्रविड़) तथा पुरालेख उप-अधीक्षक (संस्कृत) के पद भी रिक्त थे जिसका परिणाम शाखा में कार्य की धीमी प्रगति में हुआ। शाखा के वर्ष 2005-06 से 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन हेतु लंबित थे। पुरालेख शाखा के न बिके हुए प्रकाशन में भी ₹53.17 लाख (पहले सूचित किए गए) से ₹76.54

लाख तक की वृद्धि हुई थी। मंत्रालय/एएसआई ने अपने उत्तर में पुरालेख शाखा में रिक्तता को भरने के प्रति किए गए कुछ प्रयासों अर्थात् पदोन्नति तथा पदों का विज्ञापन के ब्यौरे प्रदान किए (जनवरी 2022)।

4.3.5 प्रकाशन प्रभाग: एएसआई का प्रकाशन प्रभाग, जो अपने 107 बिक्री काउंटरो के माध्यम से कार्य कर रहा है, में सीपीएम में प्रकाशन कांउटर खोलने/बंद करने की कोई नीति नहीं थी। 14 एएसआई सर्किल (कुछ विश्व विरासत स्थल वाले) में प्रकाशन कांउटर उपलब्ध[20] नहीं थे। *ताज महल*, आगरा, जो अपने दो गेट (पूर्वी तथा पश्चिमी) के द्वारा संचालन कर रहा है तथा दर्शकों की अधिकतम संख्या को आकर्षित करता है, में केवल इसके पूर्वी गेट पर एक बिक्री कांउटर था। इसी प्रकार, कई स्मारकों तथा बड़ें पर्यटन आकर्षण वाले जयपुर सर्किल में केवल एक प्रकाशन कांउटर था। दूसरी ओर, शून्य या निम्न बिक्री के बावजूद कुछ मौजूदा प्रकाशन काउंटर बने हुए थे। कोलकाता सर्किल में प्रकाशनों की कम बिक्री का परिणामस्वरूप 2014-15 से 2019-20 के दौरान बिना संयुक्त सत्यापन के ₹15.80 करोड़ (मार्च 2020) के न बिके प्रकाशन के संचयन हुआ था। मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि इसके पास सभी डब्ल्यूएचएस के परिसरों सर्किल में कम से कम एक में बिक्री कांउटर की स्थापना का प्रावधान था। तथापि उत्तर के कुछ सर्किल में किसी भी प्रकाशन कांउटर के अभाव के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मौन था। एएसआई ने पूरे देश में एएसआई प्रकाशन के सभी बिक्री कांउटरों पर विचार करने तथा इस प्रयोजन हेतु तैयार किए जा रहे सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिक्री/भण्डार की निगरानी के अपने निर्णय के संबंध में सूचित किया (फरवरी 2022)। ताज महल में बिक्री कांउटरों के संबंध में उसने सूचित किया कि इसका स्थान दोनों गेटों से दर्शको के लिए उपयुक्त था। एएसआई ने यह भी प्रस्तुत किया कि कोलकाता सर्किल में प्रकाशन का सत्यापन स्टाफ की कमी के कारण विलंबित था तथा इसे अंततः 2021 में किया गया था।

[20] आईजोल, अमरावती, हम्पी, जबलपुर, झांसी, जोधपुर, लेह, मेरठ, नागपुर, रायगंज, राजकोट, रांची, सारनाथ, तथा तिरुचिरापल्ली (फरवरी 2021 में स्थिति)। जनवरी 2011 में सूचित किए गए बिक्री कांउटरों की संख्या 111 थी।

4.4 राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति

एनएमए को एक अध्यक्ष, पांच पूर्ण-कालिक सदस्यों, पांच अंशकालिक सदस्यों तथा एक सदस्य सचिव के माध्यम से कार्य करना अनिवार्य था। एनएमए के विभिन्न पदों को न भरना पिछले प्रतिवेदन में एक ध्यानाकर्षण क्षेत्र था। इस संबंध में, *पीएसी ने मंत्रालय को एक समय-बाधित ढ़ंग से महत्वपूर्ण पदों में रिक्तताओं को भरने हेतु एक उपयुक्त प्रणाली विकसित करने को भी कहा था।* अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि एनएमए में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक सदस्यों के 80 प्रतिशत पद रिक्त[21] थे। इस संबंध में, एनएमए ने बताया (दिसंबर 2020) कि वह रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में था। तथापि, दिसंबर 2021 में, स्थिति का अद्यतन करते समय एनएमए ने सूचित किया कि केवल एक अंशकालिक सदस्य तैनात था तथा कोई पूर्णकालिक सदस्य नहीं था। एनएमए में सदस्यों के इस अभाव ने आगे इसके अनिवार्य गतिविधियों को भी प्रभावित किया (पैरा 3.2 का सदंर्भ लें)।

निष्कर्ष:

- *कुछ निश्चित विचारणीय विषयों, जैसे विरासत संरक्षण हेतु कार्ययोजना/रोड मैप की आवश्यकता, केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन, रिक्तताओं को भरना, निगरानी तथा शिकायत समाधान प्रणाली की मौजूदगी आदि का विरासत प्रबंधन में उन्नत कार्य पर्यावरण हेतु मंत्रालय/एएसआई द्वारा निपटान किए जाने की आवश्यकता है।*
- *शासन, मानव संसाधनों तथा एएसआई के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों का कार्यचालन से संबंधित मामले इसके संचालन में बाधा डालते हैं।*
- *सरकार के तत्काल निर्णयों का एएसआई में अतिरिक्त पदों के सृजन करने तथा भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना का निर्णय विरासत प्रबंधन में कार्यबल तथा तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा।*

[21] पूर्णकालिक सदस्यों के संबंध में पद 2019 से रिक्त थे जबकि अंशकालिक सदस्यों के संबंध में रिक्तता की अधिकतम अवधि जनवरी 2014 से थी।

वित्तीय प्रबंधन

नालंदा (बिहार)

अध्याय 5: वित्तीय प्रबंधन

भारतीय सांस्कृतिक विरासत न केवल उसके अतीत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है बल्कि पर्यटन तथा स्थानीय विकास के माध्यम से रोजगार तथा आय सृजन का अवसर भी प्रदान करती है। तद्नुसार, मंत्रालय विरासत संरक्षण के लिए एएसआई तथा संग्रहालयों को निधियों का आबंटन करता है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के माध्यम से बाह्य बजटीय वित्त पोषण हेतु राष्ट्रीय संस्कृति निधि एवं एक विरासत अपनाएं की परियोजना भी आरम्भ की गई हैं।

5.1 व्यय तथा संरक्षण गतिविधियों से प्राप्तियां

2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान एएसआई का समग्र व्यय, संरक्षण संबंधी गतिविधियों पर व्यय तथा स्मारकों से प्राप्तियां और वार्षिक प्रतिशतता वृद्धि को **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: एएसआई का व्यय तथा प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	एएसआई का समग्र व्यय		संरक्षण, अनुरक्षण, सुविधाओं आदि पर व्यय		टिकट आदि[22] से अर्जित राजस्व	
2014-15	680.05	629.27		247.23		102.23	
2015-16	712.28	686.96	(9.2)	251.31	(1.7)	103.38	(1.1)
2016-17	680.63	768.70	(11.9)	311.25	(23.9)	227.55	**(120.1)**
2017-18	924.37	939.94	(22.3)	424.46	(36.4)	256.63	(12.8)
2018-19	974.56	962.17	**(2.4)**	419.81	**(-1.1)**	322.83	(25.8)
2019-20	1036.40	1003.4	**(4.3)**	444.84	**(6.0)**	343.61	(6.4)
2020-21	1246.75	849.94	(-15.3)	272.50	(-38.7)	47.62	(-86.1)

नोट: 1. पिछले वर्ष के संदर्भ में वार्षिक प्रतिशतता वृद्धि के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाये गए हैं।
2. संरक्षण व्यय में अनुरक्षण तथा सुविधाओं पर व्यय शामिल है।
3. 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण एएसआई के स्मारक संबंधी गतिविधियां कम थीं।

2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान संरक्षण, अनुरक्षण तथा जन सुविधाओं संबंधित गतिविधियों पर एएसआई का औसत व्यय इसके समग्र व्यय के लगभग 40 प्रतिशत था। जैसा कि **तालिका 5.1** से स्पष्ट है कि 2017-18 के पश्चात् एएसआई

[22] टिकटों की बिक्री, प्रकाशन, बागवानी आदि से प्राप्तियों को शीर्ष 0202-04-800 (कला एवं संस्कृति) के अंतर्गत भारत की समेकित निधि में अन्य प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया गया।

का समग्र व्यय तथा विरासत सुरक्षा पर इसका व्यय मध्यम था। एएसआई का बजटीय आबंटन 2020-21 में ₹1246.75 करोड़ से 2021-22 में ₹1042.63 करोड़ तक कम हुआ था।

जैसा कि पिछले प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, एएसआई जागरूकता, निर्वचन तथा जन सुविधाओं के सृजन से संबंधित गतिविधियों हेतु विशिष्ट बजट नहीं रख रहा था। इन खातों पर व्यय संरक्षण गतिविधियों हेतु आंबटित निधियों से किया जा रहा था। मंत्रालय/एएसआई ने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि जागरूकता तथा निर्वचन केन्द्रों हेतु निधि की आवश्यकता को इसके द्वारा क्रमशः बजट शीर्षों 'विज्ञापन एवं प्रचार' तथा संग्रहालय एवं संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से पूरा किया गया था। तथ्य यह है कि जन सुविधाओं हेतु विशिष्ट बजट शीर्ष के अभाव में विरासत संरक्षण पर वास्तविक व्यय की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

यह भी पाया गया था कि सर्किल ने स्मारकों पर बुनियादी सुविधायें प्रदान करने हेतु व्यापक योजनाएं तैयार नहीं की थीं जिसके परिणामस्वरूप इन सुविधाओं का अभाव रहा जैसा कि प्रतिवेदन के अनुवर्ती भाग में चर्चा की गई है।

एएसआई द्वारा प्रवेश शुल्क में संशोधन (अप्रैल 2016) तथा ई-टिकटिंग प्रक्रिया के प्रारंभ (दिसम्बर 2015) के फलस्वरूप राजस्व में 2016-17 के दौरान 120 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जिसने प्राप्तियों में बेहतर लेखांकन तथा पारदर्शिता प्रदान की। हालांकि राजस्व में यह वृद्धि टिकट दरों में बाद के संशोधन (अगस्त 2018 में) तथा टिकट वाली श्रेणी में 27 अधिक स्मारकों को शामिल करने (अप्रैल 2019 में) के पश्चात नहीं देखी गई थी। प्राप्ति में असमान वृद्धि के कारण पर उत्तर में एएसआई ने प्रस्तुत किया (जनवरी 2022) कि यह मिलान प्रक्रिया में खामियों के कारण हो सकता है। उसने आगे सूचित किया कि आवश्यक कदम उठाए जा चुके है तथा ई-टिकटिंग राजस्व प्राप्तियों का मिलान करने हेतु उनका आगे सुधार किया जा रहा था।

5.1.1 उत्खनन तथा अन्वेषण पर व्यय

एएसआई के दो मुख्य कार्य संरक्षण तथा जांच हैं। उत्खनन तथा अन्वेषण फील्ड पुरातत्व के मुख्य अनुसंधान घटक हैं। *पीएसी ने पाया था कि एएसआई उत्खनन*

तथा अन्वेषण गतिविधियों पर अपने व्यय के एक प्रतिशत से कम खर्च कर रहा था। उसने इन गतिविधियों हेतु पर्याप्त आबंटन तथा निधियों के प्रभावी उपयोग की अनुशंसा की। मंत्रालय ने भी प्रथम चरण में अन्वेषण/उत्खनन गतिविधियों पर बजट को कुल बजट के पांच प्रतिशत तक बढ़ाने के अपने निर्णय के संबंध में पीएसी को सूचित किया। 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान उत्खनन तथा अन्वेषण गतिविधियों पर एएसआई द्वारा किए गए व्यय को नीचे **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: उत्खनन तथा अन्वेषण गतिविधियों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
एएसआई का समग्र व्यय	629.27	686.96	768.70	939.94	962.17	1003.40	849.94
उत्खनन तथा अन्वेषण पर व्यय	4.34	5.48	3.61	5.29	6.18	3.56	2.48
व्यय प्रतिशतता	0.69	0.80	0.47	0.56	0.64	0.35	0.29

हालांकि, जैसा **तालिका 5.2** से स्पष्ट है कि उत्खनन तथा अन्वेषण गतिविधियों पर एएसआई का व्यय अभी भी इसके कुल व्यय के एक प्रतिशत से कम था तथा वास्तव में यह 2015-16 में 0.80 *प्रतिशत* से 2019-20 में 0.35 प्रतिशत तक कम हो गया। एएसआई ने बताया (दिसंबर 2021) कि 2020-21 के दौरान, वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर लगाई गई सीमा के कारण उत्खनन तथा अन्वेषण गतिविधियों पर व्यय को घटाया गया था। आगे, जनवरी 2022 में, मंत्रालय/एएसआई ने बताया कि आबंटन को बढ़ाने के लिए की गई अनुशंसाओं को ध्यान में रखा गया था। तथापि, कोविड-19 परिस्थिति के कारण कार्य की गति को तीव्र नहीं किया जा सका था। एएसआई ने कहा कि अब वह नियमित बजट का पुनर्विनियोजन करके तथा वर्ष 2021-22 से आवंटन को बढ़ाकर उत्खनन पर ध्यान केन्द्रित कर रहा था। तथ्य है कि उत्खनन गतिविधियों पर व्यय को बढ़ाने के संबंध में मंत्रालय/एएसआई द्वारा पीएसी को सूचित प्रतिबद्धता को 2014-15 से 2020-21 के दौरान सम्मानित नहीं किया गया था।

5.1.2 विरासत संरक्षण हेतु बाह्य बजटीय वित्तपोषण

राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना नवम्बर 1996 में मंत्रालय द्वारा विरासत संरक्षण[23] हेतु निजी तथा लोक क्षेत्रों के बीच साझेदारी स्थापित करने तथा परिपोषण के प्राथमिक अधिदेश के साथ की गई थी। यह धारणा पिछली कार्यान्वयन नीतियों से अलग थी जो देश में संस्कृति सम्बन्धित प्रयासों के लिए सरकार को पूरी तरह से अकेला जिम्मेदार मानती थी। एनसीएफ का एक उद्देश्य स्मारकों के संरक्षण, अनुरक्षण, प्रोत्साहन, सुरक्षा, प्रतिरक्षण तथा उन्नयन हेतु अपनी निधियों का प्रबंध तथा प्रयोग करना था। *पीएसी ने सिफारिश की थी कि स्मारक स्थलों पर संरक्षण तथा आंगुतक सुविधाओं के वित्तपोषण में अधिक कॉर्पोरेट समूहों तथा व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एएसआई तथा एनसीएफ के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।* 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान एनसीएफ के अंतर्गत निधियों (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)[24] के अंतर्गत निधियों सहित) की उपलब्धता तथा उपयोग को **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है:

[23] परियोजनाओं को प्रायोजित करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत एनसीएफ द्वारा शत *प्रतिशत* कर की छूट प्रदान की गई थी।

[24] कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व-कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार-किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान रुपये पांच सौ करोड़ या अधिक के निवल मूल्य, अथवा रुपये एक हजार करोड़ या अधिक के कारोबार अथवा रुपये पांच करोड़ या अधिक के निवल लाभ वाली प्रत्येक कम्पनी यह सुनिश्चित करेगी कि कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपनी कोर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अनुसरण में गतिविधियों, जैसे अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, पर तीन ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त कम्पनी के औसतन निवल लाभों का कम से कम दो प्रतिशत का व्यय करती है। 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान सीएसआर के अंतर्गत ₹121412 करोड़ के कुल व्यय में से केवल ₹2489 करोड़ विरासत, कला एवं संस्कृति पर उद्दिष्ट किया गया गया था तथा ₹53.26 करोड़ एनसीएफ/एएसआई से प्राप्त हुआ था। (*स्रोतः सीएसआर पोर्टल-कोर्पोरेट मामले मंत्रालय*)

तालिका 5.3: एनसीएफ की निधियों की उपलब्धता तथा उपयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण		13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
वर्ष के अंत में शेष निधि	कोर्पस*	39.19	41.33	43.69	46.15	47.77	50.52	54.33	56.71
	एडोमेंट	15.06	14.95	23.91	25.08	26.49	64.53	58.83	19.15
	कुल	54.25	56.28	67.60	71.23	74.26	115.05	113.16	75.86
के प्रति वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधियां	प्रशा.	1.00	0.85	0.92	0.71	0.36	0.77	0.56	0.33
	एनसीएफ के उद्देश्य	2.32	2.48	3.77	1.32	4.45	8.12	40.61	10.25
एनसीएफ के उद्देश्यों के प्रति निधियों का प्रतिशतता उपयोग/ कुल		4.28	4.41	5.58	1.85	5.99	7.06	35.89	13.51

* ₹19.50 करोड़ का प्राथमिक कोर्पस, उस पर अर्जित ब्याज तथा आधिक्य शामिल है।

तालिका 5.3 से यह देखा जा सकता है कि एनसीएफ के प्राथमिक कोर्पस (अर्थात् ₹19.50 करोड़) में (मार्च 2021 को समाप्त अवधि तक) ₹56.71 करोड़ तक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि, वर्ष 2019-20 को छोड़कर, कोर्पस में उपलब्ध निधियों का प्राथमिक रूप से प्रयोग इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं किया जा रहा था तथा एनसीएफ के उद्देश्यों के प्रति उपलब्ध निधियों का उपयोगिता *प्रतिशता* भी कम था। पिछले प्रतिवेदन में, यह सिफारिश की गई थी कि एएसआई को एनसीएफ के माध्यम से पूरी होने वाली अपनी परियोजनाओं की प्राथमिकता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा इस प्रयोजन के लिए निधियों के एक व्यापक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तथापि, एनसीएफ की निधियों का निरंतर संचयन लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को अनदेखा करते हुए ऐसे समन्वय तथा योजना के अभाव को दर्शाता है।

मंत्रालय/एएसआई ने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि एनसीएफ तथा एएसआई के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किए गए लगभग 50 कार्यों के शेल्फ

को भावी प्रायोजकों के साथ साझा किया जाएगा। लम्बे समय से लंबित परियोजना कार्यान्वयन समिति की बैठकों, का भी नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा था।

5.1.3 विरासत गतिविधियों हेतु अन्य वित्तपोषण प्रबंधन

नीति आयोग की (अगस्त 2017 में जारी) तीन वर्षीय (2017-20) कार्य एजेंडा रिपोर्ट उल्लेख करती है कि हमारी संस्कृति तथा प्राचीन सभ्यता के बारे में और अध्ययन करने के लिए बड़ी संख्या में विदेशियों के भारत मे आने के बावजूद वित्तपोषण का निम्न स्तर तथा सग्रंहालयों एवं विरासत स्थलों का खराब अनुरक्षण उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास कराने से वंचित करता है।

इस संबंध में, 'एक विरासत अपनाएं' परियोजना, विरासत स्थलों/स्मारकों के विकास तथा उन्हे पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय (संस्कृति मंत्रालय तथा एएसआई के साथ घनिष्ठ सहयोग से) की गई एक मुख्य पहल है। *अपनी धरोहर-अपनी पहचान* के अंतर्गत एएसआई ने सीपीएम में आगंतुक सुविधाओं का विकास/अनुरक्षण करने हेतु निजी निकायों के साथ अनुबंध किया। *स्मारक मित्र* के रूप में जाने वाले यह निकाय, स्मारक के गैर-प्रमुख क्षेत्रों में पर्यटक सुविधाओं के संचालन, अनुरक्षण तथा सुधार के लिए उत्तरदायी है।

मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे उपनियम में गैर-मुख्य गतिविधियों के लिए पीपीपी मोड के माध्यम से निजी निकायों की भागीदारी हेतु पर्याप्त अवसर की खोज एवं पर्याप्त अवसर उपलब्ध भी करना चाहिए।

5.2 एएसआई में वित्तीय-प्रबंधन

एएसआई पूरे देश में फैले हुए अपने सर्किल तथा अन्य फील्ड कार्यालयों के माध्यम से संचालन करता है जिसके पास संरक्षण संबंधित कार्यों हेतु प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां है। यह फील्ड इकाईयां व्यय करने के अलावा टिकटों की बिक्री, फोटोग्राफी/इवेंट की अनुमतियों, प्रकाशनों आदि के कारण भी नकद प्राप्त कर रहे थे। इस संबंध में निम्नलिखित प्रसंग एएसआई में कमजोर व्यय प्रबंधन को दर्शाते हैः

- एएसआई मुख्यालय के पास मामले का निरंतर अनुसरण किए जाने के बावजूद भी 2015-16 से 2018-19 तक के व्यय-आंकड़ों के मिलान पर जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

- एएसआई के फील्ड कार्यालयों में ऐसे उदाहरण थे जहां संस्वीकृति प्राधिकारी ने ही आहरण एवं वितरण प्राधिकारी के कार्य भी किए थे। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा 2007 के पश्चात् एएसआई की आंतरिक लेखापरीक्षा भी नहीं की गई थी।

- लेखापरीक्षा द्वारा अनुरक्षण तथा संरक्षण गतिविधियों पर व्यय के गलत विवरणों[25] को पाया गया जो संरक्षण गतिविधियों पर व्यय के संदर्भ में एएसआई के गलत लेखांकन को दर्शाता है।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि व्यय का पिछला मिलान लेखा कार्यालयों के साथ संबंधित सर्किल द्वारा किया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 से एएसआई मुख्यालय द्वारा भी इस कार्य की निगरानी की जा रही थी।

5.2.1 एएसआई में वित्तीय अनियमितताएं

मुख्य संरक्षण गतिविधियों पर स्वंय को केन्द्रित करने के लिए एएसआई ने कुछ गैर-मुख्य निर्माणकार्यों अर्थात् (i) सीमा दीवारों, शौचालय ब्लॉकों का निर्माण तथा (ii) *आदर्श* स्मारकों में अन्य जन सुविधाओं का विकास को क्रमशः सितंबर 2016 तथा मार्च 2018 में चार लोक क्षेत्र उपक्रमों[26] (पीएसयू) को सौंपा था। वित्त मंत्रालय[27] द्वारा ₹500 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं/योजना के लिए जारी अनुदेशों के अनुसार व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा मूल्यांकन तथा वित्त मंत्री का अनुमोदन की आवश्यकता थी। हालांकि इन दोनों परियोजनाओं की लागत ₹500

[25] दिल्ली सर्किल ने एक ही अवधि (जनवरी 2020 तथा जनवरी 2021 में) के लिए एक ही स्मारक हेतु अलग व्यय प्रदान किए। इसके अतिरिक्त, बिजली एवं जल आपूर्ति प्रभारों तथा कार्यालय उन्नयन के कारण व्यय को सरंक्षण गतिविधियों में दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, मुंबई सर्किल में आगाखान पैलेस पर किए गए प्रशासनिक व्यय को वार्षिक मरम्मत व्यय के रूप में माना गया था।

[26] वैपकोस, टीसीआईएल, एनपीसीसी तथा एनबीसीसी

[27] ज्ञा.सं. 24(35)/पीएफ-II/2012 दिनांक 5.8.2016 तथा सं., 1(5)/2016-ई,II (ए) दिनांक 27.5.2016

करोड़ प्रत्येक[28] से अधिक थी फिर भी इन दोनों परियोजनाओं का अनुमोदन उचित मूल्यांकन अर्थात ईएफसी द्वारा तथा वित्त मंत्री के अनुमोदन के माध्यम से नहीं किया गया था। लागत को बाँटने के पश्चात कार्य को संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से नामांकन आधार पर सौंपा गया था। कर्नाटक के तीन सर्किलों (बेंगलूरू, धारवाड़ तथा हम्पी) में वैपकोस को सौंपे गए निर्माण कार्यों (₹188.79 करोड़ की कुल लागत पर 160 निर्माण कार्य) में विलम्ब पाया गया था। वेपकोस द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की नमूना जांच ने यह भी प्रकट किया किः

- धारवाड़ सर्किल में बीदर किले पर किए गए लकड़ी के काम को पहले ही दीमक द्वारा चट किया जा चुका था जबकि दिव्यांगजनों हेतु लगाई गई टॉयलेट सीट बिना उपयोग किए ही बाहर निकल गई थी।
- टीपू सुल्तान पैलेस, बेंगलुरू में निर्मित सीमा दीवार, जिसको स्मारक के अनुरूप करने के लिए पत्थर की चिनाई (अनुमान के अनुसार) की आवश्यकता थी, का निर्माण ईंटों की चिनाई के साथ सीमेंट के प्लास्टर से किया गया था।

भुवनेश्वर सर्किल में, ₹16.48 करोड़ की अनुमानित लागत से चुनारगढ़ स्मारक पर सीमा दीवार, शौचालय ब्लाक तथा दिव्यांगजन हेतु पहुंच के निर्माण कार्य का डीसीआईएल द्वारा उप-ठेका दिया गया था (अप्रैल 2018)। यह पाया गया था कि स्थल के सीमांकन तथा वन मंजूरी की आवश्यकता के कारण एक बाधा मुक्त स्थल उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप कार्य को वन विभाग द्वारा रोक दिया गया था (अक्टूबर 2020)। इस संबंध में सर्किल कार्यालय ने सूचित किया कि मुद्दा संबंधित विभाग के पास विचाराधीन था।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि कार्य हेतु एमओयू विधि मंत्रालय द्वारा उचित पुनरीक्षण के पश्चात् मंत्रालय के अनुमोदन से किया गया था। तथापि, मामलों अर्थात् सक्षम प्राधिकार द्वारा मूल्यांकन; सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन का अभाव तथा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता जैसे मामलों पर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

[28] सीमा दीवारों एवं शौचालय ब्लॉकों के निर्माण हेतु ₹629.57 करोड़ तथा जन सुविधाओं के विकास हेतुः ₹713.67 करोड़

अन्य वित्तीय प्रबंधन पर अभ्युक्तियां जैसी स्मारक हेतु हाउसकीपिंग संविधा प्रदान करने में अनियमितताएं, श्रम-उपकर की गैर-वसूली, टिकटों की बिक्री से प्राप्तियों को जमा कराने में विलम्ब, अप्रयुक्त निर्माण सामग्री आदि को **अनुलग्नक 5.1** में चित्रित किया गया है।

5.3 एएसआई में राजस्व सृजन

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (जून 2020)[29] पर प्रस्तुत अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि पर्यटन 2019 में भारत की जीडीपी के 6.8 *प्रतिशत* का हिस्सा बना तथा सभी रोजगार के 8.1 *प्रतिशत* का सहयोग दिया। यह प्रत्याशित था कि अगले दशक तक क्षेत्र का जीडीपी को प्रत्यक्ष सहयोग 7.1 *प्रतिशत* प्रति वर्ष तक बढ़ेगा।

एएसआई[30] हेतु राजस्व के मुख्य स्रोत टिकटों की बिक्री तथा फिल्म की शूटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमतियों के माध्यम से प्राप्तियां है। *पीएसी ने मंत्रालय/एएसआई को राजस्व सृजन के अन्य संभावित मार्गों की खोज करने, प्रवेश टिकट तथा अन्य शुल्कों के संशोधन पर विचार करने तथा स्मारकों को अधिक टिकट वाली श्रेणी के अधीन लाने को भी कहा था।*

पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा से एएसआई ने प्रवेश शुल्क दरों में वृद्धि करके संशोधन किया (2016 तथा 2018) जैसा **अनुलग्नक 5.2** में ब्यौरा दिया गया है। टिकट वाले स्मारकों की संख्या भी 116 से 143 तक बढ़ाई गई थी (अप्रैल 2019 तथा फरवरी 2020 तक) फिल्म की शूटिंग के संशोधित शुल्कों के अतिरिक्त एएसआई द्वारा स्मारक में दर्शन समय का विस्तार तथा डिजिटल भुगतान पर छूट भी प्रारम्भ की थी।

एएसआई की प्राप्तियों से संबंधित अन्य मामलों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

[29] सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति किए गए प्रयासों तथा प्रगति को सूचित करने हेतु
[30] शीर्ष 0202-04-800 के अंतर्गत सरकार की 'अन्य प्राप्तियां' के रूप में माना गया।

5.3.1 टिकटिंग के माध्यम से राजस्व

पिछले प्रतिवेदन में, एक विशिष्ट स्मारक का टिकट वाले स्मारक के रूप में वर्गीकरण हेतु विशिष्ट मापदण्ड अथवा दिशानिर्देशों के अभाव का उल्लेख किया गया था। मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया था *कि नए स्मारक की टिकट वाले स्मारकों की श्रेणी के अधीन लाए जाने हेतु पहचान करते समय आमतौर पर स्मारक में दर्शकों की संख्या पर विचार किया जाता है।* तथापि यह भी प्रस्तुत किया गया कि दर्शकों की संख्या की मॉनीटरिंग के संबंध में किसी भी स्मारक में किसी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। जैसा पैरा 3.1 में उल्लेख किया गया है कि दर्शकों की संख्या को दर्ज करने की एक प्रणाली को प्रारम्भ करने हेतु एएमएएसआर अधिनियम में संशोधन अभी भी लंबित था। लेखापरीक्षा ने आगे पायाः

- 33 राज्यों/यूटी में 3693 स्मारकों में से एएसआई के पास 20 राज्यों/यूटी में 143 टिकट वाले स्मारक थे जबकि कुल शेष 13 राज्यों/यूटी[31] के 150 स्मारकों में एएसआई द्वारा टिकटिंग हेतु किसी भी स्मारक पर विचार नहीं किया गया था। यह पाया गया था कि कुछ स्मारकों को टिकट वाले स्मारक के रूप में अधिसूचित करने हेतु पारदर्शिता/मापदण्ड का अभाव था। यह इस तथ्य से यह भी देखा जा सकता था कि भोपाल (बौद्धी गुफा), दिल्ली (*सुल्तान गढ़ी*) तथा वड़ोदरा (बाबा प्यारा गुफा) सर्किल में शून्य या नगण्य दर्शक संख्या वाले स्मारकों को टिकट वाले स्मारकों की सूची में लगातार शामिल किया गया था। इसके विपरीत, *जलमहल*, नारनौल, हरियाणा में प्रवेश टिकट प्रारम्भ करने के संबंध में चण्डीगढ़ सर्किल के अनुरोध (मई 2019) पर एएसआई द्वारा विचार नहीं किया गया था।

- भुवनेश्वर सर्किल में प्रवेश शुल्क के संशोधन (1 अप्रैल 2016 से) के पश्चात्, 6 अप्रैल 2016 से 22 मई 2016 के बीच सूर्य मंदिर, कोणार्क के दर्शकों से ₹30 की संशोधित टिकट दरों के स्थान पर ₹10 ली जा रही थी। सर्किल कार्यालय ने सूचित किया कि पूर्व-संशोधित दर को जिलाधीश पुरी ओडिसा के आदेशानुसार लागू किया गया था। मंत्रालय द्वारा उल्लंघन की छूट नहीं दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹44.02 लाख का प्रवेश शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

[31] अरूणाचल प्रदेश, दमन एवं दीव, झारखण्ड, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पुद्दुचेरी, पजांब, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड

- एएसआई ने अपने टिकट वाले स्थल-संग्रहालयों की पहचान करने या उनके प्रवेश शुल्कों[32] की दर को निर्धारित करने वाली कोई सूचना जारी नहीं की थी। दिल्ली सर्किल में, लाल किले में स्थित चार स्थल-संग्रहालयों के लिए भारतीय तथा विदेशी आगंतुकों से क्रमशः ₹30 तथा ₹350 (नगदी रहित भुगतान) प्राप्त किए जा रहे थे। तथापि, *पुराने किले* में एक स्थल संग्रहालय के लिए भारतीय आगंतुकों से केवल ₹ पांच लिए जा रहे थे। एएसआई को *पुराने किले* के झील क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों से, इस उद्देश्य हेतु अधिसूचना जारी किए बिना, प्रवेश शुल्क लेते हुए भी पाया गया था।

- इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में स्थित पांच स्थल-संग्रहालयों में से एएसआई द्वारा शिवपुरी स्थल-संग्रहालय हेतु प्रवेश शुल्क वसूला नहीं जा रहा था। संग्रहालय में आने वाले आगंतुकों की बड़ी संख्या के बावजूद भी सर्किल कार्यालय से इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं था।

- टिकटिंग से प्राप्तियों के संदर्भ में जैसे एएसआई मुख्यालय तथा दिल्ली सर्किल द्वारा सूचित किया गया था, प्राप्तियों की राशि और आगंतुकों की संख्या में अंतर पाया गया। लेखापरीक्षा ने एएसआई की प्राप्तियों तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा सूचित प्राप्तियों में अंतर के संबंध में पहले (जनवरी 2019) भी इंगित किया था। ये उदाहरण एएसआई में कमजोर प्राप्ति प्रबंधन को दर्शाते है।

- मंत्रालय/एएसआई ने पीएसी को *कुतुब मीनार* तथा सारनाथ[33] में चयनित स्मारकों पर स्मृति चिन्ह की दुकान खोलने के संबंध में अपने निर्णय के संबंध में सूचित किया था। भौतिक निरीक्षण के दौरान *कुतुब मीनार*, दिल्ली में ऐसी कोई दुकान नहीं पाई गई थी। एएसआई ने सूचित किया (जनवरी 2021) कि वह इस प्रयोजन हेतु एक तंत्र तैयार करने की प्रक्रिया में था।

एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि इसके पास एक तंत्र था जिसमें संबंधित संरक्षण सहायक तथा निगरानी एवं संरक्षण स्टाफ स्मारक में आगंतुकों की संख्या के

---

[32] प्रवेश शुल्क 30 स्थल-संग्रहालयों हेतु लगाया जा रहा था।

[33] मंत्रालय ने *कुतुब मीनार* तथा सारनाथ में स्मृति चिन्ह की दुकान खोलने के लिए हस्तकला एवं निर्यात निगम (वस्त्र मंत्रालय) के साथ एमओयू करने के संबंध में सूचित किया था।

संबंध में नियमित रूप से सूचना देता है। इसके अतिरिक्त, एक काफी लम्बी अवधि (छः माह से एक वर्ष) के डाटा के आधार पर संबंधित सर्किल स्मारक को एक टिकट वाले स्मारक के रूप में शामिल करने की सिफारिश की थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ऊपर संदर्भित कुछ स्मारकों को, लम्बी अवधि के लिए आगंतुकों की कम संख्या के बावजूद एएसआई द्वारा टिकट वाला माना गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा पैराग्राफ 4.2 तथा 7.3 में इंगित किया गया कि कई एएसआई स्मारकों में कोई निगरानी एवं संरक्षण स्टाफ नहीं था या केवल एक ही संरक्षण सहायक द्वारा देख-रेख की जा रही थी।

प्रतिबंधित प्रवेश वाले स्मारक: एएमएएसआर अधिनियम 1958 तथा उसके तहत तैयार नियमावली के अनुसार, जनता को सभी संरक्षित स्मारकों में प्रवेश का अधिकार होगा तथा एएसआई कुछ विशिष्ट स्मारकों को टिकट वाले के रूप में अधिसूचित करके प्रवेश शुल्क निर्धारित कर सकता है।

बिना टिकट वाले स्मारकों के संबंध में प्रतिबंधित लोक प्रवेश के मामले की पिछले प्रतिवेदन में चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि कुछ सीपीएम कुछ वर्गों के लोगो के लिए प्रतिबंधित थे। इसके अतिरिक्त, कुछ स्मारक अन्य अभिकरणों के परिसर में थे तथा वे सभी दर्शकों[34] के लिए खुले नहीं थे। चूंकि एएसआई ने इन स्मारकों के प्रबंधन के साथ कोई अनुबंध/एमओयू नहीं किया था, मंत्रालय ने पीएसी को आश्वासन दिया था कि एएसआई, यथा संभव इन स्मारकों के मालिकों के साथ व्यक्तिगत लिखित अनुबंध के मामलों को आगे बढ़ाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान, एएसआई किसी भी प्रकार का आश्वासन देने में असमर्थ था कि बिना टिकट वाले स्मारकों में प्रतिबंधित प्रवेश के मामले को सुलझाने के प्रति प्रयास किया था। मंत्रालय/एएसआई ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि कुछ धार्मिक स्थलों पर ऐसे प्रतिबंध लम्बे समय से अमल में है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनमें हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली सर्किल में एएसआई के बिना टिकट वाले छः और स्मारकों में प्रतिबंधित प्रवेश पाया गया था। यह सभी स्मारक एक उद्यान अर्थात् सुंदर नर्सरी के अंदर स्थित थे जिसको निजी ढंग से प्रबंधित किया गया था तथा उद्यान प्रवेश (स्मारक सहित) हेतु इसका प्रबंधन प्रवेश शुल्क (₹200

[34] अन्य अभिकरणों (दिल्ली सर्किल में पांच तथा पटना सर्किल में दो) के परिसरों में स्थित सात स्मारक 11 स्मारक जहां दर्शकों के प्रवेश को उनके धर्म/लिंग के आधार पर प्रतिबधित किया गया था।

तक) ले रहा था। एएसआई ने उत्तर में प्रस्तुत किया (अगस्त 2021) कि उसने अपने स्मारकों का सरंक्षण करने तथा उद्यान (स्मारकों सहित) में दर्शको से प्रवेश शुल्क लेने हेतु सुंदर नर्सरी के प्रबंधन के साथ एमओयू किया था (दिसंबर 2017)। तथ्य यह है कि इन छः स्मारकों को एएसआई द्वारा टिकट वाले के रूप में घोषित नहीं किया गया था तथा इसके पास इन स्मारकों पर आने वाली आम जनता के निःशुल्क प्रवेश को सुनिश्चित करने का कोई तंत्र नहीं था।

5.3.2 ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन

एएसआई ने चयनित स्मारकों में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन के लिए विभिन्न हितधारकों अर्थात् भारतीय पर्यटन विकास निगम, राज्य पर्यटन विभागों के साथ अनुबंध (एमओयू) किया था। यह पाया गया था कि एएसआई द्वारा किए गए अनुबंधों में राजस्व विभाजन प्रतिमान में एकरूपता नहीं थी। स्मारकों तथा *हिंडोला महल*, मांडू (दो मध्य प्रवेश में) के सांची-समूह के संबंध में एएसआई द्वारा राजस्व के अपने भाग के रूप में टिकट शुल्क की समान राशि पर सहमति दी गई थी जबकि सारनाथ तथा रेजिडेंसी, लखनऊ (दोनों उत्तर प्रदेश) में एएसआई ने प्रदर्शन से सृजित आय के 40 प्रतिशत के भाग पर सहमति दी थी। भुवनेश्वर सर्किल में दो स्मारकों अर्थात् सूर्य मंदिर, कोणार्क तथा खांडागिरी, उदयगिरी गुआ पर ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि खांडगिरी, उदयगिरी गुफाओं पर सुविधाएं चालू नहीं थी। इस संबंध में, सर्किल कार्यालय ने बताया कि ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन सुविधा को जल्द ही चालू किया जाएगा।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि आमतौर पर ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन में राजस्व विभाजन 60:40 है परंतु कई बार इस प्रक्रिया में शामिल अभिकरण प्रदर्शन करने की अधिक लागत के कारण कम विभाजन राशि (एएसआई को) का अनुरोध करते है। उसने आगे सूचित किया कि ध्वनि एवं प्रकाश हेतु दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे थे।

5.3.3 प्रकाशन तथा बागवानी गतिविधियों से प्राप्तियां

पीएसी ने पाया था कि एएसआई के राजस्व के अन्य स्रोत प्रकाशनों तथा बागवानी गतिविधियों की बिक्री से प्राप्तियां थे। बागवानी शाखा ने 2013-14 से 2019-20 की अवधि के दौरान घास, सूखी लकड़ियों की बिक्री तथा फलों की नीलामी से ₹1.08

करोड़ की प्राप्ति सूचित की थी। हालांकि, इसी अवधि के दौरान, भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थित इसके प्रभाग ने अपने नियंत्राधीन 157 उद्यानों में से किसी से भी घास की बिक्री से कोई आय होनी नहीं दर्शाई थी। प्रकाशन प्रभाग के संबंध में, उनके निर्दिष्ट 107 बिक्री कॉउटरों पर 460 से अधिक प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन या संग्रह से बिक्री का संकलन करने की कोई संघटित प्रणाली नहीं थी।

निष्कर्ष:

पीएसी की अनुशंसाओं को ध्यान मे रखते हुए, एएसआई ने टिकट वाली श्रेणी के अंतर्गत अधिक स्मारक शामिल किए थे तथा स्मारकों में प्रवेश टिकट की दरों तथा फिल्म की शूटिंग हेतु प्रभारों में वृद्धि करके संशोधन भी किया। इसने स्मारकों की प्रवेश टिकट की ऑनलाईन बुकिंग हेतु ई-टिकटिंग सुविधा प्रारम्भ की थी। इसके अतिरिक्त, स्मारकों में सुविधाएं विकसित करने के लिए अन्य वित्तपोषण प्रबंधनों के भाग के रूप में निजी निकायों को 'एक विरासत अपनाएं' के अंतर्गत शामिल किया गया था। तथापि वित्तीय प्रबंधन में कुछ विचारणीय विषयों का बना रहना पाया गया था।

- *पीएसी को आश्वासन देने के बावजूद उत्खनन तथा अन्वेषण गतिविधियों पर एएसआई का व्यय अभी भी एक प्रतिशत से कम था।*
- *राष्ट्रीय संस्कृति निधि में उपलब्ध निधियों वर्षों से जमा हो रही है तथा उनका संरक्षण गतिविधियों हेतु उपयोग नहीं किया गया था।*
- *टिकट वाले/बिना टिकट वाले के रूप में एक स्मारक के वर्गीकरण, उद्ग्रहण/साझा किए जाने वाले शुल्क की राशि, अधिसूचना जारी करने, आदि के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी थी।*

कार्यात्मक मुद्दे

लक्ष्मण मंदिर खजुराहो

(मध्य प्रदेश)

अध्याय 6: स्मारकों तथा पुरावशेषों की पहचान एवं अधिसूचना

भारत के संपन्न विरासत संग्रह में अधिकतर केन्द्र एवं राज्य स्तर के प्राधिकरणों, संग्रहालयों, धार्मिक निकायों आदि के अधीन अनुमानित 4 लाख से अधिक संरचनाएं एवं 58 लाख से अधिक पुरावशेष[35] शामिल हैं। इन स्मारकों/पुरावशेषों की पहचान एवं प्रलेखन प्रक्रिया तथा इनकी अधिसूचना से संबंधित मुद्दों पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

6.1 सभी स्मारकों एवं पुरावशेषों का राष्ट्रीय डेटाबेस

सभी स्मारकों एवं पुरावशेषों के राष्ट्रीय डेटाबेस को तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन (एनएमएमए) को प्रारंम्भिक रूप से पांच वर्षों अर्थात 2007-2012 की अवधि हेतु सरकार[36] (2007) द्वारा शुभारंभ किया गया। प्रलेखन प्रक्रिया को पूरा करने तथा गति को बनाए रखने के कारण इस अवधि को और पांच वर्षों (2012-2017) के लिए बढ़ा दिया गया था तथा बाद में एनएमएमए को एएसआई के साथ विलय कर दिया गया (अक्टूबर 2017)। एनएमएमए की स्थापना में देरी तथा नियोजन के अभाव के कारण इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफलता को पिछले प्रतिवेदन में इंगित किया गया था।

पीएसी ने मंत्रालय से कहा था कि संग्रहालय में रखी कलाकृतियों, संपूर्ण देश में फैले अन्य सरकारी एवं निजी स्वामित्व में और/अथवा सरकारी कोषागारों के सहित प्रत्येक प्राचीन स्मारक, स्थलों एवं अवशेषों जो कि दोनों राष्ट्रीय एवं राज्य महत्व के विवरण को उजागर करते हुए एक राष्ट्रीय पंजी को तैयार किया जाए। 2007 में एनएमएमए द्वारा प्रारंम्भ किए गए प्रलेखन एवं डेटाबेस कार्य की प्रगति एवं चालू स्थिति को **तालिका 6.1** में वर्णित किया गया है:

तालिका 6.1 स्मारकों एवं पुरावशेषों के प्रलेखन में प्रगति

अवधि	प्रलेखन		डाटा को अपलोड करना	
	स्मारक	पुरावशेष	स्मारक	पुरावशेष
2007-12	34794	48411	0	0
2012-17	1.84 लाख	15.0 लाख	9688	2.40 लाख

[35] स्त्रोत: एएसआई

[36] एनएमएमए का सृजन अगस्त 2003 में तत्कालिन प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया था।

2017-19*	3228	1.70 लाख	312	10.13 लाख
2019-20	6039	32537	859	8952
2020-21	3186	2400	703	1569
कुल	**2.31** लाख	**17.53** लाख	**11562**	**12.64** लाख

*अवधि की गणना अक्टूबर तक/से की गई

नोटः 2019-20 तथा 2020-21 के लिए एनएमएमए द्वारा सूचित स्थिति (अक्टूबर 2020 तथा दिसम्बर 2021 में) अक्टूबर 2020 तक तथा नवम्बर 2020 से 1 दिसम्बर 2021 तक थी।

तालिका 6.1 में यह देखा जाएगा कि 2017 से स्मारकों एवं पुरावशेषों के प्रलेखन हेतु प्रक्रिया काफी धीमी हो गई। एनएमएमए ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2020) संभार-तंत्र की अपर्याप्तता, अप्रभावी निगरानी तथा बजट की कमी जैसे कारणों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कमियों को जिम्मेदार ठहराया। यह भी बताया कि चालू प्रलेखन प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने, प्रलेखन संसाधन केन्द्र (डीआरसी) राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एसएलआईसी) की पहचान करना एवं इसे पुनः चालू करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं को स्थानीय स्तर पर प्रारम्भ करने की आवश्यकता थी। तथापि लेखापरीक्षा ने अतिरिक्त कारणों को भी बताया कि संपूर्ण परियोजना असंतोषजनक ढंग से कार्यान्वित की गयी:

- 4 लाख स्मारकों एवं 58 लाख पुरावशेंषों के प्रलेखन हेतु कोई भी परिभाषित कार्यनीति या दिशानिर्देश नहीं था। एनएमएमए के साथ प्रलेखन कार्य में कोई भी वार्षिक लक्ष्य या वार्षिक प्रगति उपलब्ध नहीं थी। दो बार प्रत्येक पांच वर्षों के लिए लगातार वृद्धि देने के बाद, कार्य को पूरा करने के लिए बिना किसी समय-सीमा के एनएमएमए, एएसआई में विलय कर दिया गया।

- परियोजना को तकनीकी क्षमता की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना प्रारम्भ किया गया। एनएमएमए ने शोध युक्त प्रलेखन कार्य को पूरा करने के लिए देश में वाणिज्यिक अभिकरण के अभाव को सूचित किया। एएसआई में उपलब्ध स्टाफ की संख्या भी कार्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी।

- मार्च 2015 से प्रलेखन कार्य को सुगम बनाने, गलतियों को सुधारने अथवा प्रक्रिया में शामिल अभिकरणों को स्पष्टीकरण देने के लिए कोई भी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, कार्यकारी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता का नियमित रूप से उन्नयन करने हेतु प्रणाली का अभाव था, जिसने कार्य प्रक्रिया को प्रभावित किया।.

- कार्य करने के लिए पहचान किए गए डीआरसी अपर्याप्त थे तथा वर्षों से निष्क्रिय हो गए। डीआरसी की पहचान के लिए तथा उनके कार्य के मूल्यांकन के लिए गठित एसएलआईसी भी कार्यात्मक नहीं थीं। परिणामस्वरूप, कार्य क्षमता को बढ़ाने तथा डीआरसी[37] द्वारा निधि के उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव था। इसके अतिरिक्त, एनएमएमए के कार्य की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय मिशन निगरानी समिति की बैठकें अगस्त 2016 के बाद आयोजित नहीं की गयी थी।

- 1.80 लाख स्मारकों के संबंध में, पूरा किया गया प्रलेखन कार्य द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित था तथा प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से सत्यापित नहीं किया गया। कार्य की संवीक्षा करने तथा निश्चित डाटा को हटाने के बाद, एनएमएमए ने निम्नवत कम हुई प्रगति स्थिति को सूचित किया (दिसम्बर 2021):

अवधि	प्रलेखन		डाटा को अपलोड करना	
	स्मारक	पुरावशेष	स्मारक	पुरावशेष
संशोधित प्रगति	1.84 लाख	16.83 लाख	11406	12.60 लाख

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि बड़ी संख्या में पुरावशेष एवं स्थल, राज्यों, निजी संगठनों, ट्रस्टों एवं व्यक्तियों के अधीन थी तथा जब तक इन अभिकरणों ने एनएमएमए के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार किया तब तक कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। दो प्रस्तावों के विषय में भी सूचित किया गया (i) प्राथमिक सर्वेक्षण एवं पुरावशेषों के प्रलेखन को पूरा करने के लिए युवा पुरातत्वविद को शामिल करने संकल्पना की पहल करना तथा (ii) कार्य हेतु डीआरसी की सहभागिता हेतु रोलिंग विज्ञापन।

एनएमएमए परियोजना का सफल समापन देश में अधिकांश स्मारकों, स्थलों एवं पुरावशेषों की प्रामाणिक सूची में प्रस्तुत करेगा। स्मारकों के प्रतिरक्षण तथा पुरावशेषों के अवैध व्यापार की रोकथाम में शामिल अभिकरणों के बीच अधिक तालमेल

[37] 23,526 स्मारकों एवं 8.45 लाख पुरावशेषों के सौंपे गए प्रलेखनों के सापेक्ष में, डीआरसी ने केवल 5,444 स्मारकों एवं 2.98 लाख पुरावशेषों का प्रलेखन पूरा किया। ₹86.2 लाख के उपोयगिता प्रमाणपत्र को भी बकाया सूचित किया गया है (अक्टूबर 2020)।

उपलब्धि के लिए अधिक उपयोगी होगा। तथापि, उपरोक्त वर्णित कारणों, यहां तक कि एनएमएमए की स्थापना के 14 वर्षों के बाद भी केवल 46 *प्रतिशत* स्मारकों तथा पुरावशेषों का 29 *प्रतिशत* प्रलेखन कार्य ही पूरा किया गया।

6.2 एएसआई के पास स्मारकों एवं पुरावशेषों का डेटाबेस

देश में चार लाख से अधिक विरासत संरचनाओं में से 3693 स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एएसआई के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं (दिसम्बर 2021)। *पीएसी ने दो वर्ष की अवधि के अन्दर ही सभी सीपीएम की सूची को तैयार करने की सिफारिश की जिसे प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतित किया जाना था। इस सूची में विभिन्न सूचनाओं अर्थात भौगोलिक स्थिति, श्रेणी, निकटतम शहर/कस्बे से दूरी, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व, अतिक्रमण विवरण आदि को दर्शाते हुए पोर्टल के माध्यम से जनता के लिए सुलभ बनाया जाना था।*

तथापि, यह पाया गया था कि जनता के लिए सिफारिश की गयी सभी सूचनाओं को दर्शाते हुए सभी सीपीएम का केन्द्रीकृत डेटाबेस/सूची अभी भी उपलब्ध नहीं थी (मार्च 2022)। आगे यह पाया गया कि संबंधित सर्किलों के वेबसाइटों द्वारा सीपीएम पर ऑनलाइन प्रदर्शित सूचना समरूप[38] भी नहीं थी। *जबकि कुछ सर्किल इतिहास, अधिसूचना संबंधित स्मारकों की अवस्थिति (उदाहरणार्थ: देहरादून, बेंगलुरू) को प्रदर्शित कर रहे थे, अन्य केवल संबंधित स्मारकों (उदाहरणार्थ: आगरा, भोपाल) की सूची प्रस्तुत कर रहे थे।* चण्डीगढ़ एवं बेगंलुरु सर्किल में महत्वपूर्ण सूचना अर्थात क्रमशः तीन[39] एवं दो[40] स्मारकों के संबंध में अधिसूचना विवरण उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार से, भुवनेश्वर सर्किल में 80 स्मारकों/स्थलों में से केवल 38 राजपत्र अधिसूचना उपलब्ध थी। भुवनेश्वर सर्किल में ही अधिसूचित चार विशाल *मातृकास* (मूर्ति) के सापेक्ष में केवल तीन के ही सूची में दर्शाया गया था। स्मारकों, जहां अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गयी थी, उनको भी **अनुलग्नक-6.2(बी)** में सूचीबद्ध किया गया है।

एएसआई ने सूचित किया (दिसम्बर 2020) कि 3150 सीपीएम के लिए राजपत्र

---

[38] पैरा 4.1 का भी संदर्भ लें, कुछ सर्किलों में वेबसाइटें चालू नहीं थी।

[39] *बाओली* घोस *अली शाह*-गुरुग्राम, शाह इब्राहिम गुम्बद-नारनौल, शाह कुली खान की गुम्बद-नारनौल।

[40] चन्नाकेसव मंदिर, हसन, सोमेश्वर मंदिर, शिमोगा।

अधिसूचना के सम्बन्ध में डाटा संकलित किया गया था। मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि सभी राजपत्र अधिसूचनाएं भारतीय विरासत मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित करने का भाग होगीं।

यद्यपि, तथ्य यह रहता है कि सूची को अभी भी पूर्ण किया जाना था।

पुरावशेषों के संबंध में, यद्यपि एएसआई ने अखिल भारतीय स्तर पर 58 लाख से अधिक का अनुमान किया था फिर भी उनके पास उनके अधिकार में पुरावशेषों की संख्या का कोई डाटाबेस अथवा सूची नहीं थी।

6.2.1 स्मारकों का वर्गीकरण

एएमएएसआर (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम, 2010 के अनुसार, केन्द्र सरकार को एनएमए की सिफारिश पर निर्धारित आठ श्रेणियों[41] के अनुसार एएसआई के क्षेत्राधिकार के अधीन सभी स्मारकों एवं पुरातत्व स्थलों का वर्गीकरण करना था। यह वर्गीकरण एएसआई द्वारा एनएमए को प्रस्तुत सूचना के आधार पर किया जाना था, जिसे आम जनता के लिए सरकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना था। इस संबध में मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया कि स्मारकों का वर्गीकरण पूरा कर लिया गया था तथा एनएमए को उनके विचारणार्थ एवं मंत्रालय के सिफारिश करने हेतु सौंपा गया। तथापि, एनएमए ने सूचित किया (नवम्बर 2020) कि केवल 915 स्मारकों (3693 सीपीएम में से) की सूची अब तक तैयार की गई जो श्रेणी III के तहत स्मारकों को अंतिम रुप न देने के कारण अभी भी विचाराधीन थी।

---

[41] एएमएएसआर (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम के तहत निर्मित एनएमए नियमावली, 2011 के नियम 6 को देखिए।

श्रेणी I	विश्व विरासत स्थल
श्रेणी II	विश्व विरासत स्थल की सम्भावित सूची
श्रेणी III	विश्व विरासत सम्भावित सूची में शामिल हेतु चिन्हित
श्रेणी IV	टिकट वाले स्मारक (उपर्युक्त के अलावा)
श्रेणी V	टिकट वाले स्मारकों के रूप में वर्गीकरण हेतु चिन्हित
श्रेणी VI	जीवंत स्मारक जहां बड़ी संख्या में आगंतुक आते हैं
श्रेणी VII	शहरी/अर्ध शहरी सीमाओं एवं दूरस्थ गांवों में स्थित अन्य स्मारक
श्रेणी VIII	अन्य श्रेणी जैसाकि प्राधिकारी उचित समझें

पिछले प्रतिवेदन एवं पीएसी के प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद, सभी सीपीएम के वर्गीकरण के संबंध में एएसआई द्वारा अपर्याप्त प्रयास किए गए।

6.3 एएसआई के अधीन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक

एएमएएसआर अधिनियम 1958 के अनुसार, एएचएमएएसआर अधिनियम 1951[42] के तहत घोषित प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक, पुरातत्व स्थल एवं अवशेष राष्ट्रीय महत्व के माने जाते हैं। एएमएएसआर अधिनियम भी निर्दिष्ट करता है कि केन्द्र सरकार के मामले में यह राय है कि कोई भी प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्व स्थल एवं अवशेष का राष्ट्रीय महत्व नहीं रह गया, ऐसा अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए, पिछले प्रतिवेदन में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की पहचान एवं घोषणा से संबंधित कई मुद्दों को सूचित किया गया था। इस संबंध में पीएसी ने भी कई सिफारिशें की। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान जांचे गए इन मुद्दों पर चर्चा निम्नवत हैः

6.3.1 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को परिभाषित करने हेतु मानदंड

पिछले प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय महत्व के होने वाले स्मारक को घोषित करने हेतु मानदंड को परिभाषित सेट के अभाव को दर्शाते हुए कई उदाहरणों को इंगित किया। *इस संबंध में पीएसी ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देशों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।* यह पाया गया कि इन दिशा-निर्देशों को अभी तक तैयार नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, निम्नवत उल्लिखित श्रेणियों में एएसआई ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को परिभाषित करने हेतु विभिन्न मानदंडों को स्वीकार कियाः

ए) एकल परिसर जहां एक से अधिक या स्वतंत्र संरचना पृथक स्मारक के रूप में अधिसूचित की गयी जबकि अन्य उदाहरणों में एक परिसर के अंदर सभी संरचनाएं एकल स्मारक के रूप में अधिसूचित की गयी;

[42] या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 126 के तहत घोषित।

बी) उदाहरण जहां सम्पूर्ण संरचना के केवल एक हिस्से को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में अधिसूचित किया गया जबकि संरचना के अन्य हिस्से को असंरक्षित छोड़ दिया गया।

सी) मामले जहां *कोस-मीनारों* को राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा भी संरक्षित किया गया था।

इन मामलों को **अनुलग्नक 6.1** में दर्शाया गया है। मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि वह पीएसी द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार दिशा-निर्देशों पर काम कर रहा था।

6.3.2 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण

पीएसी ने बताया था कि केन्द्रीय रूप से संरक्षित श्रेणी में उनको रखते हेतु राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को चिन्हित करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण बकाया था। मंत्रालय अपने एटीएन (अप्रैल 2016) में भी सहमत हुआ कि राष्ट्रीय महत्व के होने के कारण घोषित सभी प्राचीन स्मारकों/स्थलों की समीक्षा एवं सर्वेक्षण करने की शीघ्र आवश्यकता थी तथा यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या वे अभी भी राष्ट्रीय महत्व के हैं। पीएसी ने सिफारिश की कि दिशा-निर्देशों को अंतिम रुप देने के बाद (जैसा कि पिछले पैरा में वर्णित है), राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जिन्हें संरक्षित किया जा सकता है, की सही संख्या को चिन्हित करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

2013 से 2021 की अवधि के दौरान (अर्थात पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा एवं चालू अनुवर्ती लेखापरीक्षा के बीच), राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जिन्हें संरक्षित किया जा सकता है, को चिन्हित करने के लिए कोई भी विस्तृत सर्वेक्षण/समीक्षा एएसआई[43] द्वारा नहीं किया गया। इस संबंध में, चण्डीगढ़ सर्किल ने भी सूचित किया कि एएसआई मुख्यालय[44] से कोई भी ऐसा दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। इसके

[43] पीएसी को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने के अनुसार, एएसआई द्वारा पूर्व सर्वेक्षण 1998-99 में किया गया था।

[44] तथापि, चण्डीगढ़ सर्किल ने बड़ा तलाव एवं सोलह राही तलाव, रेवाड़ी (जून 2015), पुरातत्व टीला, मिताथाई, भिवानी (सितम्बर 2020) तथा राखीगढ़ी, हिसार में 6 एवं 7 पुरातत्व टीले (नवम्बर 2020) के तीन सर्वेक्षण किए गए। किसी भी स्मारक को सीपीएम की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

अतिरिक्त, एएसआई द्वारा इन स्मारकों को चिन्हित करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया जिनका इस अवधि में इनका महत्व समाप्त हो गया और इन्हें राज्यों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। चयनित राज्यों में पायलेट परियोजना के रुप में यहां तक कि अधिक छोटे पैमाने पर भी पहल नहीं की गयी (दिसंबर 2021)।

एसएसआई ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि प्राचीन अवशेषों, स्थल, या संरचना को चिन्हित करने एवं प्रलेखन के लिए सर्वेक्षण या अन्वेषण करना एक निरंतर चल रही घटना है। जैसा कि पीएसी की राय प्रासंगिक नहीं थे तथा उन्हें कार्यान्वित करना भी सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के परामर्श से स्मारक जिन्होंने अपना महत्व खो दिया था, को प्राप्त करने के लिए यह तौर-तरीकों पर काम कर रहा था।

मंत्रालय/एएसआई का उत्तर (जनवरी 2022) पीएसी की सिफारिशों के प्रति उनकी पहले की प्रतिक्रिया के विरुद्ध था।

तोमर राजवंश-राजा अनंगपाल II, दिल्ली के संस्थापक, के संरचनात्मक अवशेष

ग्यारहवीं शताब्दी ए.डी. में, तोमर राजवंश के शासकों ने अपनी शाही गद्दी को अनंगपुर (फरीदाबाद, हरियाणा) से *लाल कोट* (दिल्ली) में स्थानांतरित किया तथा योगिनीपुरा (कुतुब पुरातत्व क्षेत्र के पास) की तत्कालीन मंदिर बस्ती के आस-पास में *ढ़िल या ढ़िलिकापुरी* नामक एक नए शहर की स्थापना की। पृथ्वी की कील की पुनः स्थापना के साथ संवत1109/1051 सीई में मथुरा से मेहरौली (*किल्ली-धिल्ल-* संवत नामक लोहे का खम्भा लाया गया) राजा अनंगपाल-II[45] को दिल्ली का संस्थापक माना गया।

राजा अनंगपाल II द्वारा बनायी गयी *लाल कोट* की दीवारों को अवशेष संरक्षित स्मारक के रुप में एएसआई द्वारा अधिसूचित किया गया है। *अनंग ताल* कुतुब पुरतत्व क्षेत्र में दूसरी संरचना (जलाशय) है जिसे राजा अनंगपाल-II द्वारा निर्माण किया जाना माना गया। एएसआई ने *अनंग ताल* पर उत्खनन शुरु किया (1991-95) लेकिन संरचना एएसआई या दिल्ली राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित नहीं किया गया।

[45] अनंग पाल, के रुप में भी वर्णित, अनंगपाला

अनंग ताल के एक दौरे से प्रकट हुआ कि निकटतम क्षेत्रों से सीवेज जलाशय में छोड़ा जा रहा था तथा स्मारक के अवशेष उपेक्षित स्थिति में थे जैसा कि निम्नवत तस्वीरों में चित्रित किया गया है:

पीएसी ने सिफारिश की कि एएसआई/मंत्रालय जारी किए जा रहे दिशा-निर्देशों को स्वीकृत करें जहां प्राचीन स्मारक (भविष्यवाणी करना लगभग 1700 एडी) एवं समकालीन स्मारक जो 100 वर्ष पुराने एवं राष्ट्रीय महत्व के हैं अपने-आप संरक्षित खड़ें है)। तथापि, राष्ट्रीय महत्व के रूप में 100 वर्ष पुराने घोषित करने के लिए कोई भी ऐसे दिशा-निर्देश अस्तित्व में नहीं पाए गए। परिणामस्वरुप, *अनंग ताल* एक विरासत संरचना जिसे किसी भी अभिकरण द्वारा संरक्षित न किया गया, लुप्त होने के अंतिम चरण में थी। मंत्रालय/एएसआई ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि संरचना के संरक्षण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन था।

एतिहासिक स्रोतः फरवरी 2022 में एनएमए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय संगोष्ठी दस्तावेज

6.3.3 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया

राष्ट्रीय महत्व के होने के कारण विशिष्ट स्मारक को अधिसूचित करने हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया में सर्किल कार्यालय से प्रस्ताव की प्राप्ति, एएसआई मुख्यालय में एक समिति द्वारा इसकी संवीक्षा तथा उसके बाद सरकारी राजपत्र में प्रासंगिक प्रारंभिक अधिसूचना को जारी करने हेतु मंत्रालय के अनुमोदन को शामिल किया। सम्बन्धित सर्किल से प्राप्त विशेष अनुरोधों/इनपुटों के आधार पर एएसआई ने 2013-2021 की अवधि के दौरान 3,678 से 3,693 तक सीपीएम की सूची को संशोधित किया।

तथापि, एएसआई ने सीपीएम की सूची की समीक्षा करने/संशोधित करने हेतु कोई भी परिभाषित प्रक्रिया/अनुसूची नहीं थी। लेखापरीक्षा ने पायाः

- एक नए स्मारक की अधिसूचना (2018 में) तथा दो स्मारकों[46] (1931 एवं 1999 में) की अधिसूचना वापस लेने के संबंध में, सीपीएम की सूची का अद्यतनीकरण काफी देरी से अक्टूबर 2020 में किया गया।

- दिल्ली सर्किल में, गजीउद्दीन खान की गुम्बद, अजमेरी गेट (1925 में अधिसूचित) सीपीएम को सूची में शामिल नहीं किया गया (अक्टूबर 2020 तक) था। यह पाया गया कि गिसाउद्दीन खान, तुगलकाबाद की अन्य स्मारक गुम्बद को दो बार सूची में शामिल किया गया तथा अक्टूबर 2020 में गजीउद्दीन खान को सूची में शामिल करके तथा गिसाउद्दीन खान को हटाकर सुधार किया गया। मंत्रालय/एएसआई ने स्वीकार किया (जनवरी 2022) कि यह स्मारकों की सूची में टंकण त्रुटि के सुधार के कारण था।

- भोपाल सर्किल ने कुन्डलपुर, दामोह, मध्यप्रदेश की पहाडियों पर स्थित स्मारक जैन मंदिरों की अधिसूचना वापस लेने हेतु एएसआई मुख्यालय के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया (जुलाई 2014)। यघपि प्रस्ताव स्मारक को राज्य सरंक्षित स्मारक के रूप में घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2014) के अनुसार था फिर भी मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि एएमएएसआर अधिनियम, 1958[47] की धारा 3 को ध्यान में रखते हुए स्मारक की अधिसूचना वापस लेने की आवश्यकता नहीं थी। अत: इन स्मारकों का 3693 को सीपीएम की सूची में शामिल रहना जारी रहा।

- राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में उत्खनन स्थल, बेनागुट्टी को शामिल करने के संबंध में धारवाड़ सर्किल द्वारा भेजा गया प्रस्ताव (जून 2001) एएसआई मुख्यालय में अभी भी लंबित था। इस संबंध में, अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सर्किल कार्यालय द्वारा कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी।

- सितम्बर 2007 तथा नवम्बर 2013 में मुम्बई सर्किल द्वारा प्रस्तावित स्मारकों की अधीसूचना एएसआई द्वारा अभी तक वापस नहीं ली गयी।

---

[46] सिरी किले (1931) की आन्तरिक इमारत पर तीन संरचनाएं तथा दिलू सर्किल दोनों मे पुरालेख के साथ घेराबंदी बैटरी का स्थल।

[47] सभी स्मारकों, स्थलों एवं अवशेषों जिन्हे एएचएमएएसआर अधिनियम 1951 द्वारा राष्ट्रीय महत्व के होने के लिए घोषित किया गया है, को राष्ट्रीय महत्व का होना माना जाएगा तथा पुनः अधिसूचित/गैर-अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

6.3.4 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में विसंगतियां

पिछले प्रतिवेदन में, निम्नवत कारणों के कारण सीपीएम की सूची में विसंगतियों को इंगित किया गया:

ए) एक ही स्मारकों को दोबारा अधिसूचित किया गया;

बी) बिना कोई अधिसूचना के स्मारकों को संरक्षित घोषित किया गया;

सी) स्मारकों को केन्द्र एवं राज्य दोनों द्वारा संरक्षित किया गया; तथा

डी) पुरावशेष को स्मारक के रूप में घोषित किए गए

इन सूचित विसंगतियों के सुधार हेतु मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, सीपीएम की सूची में त्रुटियां अभी भी थीं जैसा कि **अनुलग्नक 6.2** में विवरण दिया गया है। मंत्रालय/एएसआई ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि पीएसी की अभ्युक्ति को नोट किया गया तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मुद्दों का समाधान करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

6.3.5 गुम स्मारकों की गैर-अधिसूचना

पिछले प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा ने 92 सीपीएम के गुम होने की सूचना दी। मंत्रालय/एएसआई ने सूचित किया (अगस्त 2017/मार्च 2021) कि 92 गुम हुए स्मारकों में से 42 का पता लगाया गया, 14 तीव्र शहरीकरण के कारण प्रभावित हुए, 12 जलाशय/बांध के नीचे डूब गए तथा 24 लापता थे।

संयुक्त भौतिक जांच के दौरान यह पाया किया गया कि भौतिक रूप से उपस्थित/पता लगाए गए एएसआई द्वारा चिन्हित दिल्ली सर्किल[48] में दो स्मारक तथा शहरीकरण/जलमग्न से प्रभावित होने के कारण सूचित चार स्मारक, बेंगलुरू (3) एवं जबलपुर (1) सर्किल[49] में मौजूद नहीं थें। इसी प्रकार से, जुलाई 2017 में

[48] निकोल्सन मूर्ति (मौजूदा सूचित), कैप्टन मैक बारनेट एवं अन्य (प्रभावित हुए सूचित) की मकबरा। पिछले प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि निकोल्सन मूर्ति भारत सरकार द्वारा आयरलैंण्ड सरकार को उपहार में दी गयी (1960 में) थी।

[49] कित्तूर, हेज्जाल एवं चिक्काजाल (बेंगलुरू में सभी), फ्रेस्को चित्रकला, रीवा (जबलपुर) में पूर्व ऐतिहासिक स्थल।

अधिसूचना वापस लेने हेतु प्रस्ताव के बावजूद कोलकाता सर्किल में बांध के निर्माण के दौरान कथित तौर पर जलमग्न हुए छः स्मारकों को सीपीएम की सूची में शामिल किया जाना जारी रहा। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि एएसआई द्वारा स्वीकृत 24 स्मारक जो मिल नहीं रहे थे, उनकी अधिसूचना वापस नहीं ली गयी तथा उन्हें सीपीएम की सूची में शामिल किया जाना जारी रहा। स्मारकों का विवरण जिनको उनकी गैर-मौजूदगी के कारण अधिसूचना वापस लिए जाने की आवश्यकता थी, को **अनुलग्नक 6.3** में दिया गया है। मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि नहीं मिलने वाले स्मारकों की अधिसूचना वापस लेने हेतु तौर-तरीकों पर काम कर रहे थे। आगे यह बताया गया कि प्रक्रिया में सख्त जांच की आवश्यकता है तथा इसमें अधिक समय लगा सकता है।

जलमग्न स्मारकों से गुम हुए पुरावशेष

जलमग्न घोषित हुए छः स्मारकों में से तीन स्मारकों से संबधित मूर्तियां कोलकाता सर्किल द्वारा न पता लगाए जाने योग्य के रूप में सूचित की गयी। तथापि, संयुक्त भौतिक जांच के दौरान सर्किल कार्यालय की सूची में उपलब्ध चित्रों के सामान ही तीन मूर्तियां बांध के पास उपेक्षित एवं असंरक्षित पायी गयीं। सर्किल कार्यालय उन्हीं कलाकृतियों को स्मारकों (बाद में जलमग्न) के साथ अधिसूचित किए जाने के रूप में इन उपेक्षित मूर्तियों की पुष्टि करने में अयोग्य था। कार्रवाई डेटाबेस की तैयारी के महत्व को उजागर करती है क्योंकि सर्किल कार्यालय/एएसआई अपने विरासत संग्रह के प्रति अनभिज्ञ थे।

राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की पहचान एवं उनके अनुपालन हेतु एक प्रभावी निर्धारित प्रक्रिया, बेहतर योजना एवं विरासत सरंक्षण हेतु उपलब्ध संसाधनों का विवेकी से प्रयोग करना आवश्यक है। तथापि, स्मारकों की सूची में विसंगतियों को सुधारने के लिए मंत्रालय/एएसआई की तरफ से अपर्याप्त प्रयास राष्ट्रीय विरासत की प्रबंधन हेतु विस्तृत कार्यनीति के अभाव को इंगित करते हैं।

6.3.6 स्मारकों की त्वरित अधिसूचना

पिछले प्रतिवेदन में, लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि एएसआई ने अतिक्रमण/अप्राधिकृत/ अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को हल किए बिना कोलकाता

सर्किल में स्मारकों[50] को अधिसूचित किया। इस संबंध में मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि ऐसी कार्रवाईयाँ, कब्जाधारियों एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर की गयी थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि एक स्मारक (तमलुक, राजबती) पर अवैध कब्जाधारियों के संबंध में अभियोग एएसआई के पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया (2014)। तथापि दोनों स्मारकों पर अभी भी अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा में रखा गया था। अवैध कब्जाधारियों एवं त्वरित अधिसूचनाओं के कारण, एएसआई इन स्मारकों पर किसी भी परिरक्षण एवं सरंक्षण गतिविधियों को पूरा करने में सक्षम नहीं था, परिणामतः इनकी जीर्ण-शीर्ण स्थिति (अनुलग्नक 7.2 पैरा 4.2 पर चित्रों का संदर्भ लें)[51] हुई।

6.4 पुरावशेष

➢ एएटी अधिनियम सरकार को अनिवार्य रूप से पुरावशेषों का अधिग्रहण करने के लिए सशक्त करता है। अनिवार्य अधिग्रहण के अलावा, एएसआई अन्वेषण, उत्खनन, सर्वेक्षण, खरीद, उपहारों आदि के माध्यम से पुरावशेषों का संग्रह करता है। एएसआई भारत में पुरावशेषों के सर्वोत्तम खजानों में से एक है। तथापि, जैसा कि पैरा 3.1 में वर्णित है, पुरावशेषों के प्रबंधन हेतु दस्तावेज को तैयार करने के लिए कोई भी विस्तृत नीति नहीं बनायी गयी तथा एएटी अधिनियम की समीक्षा हेतु किए जाने वाले कार्य अभी भी प्रक्रिया में थे। एक प्रेस विज्ञप्ति में (जुलाई 2021), मंत्रालय ने सूचित किया कि दस सरकारी संग्रहालयों एवं गैलरियों (राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय, स्थल-संग्रहालय एवं आधुनिक कला गैलरियों सहित) के 2.8 लाख कलाकृतियों के संग्रह का अंकीयकरण जतन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम (*पैरा 1.3 का संदर्भ लें*) के तहत पूरा किया गया है।

➢ जैसा कि पिछले प्रतिवेदन में वर्णित है, एएसआई के पास पुरावशेषों के हस्तांतरण/स्थानांतरण/अधिग्रहण/अभिरक्षा हेतु कोई भी नीति/मानक नहीं था। यह

[50] (i) तमलूक, राजबती (ii) क्लाइव हाउस, डूम डूम तथा (iii) मोती झील मस्जिद

[51] एएसआई ने अपने तमलूक स्थल-संग्रहालय को किराए की इमारत से स्मारक में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। तथापि, इसके अवैध कब्जों एवं पुनस्थापिन प्रक्रिया के अभाव के कारण, स्थल संग्रहालय के निर्माण हेतु ₹76.77 लाख की दूसरी भूमि खरीदना था (2019)।

सूचित किया (दिसम्बर 2020) कि पुरावशेषों के हस्तांतरण के समय न तो संबंधित फर्म के साथ अनुबंध और न ही बीमा किया जा रहा है।

➢ *पीएसी ने मंत्रालय से पुरावशेषों को ठीक करने या खरीदने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं अन्वेषण करने की सिफारिश की जो हमारे देश के लिए सांस्कृतिक महत्व के हैं लेकिन उन्हें विदेशी खरीददारों को बेच दिया गया तथा भारतीय मूल की कलाकृतियों/पुरावशेषों एवं/ या सांस्कृतिक संपत्ति को वापस भी लाना है जो देश से बाहर ले जायी गयी थी।* मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि पुरावशेषों की पुर्नप्राप्ति इसके केन्द्रित क्षेत्रों में से एक है। पुर्नप्राप्ति हेतु प्रक्रिया में 2014 से तेजी आयी तथा 199 पुरावशेषों की आज तक पुर्नप्राप्ति हो चुकी है जबकि 1976 एवं 2013 के बीच की अवधि के दौरान केवल 13 पुरावशेषों की पुर्नप्राप्ति हुई।

निष्कर्ष:

- *2014 के बाद मंत्रालय/एएसआई ने भारतीय मूल की कलाकृतियों को पुन: प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सुधार किए जो भारत के बाहर ले जायी गयी थीं। तथापि, स्मारकों एवं पुरावशेषों के केन्द्रीकृत एवं अंकीकृत डेटाबेस को तैयार करने से संबंधित कार्य राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन की स्थापना के 14 वर्षों के बाद भी पीछे था।*
- *पिछले प्रतिवेदन में इंगित करते हुए तथा पीएसी की सिफारिशों के बावजूद, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से संबंधित मुद्दों अर्थात् उनके चयन हेतु मानदंड एवं प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु सभी संरक्षित स्मारकों की सूची तैयार करना, स्मारकों का वर्गीकरण, स्मारकों की सूची में विसंगतियों को सुधारना, उनकी अधिसूचना एवं अधिसूचना वापस लेना आदि का समाधान नहीं किया गया।*

अध्याय 7: स्मारक प्रबंधन

हमारे स्मारक और पुरातात्विक स्थल सीमित और हमारे गैर-नवीकरणीय सांस्कृतिक संसाधन हैं। भारत की विरासत के समृद्ध भंडार में विश्व विरासत स्थल और राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारक शामिल हैं। एएसआई की प्रमुख जिम्मेदारी इन केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण कार्य है जो एक सतत् प्रक्रिया है।

7.1 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का प्रबंधन

लेखापरीक्षा ने विश्व विरासत स्थलों, *आदर्श स्मारक*, टिकट वाले स्मारकों, जीवंत स्मारकों आदि के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की जांच की। इस संबंध में, सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों का आंकलन करने के लिए 184 चयनित स्मारकों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया। इन आंकलनों के परिणामों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

7.1.1 विश्व विरासत स्थल

यूनेस्को एक विशिष्ट स्मारक को विश्व विरासत स्थल (डब्ल्यूएचएस) के रूप में नामित करता है। प्रशस्ति पत्र किसी भी देश के लिए प्रतिष्ठित है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। भारत में 40 डब्ल्यूएचएस (32 सांस्कृतिक, सात प्राकृतिक और एक मिश्रित) हैं, जिसमें से 24 एएसआई (जून 2021) के क्षेत्राधिकार में हैं।

पिछले प्रतिवेदन में, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के बाद, यह बताया गया था कि डब्ल्यूएचएस को सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधाओं, अतिक्रमण आदि से संबंधित कई मुद्दों का सामना करना पड़ा था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान किए गए एक समान अभ्यास से पता चला कि 12 डब्ल्यूएचएस में, कुछ सार्वजनिक सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं थीं। जैसा कि **अनुलग्नक 7.1** में बताया गया है, सार्वजनिक सुविधाओं के अलावा, दुभाषिया/गाइड या ऑडियो गाइड सेवाएं भी उपलब्ध नहीं थीं।

स्मारकों और स्थल-संग्रहालयों के बारे में सूचनात्मक सामग्री प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के संबंध में संसद की स्थायी समिति (मार्च 2021) द्वारा की गई सिफारिश के जवाब में, एएसआई ने कहा (दिसंबर 2021) कि इसका विकास प्रक्रियाधीन था।

यद्यपि मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूएचएस की निधि, सुरक्षा और संरक्षण आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक अलग तंत्र विकसित करने के संबंध में पिछले प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था, फिर भी ऐसी कोई प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं पाई गई थी।

विश्व विरासत स्थल-लाल किला, दिल्ली

लाल किला, दिल्ली के संबंध में पिछले प्रतिवेदन में उजागर विचारणीय मुद्दो का एएसआई द्वारा समाधान किया जाना बाकी था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- स्मारक के कुछ हिस्सों जैसे मुमताज महल, शाह बुर्ज को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है।
- स्मारक के कुछ हिस्सों का अभी भी, सीआईएसएफ निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा अपने कार्यालय/आवास के लिए उपयोग किया जा रहा था।
- एएसआई का प्रकाशन प्रभाग भण्डार, अभी भी औपनिवेशिक भवनों में स्मारक से काम कर रही थी।
- स्मारक के अंदर बने मंदिर, मजार को अभी भी अतिक्रमण के लिए रिपोर्ट किए गए स्मारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।
- लाल किले के परिसर में प्रवेश करने/बाहर जाने वाले वाहनों की सुरक्षा जांच के लिए अभी भी कोई व्यवस्था नहीं थी।

विश्व विरासत स्थल-सूर्य मंदिर, कोणार्क, ओडिशा

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, सूर्य मंदिर, कोणार्क के दौरे से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- शौचालय ब्लॉक, विकलांगों के लिए सुविधाएं, पार्किंग, क्लोक रूम की सुविधा, दुभाषिया जैसी कुछ सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।
- स्मारक के प्रवेश द्वार पर अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण हैं जिन्हें बाद में एएसआई (जनवरी 2022) द्वारा हटाए जाने की सूचना दी गई थी।
- संरचना पर फफूंदी/वनस्पति वृद्धि और दाग हो गए जिसे रासायनिक उपचार की आवश्यकता है। एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि स्मारक की सफाई एक नियमित प्रक्रिया थी जो विज्ञान शाखा द्वारा की गई थी।
- *1939* में एएसआई द्वारा अपने अधिकार में लेने से पहले सूर्य मंदिर के *गर्भगृह* को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था।
- स्मारक में लगे सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे।

पिछली लेखापरीक्षा के दौरान, कर्नाटक में हम्पी और पट्टाडकल में डब्ल्यूएचएस के संबंध में, अपूर्ण संरक्षण कार्यों, अतिक्रमणों, आगंतुकों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव आदि से संबंधित विभिन्न अभ्युक्तियां की गई थीं। इन स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि संरक्षण पर खर्च करने के बावजूद, इन स्मारकों[52] में अभी भी कमियां मौजूद थीं।

मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि कुछ डब्ल्यूएचएस को *आदर्श स्मारक* के रूप में भी माना गया है और इन स्मारकों पर आगंतुकों की सुविधा प्रदान/उन्नयन करना एक नियमित घटना है। यह भी सूचित किया गया कि कुछ डब्ल्यूएचएस के लिए इसने पर्यटन मंत्रालय की 'एक विरासत अपनाएं' के तहत समझौता किया था और डब्ल्यूएचएस की निधि, सुरक्षा और संरक्षण आवश्यकताओं के लिए एक अलग तंत्र विकसित किया जा रहा था।

7.1.2 *आदर्श स्मारक और टिकट वाले स्मारक*

पीएसी ने सिफारिश की थी कि एएसआई द्वारा बनाए गए सभी स्मारकों और स्थलों में आगंतुकों के लाभ के लिए स्वच्छ और आधुनिक शौचालय, भोजनालय, चिकित्सा दुकानें और उनके परिसर में और आसपास अन्य सुविधाएं होनी चाहिए।

एएसआई ने शौचालय, स्वच्छ पेयजल, वाई-फाई सेवाएं, कैफेटेरिया, दिव्यागंजनों हेतु सुविधाएं, साइनेज, क्लोक रूम, व्याख्या केंद्र इत्यादि[54] जैसी सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए मार्च 2018 (डब्ल्यूएचएस, टिकट[53] और गैर-टिकटिंग स्मारकों सहित) *आदर्श स्मारक* के रूप में 100 स्मारकों को आदर्श स्मारक बनाने की घोषणा की थी। 36 *आदर्श स्मारकों* के संयुक्त भौतिक निरीक्षण ने अन्य टिकट वाले स्मारकों में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं और सुविधाओं के अभाव को उजागर किया। पेयजल, शौचालय ब्लॉक, पार्किंग, वाई-फाई, क्लोक रूम, विकलांगों के लिए

[52] कृष्ण मंदिर परिसर, पुराना शिव मंदिर, सरस्वती मंदिर, भूमिगत शिव मंदिर, अष्टकोणीय स्नान, विरुपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर परिसर अनंतशयन मंदिर, पट्टाभि राम मंदिर, रघुनाथ मंदिर, कमल महल, चंद्रशेखर मंदिर, हजारा राम मंदिर (सभी हम्पी में) और 10 पट्टाडकल में स्मारक

[54] योजना दिसंबर 2014 में 25 स्मारकों के साथ शुरू की गई थी और इसके दूसरे चरण में 75 स्मारक जोड़े गए थे।

[53] 143 टिकट स्मारकों में से 54 को स्मारक की सूची में शामिल किया गया है।

सुविधाएं, गाइड सेवाएं इत्यादि। परिमंडल/राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक 7.1** में दिया गया है।

मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि उसने *आदर्श स्मारक* पर पहुँच मार्ग, साइनेज, पुरूष शौचालय, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल की हैं और ये सुविधाएं 82 *प्रतिशत* से अधिक ऐसे स्मारकों में उपलब्ध हैं। हालांकि, ऐसे स्मारकों के 56 प्रतिशत से भी कम में व्हील चेयर, *दिव्यांगजनों* के लिए शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, पार्किंग उपलब्ध थे।

टिकट वाले स्मारक-सुल्तान गढ़ी, दिल्ली

सुल्तान गढ़ी, दिल्ली को एएसआई द्वारा एक टिकट वाले स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था। एक यात्रा के दौरान, यह देखा गया कि स्मारक में आगंतुकों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। जैसे पीने का पानी, शौचालय, सांस्कृतिक संकेत, अलमारी, वाई-फाई और बिजली। दिव्यांगजनों के लिए कोई रास्ता या पार्किंग या सुविधाएं नहीं थीं। स्मारक क्षेत्र का उपयोग शौच के लिए किया जा रहा था। इसमें कई प्रवेश/निकास बिंदु थे, और इसकी चारदीवारी के टूटने के साथ, स्मारक सुरक्षित नहीं था। कर्मचारी स्मारक क्षेत्र के सीमांकन से अनजान थे। स्मारक में कोई बागवानी गतिविधि नहीं की गई थी। नीति आयोग (2020) के लिए किए गए एक अध्ययन में, स्मारक को सबसे खराब टिकट वाले स्मारक के रूप में करार दिया गया था। टिकट वाले स्मारक होने से, एएसआई को *सुल्तान गढ़ी* में आगंतुकों की सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।

7.1.3 अन्य स्मारक

मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया था कि विभिन्न श्रेणी/प्रकार के स्मारकों के परिरक्षण/संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं थी। उन्होंने बताया कि स्मारकों के संरक्षण का कार्य फील्ड अधिकारियों द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर किया गया। विभिन्न प्रकार के स्मारक जैसे जीवंत स्मारकों, *बाओलियाँ,* पाषाण-आलेखों पर पिछली रिपोर्ट में चर्चा की गई और पीएसी द्वारा की गई प्रासंगिक सिफारिशों को अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान पुनरीक्षण किया गया था। इस संबंध में निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है और **अनुलग्नक 7.1** में भी इसका विवरण है।

7.1.3.1 जीवंत स्मारक: जॉन मार्शल की मैनुअल ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार, अभी भी वे संरचनाएं जिन्हें जिस उद्देश्य के लिए अधिसूचना के समय डिजाइन किया

गया था, उसके लिए अभी भी उपयोग में हैं वे संरचनाएं जीवंत स्मारक कहलाते हैं। एएमएएसआर अधिनियम, 1958 में सरकार को इन जीवंत स्मारकों के रखरखाव और उन्हें नष्ट करने, हटाने, बदलने या विकृत करने पर प्रतिबंध के लिए इन जीवंत स्मारकों के मालिक के साथ एक समझौता करने की भी आवश्यकता है।

पीएसी ने इन जीवंत स्मारकों के सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता पर विचार करते हुए निम्नलिखित की आवश्यकता महसूस की:

- *जीवंत स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उनके उपयोग पर दिशानिर्देश विकसित करना;*
- *विवादित स्वामित्व या अतिक्रमण वाले स्थलों की अधिसूचना के लिए निर्धारित नीति; तथा*
- *स्मारक की अखंडता को बनाए रखने के लिए उक्त दिशानिर्देशों के आधार पर उपयोगकर्ताओं/रहने वालों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें।*

पीएसी की सिफारिशों के बावजूद, एएसआई द्वारा जीवंत स्मारकों पर कोई दिशानिर्देश या नीति दस्तावेज तैयार नहीं किया गया था। एएसआई ने पूजा और प्रार्थना के लिए इस्तेमाल होने वाले 955 स्मारकों की पहचान की थी। हालांकि, जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया था, एएसआई के पास उन स्मारकों का विवरण नहीं था जहां अधिसूचना जारी होने से पहले/बाद में प्रार्थना/पूजा आरम्भ की गई थी। इसके अलावा, एएसआई/मंत्रालय ने 2013-20 की अवधि के दौरान जीवंत स्मारकों के उपयोगकर्ताओं/रहने वालों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में इसके द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण प्रदान नहीं किया।

दिल्ली सर्किल में, जीवंत स्मारकों[55] के रूप में बताए गए सभी तीन स्मारकों पर अतिक्रमण पाया गया। कोलकाता सर्किल में, एक जीवंत स्मारक (सेंट जॉन्स चर्च) को चर्च अधिकारियों द्वारा नियंत्रित/रखरखाव किया जा रहा था और एएसआई को नहीं सौंपा गया था। इसके अलावा, दिल्ली, औरंगाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, धारवाड़ और कोलकाता सर्किल में, धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्मारकों

[55] सुनहरी मस्जिद, पालम मस्जिद, नीली मस्जिद

की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे शौचालय, कमरे का निर्माण, आधुनिक फिटिंग, पेंट आदि गया पाया गया। स्मारकों में किए गए इन परिवर्तनों में से कुछ को नीचे दर्शाया गया है:

पालम मस्जिद, दिल्ली में बने आधुनिक निर्माण	**दुबडी मठ, सिक्किम में प्रयुक्त प्लाई बोर्ड और मूल भित्ति चित्र**
घृष्णेश्वर मंदिर, एलोरा की दीवारों पर प्रयुक्त पेंट	**जोड गुंबज, विजयपुरा में सफेद और हरे रंग में रंगा स्मारक**

दुबडी मठ, सिक्किम के संबंध में, सर्किल कार्यालय ने कहा कि संबंधित स्मारक के लिए भिक्षु समिति ने सहयोग नहीं किया और विशेषज्ञ सलाह के बिना अपने आप पर काम किया। हालांकि एनपीसी-एएमएएसआर जीवंत स्मारकों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका को स्वीकार करता है, लेकिन यह स्मारक की संरचना/बनावट में किसी भी तरह के बदलाव को भी प्रतिबंधित करता है।

मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि सशक्त प्रयासों के अलावा, किसी भी स्मारक में धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं थी, जहां इसकी केंद्रीय सुरक्षा के समय यह अभ्यास में नहीं था या अगर काफी पहले ही मंद थी। हालांकि एएसआई ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध का जवाब नहीं दिया (ए) स्मारकों के विवरण की

अनुपस्थिति जहां अधिसूचना जारी होने से पहले/बाद में प्रार्थना/पूजा शुरू की गई थी; (बी) जीवंत स्मारकों के लिए दिशानिर्देश या नीति दस्तावेज तैयार न करना; (सी) प्रयासों की अनुपस्थिति जीवंत स्मारकों के उपयोगकर्ताओं/रहने वालों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करना; और (डी) इन स्मारकों में किए गए परिवर्तन।

7.1.3.2 *बाओलियां:* एएसआई ने संसद को एक जवाब (अगस्त 2010) में सूचित किया था कि दिल्ली सर्किल में, पंद्रह जल निकाय (बाओली) इसके अधिकार क्षेत्र में थे, जिनमें से दो सूखे थे और अन्य 13 साफ थे। इन जल निकायों का रखरखाव एएसआई द्वारा सीपीएम के हिस्से के रूप में जनता के देखने के लिए किया जा रहा था। *पीएसी ने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए मंत्रालय/एएसआई को विशिष्ट रूप से दिल्ली क्षेत्र में बाओली की देखभाल करने के लिए कहा था।* अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि इन *बाओलियां* की स्थिति बिगड़ती गई। एएसआई ने बताया (जनवरी 2021) कि 13 गीली *बाओलियां* में से दस गंदी हो गई थीं। मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि कोविड-19 लॉकडाउन ने संरक्षण कार्यों में बाधा उत्पन्न की थी जिसे आगामी वित्तीय वर्ष से शुरू किया जाएगा।

अग्रसेन की बाओली

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, यह बताया गया था कि एएसआई ने *अग्रसेन की बाओली,* दिल्ली के रखरखाव के लिए ग्लोबल वैश्य संगठन (जीवीओ) के साथ समझौता ज्ञापन (2009 में) पर हस्ताक्षर किए थे। इस संबंध में, एएसआई की परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) को परिभाषित करने के लिए कार्य का दायरा और अनुसूची गठित नहीं की गई थी। इसके अलावा, समझौता ज्ञापन में सहमति कार्यों जैसे स्मारक का रखरखाव, प्रकाशनों का मुद्रण और वितरण आदि जीवीओ द्वारा नहीं किया गया था। इसके बजाय, संरक्षित क्षेत्र में एक अनधिकृत पोर्टा केबिन स्मारक जीवीओ द्वारा अपने कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए स्थापित किया गया था। समझौता ज्ञापन को जनवरी 2011 (पांच साल के लिए), नवंबर 2017 और नवंबर 2019 (प्रत्येक दो साल के लिए) में एएसआई द्वारा नवीनीकृत किया गया था।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि पीआईसी का गठन अभी भी नहीं किया गया था। समझौते के बावजूद, जीवीओ द्वारा सुविधाएं जैसे पेयजल, महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय आदि उपलब्ध नहीं किए गए थे। इसके अलावा, समझौते की शर्तों के अनुसार, पोर्टा केबिन को प्रकाशन बिक्री काउंटर और

क्लोक रूम में परिवर्तित नहीं किया गया था और अभी भी जीवीओ द्वारा अपने कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाता था। अतिक्रमण को हटाने के बजाय, एएसआई ने जीवीओ के साथ समझौते का विस्तार करना जारी रखा।

7.1.3.3 रॉक एडिक्ट्स: ये राजा अशोक के संदेशों वाले पत्थरों पर खुदे हुए शिलालेख हैं। *पीएसी ने नोट किया कि रॉक एडिक्ट्स के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं थी। इसने एएसआई को उनके संरक्षण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करने की सिफारिश की क्योंकि उनका पूर्वकालीन मूल्य है और हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के ऐतिहासिक मूल्यांकन में एक निश्चित युग का चित्रण करते हैं।* उदयगोलम और नित्तूर (हंपी सर्किल) में अशोक रॉक एडिक्ट के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि दोनों स्थलों में उचित पहुंच सड़कों और सीमांकित संरक्षित क्षेत्र की कमी थी। इसके अलावा, इन स्थलों के आगंतुकों के लाभ के लिए रॉक शिलालेखों का अनुवाद भी उपलब्ध नहीं था। इसी तरह, दिल्ली सर्किल में अशोक रॉक एडिक्ट स्मारक में सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव और अतिक्रमण देखा गया था।

सलीमगढ़ किला लाल किला परिसर के आसपास के क्षेत्र में एक और स्मारक है। 1546 में (लाल किले से पहले) निर्मित किले को औरंगजेब (अपने भाई *मुराद बख्श* और बेटी *जेबुन्निसा* को बंदी बनाकर) की अवधि के दौरान एक जेल में बदल दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान, सलीमगढ़ किले का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया गया था। इसके अलावा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, इसे मेजर जनरल शाह नवाज खान, मेजर *गुरबख्श सिंह ढिल्लों* और कैप्टन *प्रेम कुमार सहगल* सहित भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों को कैद करने के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

सलीमगढ़ किले के दौरे के दौरान यह देखा गया कि स्मारक के अंदर बनी जेल एक उपेक्षित अवस्था में पड़ी थी। दीवारों पर दरारें और रिसाव था और इसे अपने

विरासत मूल्य के अनुसार उपयुक्त देखभाल और सुरक्षा नहीं मिल रही थी। मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि स्मारक को वार्षिक संरक्षण योजना (2021-22) में शामिल किया गया था और कार्य निष्पादन किया जाएगा।

स्रोत: एएसआई द्वारा प्रकाशित सलीमगढ़ किले पर प्रचार सामग्री

7.1.3.4 *कोस-मीनार*: *कोस-मीनार*[56] मध्यकालीन अवसंरचना (खंभे) हैं जिनका निर्माण राजमार्गों पर यात्रा और संचार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में किया गया है। पिछले प्रतिवेदन में, यह उल्लेख किया गया था कि एएसआई ने स्मारकों की एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में *कोस-मीनार* का कभी शोध और विश्लेषण नहीं किया था। *कोस-मीनार* के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान (दिल्ली और हरियाणा सर्किलों में) यह पाया गया कि *कोस-मीनार* के संरक्षण के लिए कोई विशेष योजना नहीं थी। घरुंडा, (दक्षिण करनाल), हरियाणा में *कोस-मीनार* के संबंध में, पिछली लेखापरीक्षा में कवर किए गए अवधि (2007) के बाद स्मारक की मरम्मत पर कोई खर्च नहीं किया गया था। दौरे के दौरान, एएसआई अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि इन स्मारकों को संरक्षण के लिए रासायनिक उपचार की आवश्यकता थी।

चयनित स्मारकों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में आगंतुकों को सुविधाएं प्रदान करने में कई कमियां सामने आईं। कुछ स्मारकों में पानी की अनुपलब्धता के कारण नवनिर्मित शौचालय ब्लॉक गैर-कार्यात्मक (जनवरी 2021) पाए गए। इसके अलावा, कुछ स्मारकों पर तो पूरी तरह से अतिक्रमण कर किया गया था या उपेक्षित अवस्था में थे या उनके कुछ हिस्सों को सक्षम प्राधिकारी अर्थात महानिदेशक, एएसआई (*अनुलग्नक 7.1 का संदर्भ लें*) के अनुमोदन के बिना आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया था।

7.2 स्मारकों पर परिरक्षण और संरक्षण कार्य

एएसआई के प्रमुख आदेशों में से एक देश[57] भर में सभी संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव को सुनिश्चित करना है। इन स्मारकों/स्थलों के संरक्षण कार्य से जुड़े मुद्दों पर यहां चर्चा की गई है।

[56] 3.2 किलोमीटर यानी एक कोस की दूरी पर बने मील पत्थर।

[57] एएसआई राज्य सरकारों और अन्य देशों के लिए संरक्षण परियोजनाएं भी चलाता है।

7.2.1 संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति को लागू करना

एएसआई ने प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों और अवशेषों (एनपीसी-एएमएएसआर) के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय नीति के विमोचन (फरवरी 2014) के बारे में पीएसी को सूचित किया था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 11 सर्किलों[58] में, एनपीसी-एएमएएसआर एक या अधिक महत्वपूर्ण निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था; जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है,

ए. अल्पावधि (दो वर्ष तक), मध्यावधि (दो से पांच वर्ष) और दीर्घावधि (पांच वर्ष और अधिक) निगरानी और रखरखाव योजना तैयार करना;

बी. वर्ष में कम से कम एक बार पुरातत्व अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण;

सी. स्थल प्रबंधन योजना (एसएमपी) की तैयारी;

डी. किए गए संरक्षण कार्य की सहकर्मी समीक्षा;

ई. मानचित्र, चित्र, फोटो, डिजिटल रिकॉर्ड, फील्ड नोट्स के माध्यम से संपूर्ण संरक्षण प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण;

एफ. संरक्षण कार्यों के लिए शिल्पकार की पहचान; तथा

जी. आपदा प्रबंधन के लिए स्मारक प्रभारी को प्रशिक्षण।

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया था कि एनपीसी-एएमएएसआर, 2014, संरक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करने वाला एक अच्छी तरह से संरचित दस्तावेज होने के बावजूद, एएसआई द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, औरंगाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, धारवाड़, हम्पी और कोलकाता सर्किलों में, संरक्षण निर्माण कार्यों[59] की योजना में अनियमितताएं और वार्षिक संरक्षण योजना[60] तैयार करने पर भी ध्यान नहीं देना देखा गया था। एनपीसी-एएमएएसआर में निर्धारित संरक्षण प्रक्रिया से कोई विचलन विरासत संरक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। मंत्रालय/एएसआई ने केवल उप-पैराग्राफ 'सी' और 'जी'

[58] दिल्ली, औरंगाबाद, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, भोपाल, जबलपुर, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, धारवाड़ और हम्पी।

[59] वार्षिक रख-रखाव/विशेष रिपोर्ट के लिए स्मारकों का चयन, संशोधित संरक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करने में देरी, स्वीकृत कार्य न करना, लॉग बुक का रखरखाव न करना आदि।

[60] पूर्व सूचना के बिना योजना तैयार करना, अनुमोदन के लिए अनुमान तैयार न करना, उप-मंडलों द्वारा अधिक अनुमान लगाना।

का उत्तर दिया (जनवरी 2022) और कहा कि चयनित डब्ल्यूएचएस के लिए एसएमपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारियों को आपदा प्रबंधन पर आवश्यक प्रशिक्षण के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क करने के लिए कहा जाएगा।

7.2.2 स्मारकों पर अनुचित संरक्षण कार्य

एनपीसी-एएमएएसआर, 2014 में स्मारक की मूल संरचना और संरचना को बनाए रखने के संबंध में विस्तृत निर्देश शामिल हैं। सभी चयनित राज्यों में स्मारकों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में अनुचित संरक्षण कार्यों, रासायनिक संरक्षण की आवश्यकता वाले स्मारकों, संरचना में किए गए परिवर्तन और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की उपेक्षित स्थिति के एएसआई द्वारा के उदाहरण सामने आए हैं। इन अनुचित संरक्षण कार्यों के उदाहरण **अनुलग्नक 7.2** में दर्शाए गए हैं।

7.2.3 विरासत उद्यानों का प्रबंधन

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, दिल्ली (11), हरियाणा (5), कर्नाटक (18), मध्य प्रदेश (3), महाराष्ट्र (7), ओडिशा (2) और पश्चिम बंगाल (5) राज्यों के 51 स्मारकों में अतिरिक्त वनस्पति के विकास के मामले देखे गए। अनुचित उद्यान प्रबंधन/स्मारकों पर खरपतवार की वृद्धि के उदाहरण **अनुलग्नक 7.3** में दर्शाए गए हैं।

इसके अलावा, एएसआई की बागवानी शाखा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 25 विरासत उद्यानों में से तीन दिल्ली में स्थित हैं। यह देखा गया कि इन विरासत उद्यानों[61] के परिदृश्य की जानकारी संबंधित बागवानी प्रभाग के पास उपलब्ध नहीं थी। एएसआई ने *मेहताब बाग*, लाल किला, दिल्ली में प्राचीन जल प्रवाह को पुनर्जीवित करने का काम किया था। हालांकि *मेहताब बाग* की पहचान एएसआई ने अपने पुरातात्विक उद्यान के रूप में की थी, संबंधित बागवानी विभाग (दिल्ली सर्किल) इस तरह की किसी भी गतिविधि से अनजान था और इस प्रक्रिया में शामिल नहीं था। यह भी देखा गया कि बागवानी शाखा और सर्किल कार्यालय के

[61] हूमायूं के मकबरे, लाल किले और सफदरजंग मकबरे में स्थित

बीच बागवानी प्रकृति के कार्यों के रूप में समन्वय का अभाव था चूंकि स्मारकों के अन्य भागों में वनस्पति को उखाड़ने, जंगल की सफाई आदि का कार्य सर्किल कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह, बागवानी प्रभाग, मैसूर में, ऐसे उदाहरण देखे गए जहां मण्डल कार्यालय बागवानी शाखा की सहायता के बिना उद्यानों का रखरखाव/विकास कर रहे थे। मंत्रालय/एएसआई ने इसकी रिपोर्ट की स्थिति के कारणों के रूप में (फरवरी 2022) कोविड-19 और मानव संसाधनों की कमी को जिम्मेदार ठहराया। एएसआई ने बताया कि अधिक समन्वय के लिए इसके बागवानी कार्यालयों को सर्किल कार्यालय से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, मेहताब बाग, लाल किला में संरक्षण कार्यों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया कि इसका जल प्रवाह सर्किल कार्यालय द्वारा किए गए संरक्षण कार्य का हिस्सा था।

7.2.4 एस्टाम्पेज का संरक्षण

एस्टाम्पेज पत्थर या तांबे की प्लेट शिलालेखों के कागजी छाप हैं। पुरालेख शाखा द्वारा स्तम्भों को उनके बिगड़ने से रोकने के लिए नियंत्रित वातावरण में संरक्षित किया जाता है। एपिग्राफी शाखा, मैसूर के एस्टाम्पेज स्टोर के दौरे के दौरान, यह देखा गया कि एस्टाम्पेज तापमान और आर्द्रता नियंत्रित वातावरण के तहत संरक्षित नहीं थे।

इस संबंध में, पुरालेख शाखा ने कहा (जनवरी 2021) कि उनकी लंबी दीर्घायु बढ़ाने के लिए अधिक वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करने के लिए विशेषज्ञों के परामर्श से कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी।

7.3 सुरक्षा और बचाव व्यवस्था

पीएसी ने महत्वपूर्ण स्मारकों और संग्रहालयों के आसपास सुरक्षा और बचाव के प्रबंधन में अन्तर देखा था। *इसने मंत्रालय से सुरक्षा कर्मियों की कमी को दूर करते हुए अपने नियंत्रण में आने वाले सभी स्मारकों और संग्रहालयों के लिए एक व्यापक सुरक्षा नीति विकसित करने की अनुशंसा की। पीएसी ने मंत्रालय से हवाई सर्वेक्षण और आईटी आधारित सुरक्षा के लिए सैटेलाइट कैमरे और अन्य एजेंसियों की स्थापना के लिए इसरो की मदद लेने की संभावना तलाशने को भी कहा था।* मंत्रालय ने एटीएन के माध्यम से प्रस्तुत किया था कि सुरक्षा के लिए इसरो मानचित्र या

उपग्रह कैमरे का उपयोग सुरक्षा उद्देश्य के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। हालांकि, यह नोट किया गया था कि एएसआई ने वेब-आधारित उपयोगिता के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया था जो उपयोगकर्ताओं को इसरो द्वारा तैयार किए गए मानचित्र आधारित सामग्री का पता लगाने की अनुमति देता है।

मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन संग्रहालयों (अर्थात स्थल-संग्रहालयों को छोड़कर) के लिए एक व्यापक सुरक्षा नीति जारी की (मार्च 2016)। हालांकि, एएसआई ने सूचित किया (मार्च 2021) कि एएसआई के तहत पुरातात्विक संग्रहालय ज्यादातर सीपीएम के पास स्थित हैं, और तदनुसार, स्मारकों के लिए जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीएम के लिए कार्मिक आवश्यकता के लिए कोई अलग सुरक्षा दिशानिर्देश या मानक नहीं थे।

चयनित स्मारकों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई सुरक्षा और बचाव व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को **अनुलग्नक 7.1** में शामिल किया गया है। मुंबई और औरंगाबाद सर्किलों में, एएसआई ने 192 स्मारकों में से 173 में सुरक्षा कर्मियों को तैनात नहीं किया था। दिल्ली सर्किल में, अपर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के कारण, एएसआई सप्ताह के विशिष्ट दिनों में कुछ टिकट वाले स्मारकों पर जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। कर्नाटक में, तीन सर्किलों (बेंगलुरु, धारवाड़ और हम्पी) में चुने गए 45 स्मारकों में से 26 में सुरक्षा गार्ड नहीं थे। भुवनेश्वर सर्किल में तीन स्मारकों और तीन स्थल-संग्रहालयों पर ही सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। इसी तरह, चंडीगढ़ सर्किल में, हरियाणा सब-सर्किल के तहत कुल 91 सीपीएम में से केवल एक सीपीएम पर सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए थे।

इसके अलावा, लाल किला, नई दिल्ली में स्थित प्रकाशन विभाग के केंद्रीय स्टोर का दौरा करते समय, यह देखा गया कि प्रकाशित स्टॉक को सुरक्षित करने के लिए कोई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।

निष्कर्ष:

- *पीएसी की सिफारिश के आधार पर, एएसआई ने इन स्मारकों के आगंतुकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने 100 स्मारकों में आदर्श स्मारक पहल शुरू की थी।*
- *हालांकि, चयनित स्मारकों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि अधिकांश स्मारकों में, आगंतुकों की सुविधाओं, संरक्षण निर्माण कार्यों, सुरक्षा आदि के प्रावधान सहित स्मारकों के प्रबंधन से संबंधित विचारणीय मुद्दों का समाधान नहीं किया गया था।*
- *एनपीसी-एएमएएसआर में निहित प्रावधानों/अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था।*

अध्याय 8: पुरावशेष प्रबंधन

देश भर में पुरावशेष अधिकतर राष्ट्रीय/राज्य स्तर के संग्रहालयों द्वारा अर्जित एवं अनुरक्षित थे। इसके अतिरिक्त, उत्खनन के दौरान प्राप्त पुरावशेष एएसआई द्वारा इसके स्थल संग्रहालयों पर रखे एवं प्रदर्शित किए जाते हैं।

8.1 राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय

मंत्रालय के अंतर्गत, सात राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय उसके अधीनस्थ कार्यालय अथवा स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यरत हैं। मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया कि पुरावशेषों के प्रबंधन के लिए एकरूप प्रक्रिया का पालन इन संग्रहालयों द्वारा नहीं किया जा रहा था क्योंकि वे स्वतंत्र इकाई थे जो बोर्ड/सोसायटी के निर्देशों के अधीन थे। फिर भी मंत्रालय ने पीएसी को अवगत कराया कि कला वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए एकरूप नीति के प्रारूपण एवं अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाये गये हैं। जैसा कि पैरा 3.1 में बताया गया है, पीएसी की सिफारिशों के सापेक्ष में, सभी संग्रहालयों (पैरा 7.3 में उल्लेखित सुरक्षा नीति को छोड़कर) के लिए एकरूप नीति प्रक्रिया नहीं बनाई गई। मंत्रालय द्वारा संग्रहालय में स्थित कला वस्तुओं को *जतन* सॉफ्टवेयर द्वारा अंकीयकरण के बारे में भी पीएसी को सूचित किया गया।

पिछले प्रतिवेदन में, पुरावशेष प्रबंधन जैसे परिग्रहण, पंजीकरण, प्रलेखन, परिग्रहण, भौतिक सत्यापन, संग्रहण, प्रदर्शन, सुरक्षा एवं मानव संसाधन से संबंधित कई प्रेक्षण बनाये गये थे। यद्यपि पीएसी द्वारा किसी भी राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों के लिए कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई, फिर भी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान उनके कार्यों में पाए गए विचारणीय क्षेत्रों की नीचे चर्चा की गई हैं:

8.1.1 राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली

राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली (एनएम), जिसका औपचारिक उद्घाटन अगस्त 1949 में हुआ था, के पास भारतीय एवं विदेशी दोनों मूल के लगभग 2.06 लाख उत्कृष्ट कलाकृतियाँ थीं, जो कि 5000 वर्षों से अधिक की सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए थीं। 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान, एन एम के औसत वार्षिक आवंटन ₹36.65 करोड़ के सापेक्ष में औसत वार्षिक व्यय ₹34.62 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएम की कार्यप्रणाली के विषय में दो समितियों नामत:

वरदराजन समिति (2004) एवं *येचुरी* समिति (2011) द्वारा चिंताएं व्यक्त की गई एवं पिछले प्रतिवेदन में भी इसे उल्लेखित किया गया था जो अभी भी मौजूद थीं। इस संबंध में निम्नलिखित अभ्युक्तियां की जा रही हैं:

- एन एम की संस्वीकृत संख्या, जो पिछले लेखापरीक्षा के समय 276 थी, को मंत्रालय द्वारा (जुलाई 2019) में कम[62] करके 174 कर दी गई, जिसके सापेक्ष में (दिसंबर 2020) 36 पद रिक्त थे। कुछ पद नामतः अतिरिक्त महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक 2014 से रिक्त थे।

- उपहार में प्राप्त वस्तुओं के अधिग्रहण को छोड़कर, एनएम द्वारा पिछले प्रतिवेदन में आवृत अवधि अर्थात् 2007 से ही किसी कलाकृति की खरीद नहीं की गई थी। यह देखा गया कि 1997 से एमएम की कला खरीद/अधिग्रहण समिति निष्क्रिय थी एवं पुर्नगठित नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप संग्रहालय के संग्रहण में नई अतिरिक्त वृद्धि नहीं हुई।

- एनएम के पास वस्तुओं के भौतिक सत्यापन को सम्मिलित करते हुए कार्यभार सौंपने/ग्रहण करने की कोई नीति/दिशानिर्देश/निर्देश नहीं थे। एनएम के विभिन्न अनुभागों में वस्तुओं के कार्यभार सौंपने/ग्रहण करने एवं उनके भौतिक सत्यापन में विलंब देखा गया। एनएम द्वारा एक बयान (सितंबर 2019) में जारी किया गया कि सभी कलाकृतियों के अंकीयकरण एवं उनके *जतन* सॉफ्टवेयर से संयोजन के पश्चात, (परिग्रहण पंजिका में दिए गए विवरण के साथ), सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण[63] मान ली जाएगी। फिर भी, 2.06 लाख कलाकृतियों में से, एनएम के पास 1.73 लाख वस्तुओं के अंकीयकृत अभिलेख थे, जिसमें केवल 0.81 लाख कला वस्तुओं का फोटोग्राफी/अंकीयकरण (जनवरी 2021 तक) पूर्ण हुआ था।

---

[62] नौ पद क्यूरेटर/डिप्टी क्यूरेटर एवं पांच पद संरक्षण/उप सरंक्षक, डिप्टी केमिस्ट को शामिल करते हुए।

[63] उच्च न्यायालय राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण में (सितम्बर 2019), यह बताया गया कि जतन के माध्यम से अंकीयकरण परियोजना के एक हिस्से के रूप में, वर्गीकृत परिग्रहण पंजी (सीएआर) में प्रदर्शित रही सभी सूचना सिस्टम में डाली गई है। तत्पश्चात् सीएआर में प्रदर्शित कि हो रही प्रत्येक वस्तु भौतिक रूप से सत्यापित की गई है तथा भौतिक सत्यापन के प्रमाण के रूप में फोटोग्राफ भी ली गई है।

- *येचुरी* समिति ने, एनएम में कलाकृतियों के (2003 से) भौतिक सत्यापन न होने का इशारा करते हुए, महसूस किया कि जब भी सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कुछ वस्तुएँ गायब मिलेंगी। पिछले प्रतिवेदन में भी एनएम में कलाकृतियों की संख्या में विसंगति के मुद्दे को शामिल किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, एनएम के विभिन्न अनुभागों में, वस्तुओं की संख्या इन दोनों समितियों द्वारा बताई गई संख्या से भिन्न पाई गई। इसके अतिरिक्त, एनएम के कुछ अनुभागों में, कलाकृतियों के गायब/न पता लगाने योग्य उदाहरण भी देखे गये।

अनुलग्नक 8.1 में कलाकृतियों के कार्यभार सौंपने/ग्रहण करने/सत्यापन प्रक्रिया एवं गायब/ न पता लगाने योग्य का अनुभाग-वार स्थिति का विवरण दिया गया है। कुछ उदाहरण नीचे दर्शाए गए हैं:

- मुद्रा संग्रहण अनुभाग में केवल दस *प्रतिशत* सिक्के भौतिक रूप से सत्यापित थे। जैसा कि पूर्व प्रतिवेदन में चर्चा की गयी थी, पूर्व क्यूरेटर के अलमारी से 15 पुरातन सिक्के बरामद (2008) किये गये थे, अभी भी सत्यापित एवं संग्रहालय अभिलेखों के साथ परिग्रहित नहीं थे। अपर्याप्त सत्यापन के कारण, गैलरी में प्रदर्शित एवं रिजर्व से हटाये गये सिक्कों के सह संबंध का कोई अभिलेख नहीं था।

- पूर्व-इतिहास अनुभाग में, 5437 वस्तुओं के सापेक्ष में केवल 1942 कलाकृतियों को सौंपा/लिया गया। क्यूरेटर को बची हुई कलाकृतियाँ कहाँ हैं के बार में कोई सूचना नहीं थी। पूर्व कोलंबिया एवं पश्चिमी कला अनुभाग में, 2909 वस्तुओं (*येचुरी* समिति द्वारा चिन्हित) के सापेक्ष, में केवल 1208 प्रतिवेदित थे। इसी प्रकार नृविज्ञान अनुभाग में, 501 वस्तुएं गायब/ न पता करने योग्य सूचित की गई थी।

- पिछले प्रतिवेदन में, यह रेखांकित किया गया था कि पाण्डुलिपि अनुभाग के परिग्रहण रजिस्टर में अनियमितता के कारण, इसके प्रभार को नये क्यूरेटर को नहीं सौंपा गया था। जैसा कि **अनुलग्नक 8.1** में विवरण दिया गया है, 35 *प्रतिशत* पाण्डुलिपियाँ (4871) अभी भी भौतिक रूप से सत्यापित नहीं हैं।

- पेंटिंग अनुभाग में, 2016 से पूर्ण कार्यभार सौंपने/ग्रहण करने की प्रक्रिया लंबित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि परिग्रहण रजिस्टर में *थांका* के रूप में वर्णित पेंटिग *बुद्धा* की गुम तस्वीर थी।

परिग्रहण रजिस्टर के अनुसार

स्वामित्व में

अनुभाग ने (मार्च 2021) में लेखापरीक्षा को सूचित किया कि दो पेंटिंग्स एक परिग्रहण संख्या के अंतर्गत दर्ज की पाई गईं है। संग्रहालय प्राधिकरण को (जनवरी 2020) में यह भी सूचित किया गया था कि अनुभाग की विभिन्न कलाकृतियाँ गायब थीं। फिर भी, एनएम (मार्च 2021) द्वारा की गई कार्रवाई का कीई अभिलेख नहीं था। इसी प्रकार, पूर्व-इतिहास रिजर्व में, वस्तुएं बिना परिग्रहण संख्या के रिजर्व में पड़ी हुई पाई गई।

- एनएम के पास 26 गैलरी थीं जिसमें, हथियार एवं कवच, पाण्डुलिपियाँ, पेंटिंग्स, पूर्व कोलंबिया एवं पश्चिमी कला, जवाहरात, पुरालेख एवं वस्तु गैलरी बंद पाईं गईं। *येचूरी* समिति ने पाया कि उन्नयन/नवीनीकरण, प्रदर्शन वस्तुओं एवं कार्मिकों की कमी, के कारण के अलावा सतर्कता एवं चोरी संबंधी मामलों के लंबित रहने के कारण भी गैलरियाँ बंद थी। यह भी पाया गया कि कुछ गैलरी जैसे कि पूर्व कोलंबिया एवं पश्चिमी कला, पाण्डुलिपि जो पूर्व प्रतिवेदन में भी बंद पाई गई थीं उनके उन्नयन की वजह के बहाने अभी भी खोली नहीं गई हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश अनुभागों में, केवल नौ *प्रतिशत* तक कला वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं।

इस मुद्दे पर, एनएम ने (अप्रैल 2021) में बताया कि कोई भी गैलरी सतर्कता एवं चोरी के लंबित मामलों के कारण बंद नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुरावशेषों का कम *प्रतिशतता* में प्रदर्शन का कारण जगह का कम होना है। तथ्य यह है कि कलाकृतियों के कम *प्रतिशतता* में प्रदर्शन एवं गैलरियों के बंद रहने के कारण आम जनता हमारे समृद्ध विरासत को अनुभव करने से वंचित रही।

- जैसा कि पिछले प्रतिवेदन में उल्लिखित था, एनएम के विभिन्न अनुभागों के रिजर्व संग्रह में, सुरक्षा कैमरे उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कला वस्तुएं लकड़ी की अलमारी में कमरों/अनुभागों (जैसे पेंटिंग्स, मध्य एशियाई संग्रह) में अग्नि-सुरक्षा को सुनिश्चित किए बिना रखी गईं थीं।

ऑरेल स्टीन संग्रह-मध्य एशियाई पुरावशेष

ऑरेल स्टीन (1862-1943) एक पुरातत्वविद् थे, जो अपने अन्वेषण एवं खोज के लिए जाने जाते हैं। एनएम के गैर-भारतीय संग्रहों के बीच, मध्य एशियाई कला संग्रह एक महत्वपूर्ण संग्रह है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण उत्कृष्ट भित्ति चित्र, रेशमी बैनरें, मूर्तियाँ, कला वस्तुएँ आदि हैं। यह संग्रह, ऑरेल स्टीन द्वारा, 1900-1916 के दौरान, तीन महत्वपूर्ण अभियानों में खोजे एवं संग्रहित किए गए थे।

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, यह बताया गया था कि इस संग्रह का एक भाग जिसमें 700 कला वस्तुएं शामिल थी सन् 1923 से 1933 के मध्य भारत सरकार (एएसआई द्वारा विक्टोरियां एवं अल्बर्ट (वी एवं ए) संग्रहालय को उधार दिया गया था। उधार दी गई कला वस्तुएं वापस[64] प्राप्त नहीं की गई थी। यह पाया गया कि वी एवं ए संग्रहालय से संग्रह को पुन: प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, एनएम के संरक्षण प्रयोगशाला में कुछ वस्तुएं अभी भी पड़ी (50 वर्षों से अधिक समय से) हुई थी।

स्रोतः सीएजी की 2013 की प्रतिवेदन सं. 18 (पृष्ठ 151)

[64] वी एवं ए वेबसाईट वी एवं ए/स्टीन संग्रह (vam.ac.uk) भारत सरकार से उधार प्राप्त संग्रह में लगभग 600 कपड़े के टुकड़े एवं 70 से अधिक सेरामिक तथा 200 ई.पू. और 1200 ई.पू. के मध्य की बौद्ध वस्तुएं शामिल थीं।

- अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि एनएम की अमूल्य मूर्तियां असुरक्षित वातावरण में, धूल-सरित पड़ी हुई थी जैसा कि निम्न फोटोग्राफ एवं **अनुलग्नक 8.2** में चित्रित है।

8.1.2 एशियाटिक सोसायटी, मुम्बई

रॉयल एशियाटिक सोसायटी के मुम्बई शाखा की स्थापना 1826 में मुम्बई साहित्यिक सोसायटी एवं आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल एशियाटिक सोसायटी को विलय करके की गई थी। एशियाटिक सोसायटी, मुम्बई(एएसएम) एक पुस्तकालय एवं अनुसंधान सोसायटी है जिसके अधिकार में बौद्ध अवशेष, पुरातन सिक्के, पाण्डुलिपियाँ इत्यादि हैं। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया कि सिक्कों के अलावा, एएसएम द्वारा किसी परिग्रहण पंजिका का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। सिक्कों के सूचीबद्ध करने का कार्य 2014-15 से शुरू किया गया था, अभी भी अपूर्ण था और सिक्कों एवं अन्य पुरावशेषों का भौतिक सत्यापन 2008 से लंबित था।

8.1.3 सालारजंग संग्रहालय, तेलंगाना

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद (एसजेएम) की स्थापना 1951 में की गई थी एवं 1961 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। इसके पास दुनियाभर से प्राप्त पुरावशेष और कला वस्तुओं का संग्रह है। लेखापरीक्षा द्वारा 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान निम्न अभ्युक्तियाँ देखी गई:

- एसजेएम अधिनियम, 1961, संग्रहालय के दक्षतापूर्ण प्रबंधन और नियोजन, उन्नयन, संगठन एवं संग्रहालय के विकास के क्रियान्वयन के लिए एक बोर्ड का प्रावधान करता है। बोर्ड द्वारा एक वर्ष में अनिवार्य चार बैठकों (कम से कम) के सापेक्ष में केवल दो मीटिंग की गई, जबकि इस अवधि में कुल मिलाकर 28 वांछित मीटिंग होनी थी। इसी प्रकार शीर्ष स्तर पर संग्रहालय के प्रभावी प्रबंधन के लिए सलाह उपलब्ध नहीं थी। उप-समितियों के निर्धारित

बैठकों में भी इसी प्रकार की कमियाँ विद्यमान थीं, जैसे कार्यकारी समिति (71.43 *प्रतिशत*), वित्त समिति (35.71 *प्रतिशत*) एवं भवन सलाहकार समिति (85.71 *प्रतिशत*) देखी गई थीं।

- पिछले लेखापरीक्षा के दौरान एसजेएम की संस्वीकृत संख्या 166 थी जो 2020-21 में घटकर 140 रह गई थी। कम किए हुए संख्या के सापेक्ष, में जनशक्ति (20 माह से लेकर 16 वर्ष) की कुल कमी 46 थी अर्थात्, 32.86 *प्रतिशत* (तकनीकी कार्मिक के 21 पदों को शामिल करते हुए)। एसजेएम द्वारा उत्तर दिया गया (जून 2021) कि बजट की कमी के कारण पदों को नहीं भरा जा सका।
- 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान, एसजेएम का औसत वार्षिक निधि आवंटन ₹24.33 करोड़ था। चूँकि अनुदान परिरक्षण एवं संरक्षण गतिविधियों के लिए पृथक रूप से आवंटित नहीं थे, फिर भी ऐसे कार्य प्राथमिकता एवं उपलब्धता के आधार पर लिए जा रहे थे। इस अवधि (2014-20) के दौरान, परिरक्षण एवं सरंक्षण गतिविधियों पर व्यय (सुरक्षा प्रणाली के उन्नयन, अंकीयकरण आदि पर व्यय को शामिल करते हुए) 0.09 से 5.83 *प्रतिशत* था।
- एसजेएम ने कोई नई कलाकृति अर्जित नहीं की थी और इसकी कला अभिग्रहण समिति भी गठित नहीं थी। एसएजएम ने (जून 2021) उत्तर दिया कि 1992 के बाद कोई अभिग्रहण नहीं किया गया था एवं समिति का गठन नहीं किया गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि कोई नई मद एसजेएम संग्रह के लिए उपयुक्त नहीं होगी और इस प्रक्रिया में ज्यादा लागत आयेगी।
- एसजेएम के अधिकार में 46,216 कला वस्तुएँ, 8,191 पाण्डुलिपियां एवं 69,225 पुस्तकें थीं। 46,216 कला वस्तुओं में से, उसके द्वारा 16,606 वस्तुएं प्रदर्शित की गईं एवं 29,610 (64 *प्रतिशत*) रिजर्व में पड़ी थीं। यह पाया गया कि एसजेएम के पास कोई आवर्तन नीति नहीं थी। इस संबंध में, एसजेएम ने बताया कि गैलरी के डिजाइन को देखते हुए विशेष अवसरों/प्रदर्शनियों के अवसर पर अथवा जहां कहीं भी संभव था रिजर्व से मुख्य एवं सीमित कलाकृतियों, वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। उत्तर तर्कसंगत

नहीं था क्योंकि आवर्तन/प्रदर्शन नीति की अनुपस्थिति में कई कला वस्तुएं रिजर्व में बिना कभी प्रदर्शन के पड़ी हुईं थीं, एवं इस प्रकार, आगंतुकों के उन्नत अनुभवों से वंचित रहें।

- कला वस्तुओं के संबंध में भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र तिथि, नाम एवं सत्यापन प्राधिकारी की मुहर के बिना जारी की गई थी जैसा कि **अनुलग्नक 8.3** में चित्रित है। इसके अलावा, एसजेएम के पास कला वस्तुओं की वास्तविकता के मूल्यांकन के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं थे।

  एसजेएम ने (अप्रैल 2021) बताया कि कला वस्तुओं की वास्तविकता का मूल्यांकन उनके भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के नियमन का स्वरूप बोर्ड के अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। तथापि, एसजेएम का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भौतिक सत्यापन प्रक्रिया एक नियमित प्रक्रिया थी एवं इसे वस्तुओं की वास्तविकता के आकंलन के उद्देश्य से नहीं लिया जा सकता है।

- एसजेएम ने 100 *प्रतिशत* कला वस्तुओं और 54 *प्रतिशत* पाण्डुलिपियों को अंकीयकरण कर दिया था। इसके द्वारा सभी पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों की आरएफ आईडी टैगिंग को पूरा किया गया था। तथापि, कला वस्तुओं के संबंध में, केवल 10,000 वस्तुओं (22 *प्रतिशत*) की आरएफआईडी टैगिंग की गई थी। एसजेएम ने बताया कि पाण्डुलिपियों के अंकीयकरण का कार्य अगले दो वर्षों में पूरा किया जाएगा जबकि मंत्रालय परियोजना कोटा के अंतर्गत सीमित संख्या में आरएफआईडी टैंगिग थे।

- एसजेएम बजट प्रतिबंधों के कारण अपनी सुरक्षा एजेंसी अर्थात् केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सिफारिश के अनुसार सीसीटीवी कैमरों का उन्नयन करने में असमर्थ था। इसके अलावा, नीति/दिशा निर्देशों की अनुपस्थिति में, एसजेएम का परिरक्षण एवं सरंक्षण गतिविधियों (सुरक्षा प्रणाली के उन्नयन, अंकीयकरण को शामिल करते हुए) पर व्यय उसके कुल व्यय के 0.09 और 5.83 *प्रतिशत* के मध्य था।

8.1.4 विक्टोरिया मेमोरियल हॉल संग्रहालय, कोलकाता

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता (वीएमएच), विक्टोरिया मेमोरियल अधिनियम, 1903 के अंतर्गत स्थापित किया गया था और इसे 1935 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। वीएमएच के पास रेखाचित्रों और चित्रों, सिक्कों एवं पदकों, हथियारों एवं कवचों, पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों आदि के संग्रह है। लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ दी:

- वीएमएच की रिक्ति स्थिति 30.1 *प्रतिशत* (पिछली लेखापरीक्षा के दौरान) से बढ़कर 53.7 *प्रतिशत* हो गई। 175 संस्वीकृत पदों में से, 94 पद तीन माह से 32 वर्ष तक की अवधि के लिए रिक्त थे।
- 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान, वीएमएच का वार्षिक औसत निधि आवंटन ₹37.49 करोड़ था, के सापेक्ष में औषत वार्षिक उपयोग ₹27.37 करोड़ हुआ था, जो कि आवंटित अनुदानों के कम उपयोग को दर्शाता हैं।
- पिछले प्रतिवेदन अर्थात् 2007 में शामिल अवधि से वीएमएच ने कोई भी नयी कलाकृतियां प्राप्त नहीं की। 33,497[65] कलाकृतियाँ वीएमएच के अधिकार में थी, जिसमें 28,394 (85 *प्रतिशत*) का परिग्रहण किया गया है तथा 26,611 (79 *प्रतिशत*) का अंकीयकरण/प्रलेखन किया गया। अधूरे प्रलेखन के अलावा, वीएमएच की परिग्रहण पंजी बिना कोई सॉफ्ट कॉपी बैकअप के खराब स्थिति में पायी गयी। केवल 18 *प्रतिशत* वस्तुओं को एआरएफआईडी के लिए टैग भी किया गया है।
- पिछले प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया कि वीएमएच की 28,394 कलाकृतियों में से 18,979 अपनी प्राचीन एवं आन्तरिक महत्व के संबंध में असत्यापित रहीं। यह पाया गया कि 2017-18 के दौरान, वीएमएच ने अपनी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया। तथापि, इनके द्वारा संबंधित प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया।

  वीएमएच ने अपने उत्तर में आश्वासन दिया कि भौतिक सत्यापन एवं इनके संग्रह का अधिप्रमाणन पूरा करने के लिए पहल की जाएगी।

[65] पिछले प्रतिवेदन के अनुसार 33,493

- इनके पास उपलब्ध 33,497 वस्तुओं में से वीएमएच ने अपनी गैलरियों (मार्च 2020) में केवल 817 वस्तुओं (2.44 *प्रतिशत*) को प्रदर्शित किया। वीएमएच ने बताया कि अस्थायी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित कलाकृतियों का आवर्तन, माह के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन तथा स्थायी प्रदर्शनी में परिवर्तनों के लिए प्रयास किए गए। तथ्य यह है कि गैलरी में प्रदर्शित वस्तुओं की संख्या बहुत कम थी। और, वीएमएच की विभिन्न गैलरियां भी जैसे चित्र गैलरी, भारतीय कला विद्यालय, क्वीन्स हॉल आदि अपने नवीनीकरण या मरम्मत के कारण 23 महीनों तक की अवधि के लिए बंद थे।

- *रवीन्द्र भारती* सोसायटी ने वीएमएच (2011) को उधार पर 5,103 चित्रकलाओं को दिया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार (2007), वीएमएच को *रवीन्द्र भारती* सोसायटी को प्रतिवर्ष ₹10 लाख की राशि का ऋण अदा करना था। तथापि केवल नौ चित्रकलाओं को दर्शाया गया तथा वीएमएच शेष चित्रकलाओं का उपयोग करने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त, 303 अधिगृहित चित्रकलाओं का भौतिक सत्यापन बीएमएच द्वारा नहीं किया गया।

- दो बैगेज स्कैनरों एवं 13 हैन्ड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स के लिए अपनी सुरक्षा समिति की सिफारिश के सापेक्ष में, वीएमएच के पास क्रमश: एक एवं छ: ऐसी मशीनें थी। संग्रहालय ने अपने भण्डार-कक्षों में कोई भी एयर-कंडीशनर नहीं लगाए थे जबकि आठ स्टोरों में से केवल तीन में सीसीटीवी कैमरे स्थापित थे। वीएमएच के पास कोई फायर अलार्म, धूम्र संसूचक, स्प्रिकलर्स, आदि नहीं थे तथा भंडारों में कोई भी अग्निशमन यंत्र नहीं था। पर्यावरण मापदंडो को अभिलेखित करने हेतु चार डाटा लोगर्स की खरीद (मार्च 2015) के बावजूद उपरोक्त को प्रयोग के लिए नहीं रखा गया है।

8.1.5 भारतीय संग्रहालय, कोलकाता

भारतीय संग्रहालय, कोलकाता (आईएम) की स्थापना 1814 में की गई तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र में सबसे बड़ा एवं अपनी तरह का सबसे पुराना संस्थान है। संग्रहालय 35 गैलरियों के माध्यम से प्रदर्शित दोनो भारतीय एवं ट्रांस भारतीय वस्तुओं का कोष है। पिछले प्रतिवेदन में, यह इंगित किया गया कि संस्थान समान सरंक्षित नीति को तैयार करने में असफल रहा, जिसका परिणाम इसकी कलाकृतियों का खराब होने में हुआ। इस संबंध में, आईएम ने बताया कि नीति 2015 से मंत्रालय के अनुमोदन के लिए प्रतीक्षित थी।

2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान, आईएम का वार्षिक औसत निधि आवंटन ₹22.25 करोड़ था जिसके सापेक्ष में ₹21.36 करोड़ औसत वार्षिक उपयोग हुआ था। 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान, आवंटन में क्रमश: 64.5 तथा 88.2 की *प्रतिशतता* वृद्धि को दर्शाया। आईएम की कार्यकारी पर अभ्युक्तियों की नीचे व्याख्या की गई है:

- आईएम की रिक्त स्थिति में 28.7 *प्रतिशत* (पिछली लेखापरीक्षा के दौरान) से 58.9 *प्रतिशत* तक वृद्धि हुई। 209 संस्वीकृत पदों में से 123 पद छ: महीने से लेकर 25 वर्ष तक की अवधि के लिए रिक्त थे।

- आईएम ने कोई भी नई कलाकृतियों का अधिग्रहण नहीं किया। आईएम के अधिकार में 1,08,000 कलाकृतियां थीं जिसमें से 72984 (67 *प्रतिशत*) का परिग्रहण किया गया है तथा 46,008 (43 *प्रतिशत*) का अंकीयकरण किया गया था। आईएम के पास अपनी 60,224 वस्तुओं के प्रलेखित फोटो थी जबकि केवल 8 प्रतिशत वस्तुएं आरएफआईडी के लिए टैग की गई है। इसके अतिरिक्त, परिग्रहण संख्याओं की पुनरावृत्ति पायी गई थी क्योंकि विभिन्न अनुभाग अपने-अपने परिग्रहण-पंजियों का अनुरक्षण कर रहे थे।

- पिछले प्रतिवेदन में, यह इंगित किया गया कि आईएम में वस्तुओं का भौतिक सत्यापन (2005 में प्रारम्भ) कलाकृतियों के 38 *प्रतिशत* के लिए किया गया (मार्च 2012 तक)। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वस्तुओं का 11 *प्रतिशत* अभी तक सत्यापित नहीं किया गया था (मार्च 2020)। इसके अतिरिक्त, वस्तुओं के संरक्षण की आवश्यकता को चिन्हित करने के लिए आईएम द्वारा सर्वेक्षण भी नहीं किया गया। आईएम पर पाए गए अनुचित सरंक्षण कार्य का उदाहरण नीचे चित्रित किया गया है:

शिव की *गजासुरसंहार* मूर्ति में पैच कार्य पाया गया	**लाल मिट्टी का पत्थर *यक्षी* पूर्णत: काले रंग में परिवर्तित कर दिया गया था।**
आईएम ने अनुचित पैच कार्य पर अभ्युक्ति को स्वीकार किया। यक्षी के संबंध में उसने बताया कि इक के काले पड़ने का कारण कोटिंग में अधिक रंगद्रव्य था। उसने प्रदूषकों के जमाव की सम्भावना का भी वर्णन किया क्योंकि मूर्ति सड़क के पास स्थापित थी।	

- उनके साथ उपलब्ध 1,08,000 वस्तुओं में से आईएम ने गैलरी (मार्च 2020) में 2,554 वस्तुओं (2.36 *प्रतिशत*) को प्रदर्शित किया। इस संबंध में आईएम ने उत्तर दिया कि लोकहित में, कलाकृतियों का नियमित आवर्तन संग्रहालय घेरे के अंदर एवं बाहर प्रदर्शनी आयोजित करने वाले साधनों द्वारा अनुरक्षित किया गया। तथापि कोई भी नियमित आवर्तन नीति नहीं थी तथा गैलरी में प्रदर्शित वस्तुओं की संख्या बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त, नवीनीकरण/सुधार से संबंधित मुद्दों के कारण कुछ गैलरियां अर्थात् सांस्कृतिक नृविज्ञान गैलरी, कांस्य गैलरी, पूर्व-प्रोटो इतिहास, दक्षिण पूर्व एशियाई गैलरी लेखापरीक्षा के दौरान शामिल अवधि के समय बंद रहीं थी। गैलरियों में प्रदर्शित गई कलाकृतियों की स्थिति **अनुलग्नक 8.2** में चित्रित की गई है।
- उचित तापमान को नियंत्रित करने के लिए एअर-कंडीशनर्स तथा सीसीटीवी कैमरे भंडारों में नहीं लगाए गए थे। संग्रहालय में कोई भी फायर अलार्म, धूम्र-संसूचक, स्प्रिंकलर्स नहीं थे तथा केवल पाँच भंडारों (दस में से) में अग्निशमन लगे थे।

8.1.6 एशियाई सोसायटी, कोलकाता

एशियाई सोसायटी, कोलकाता (एएसके) की स्थापना सर विलियम जॉन्स द्वारा 1784 में की गई तथा 1984 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया। एएसके के पास चित्रकलाओं, पांडुलिपियों, सिक्के आदि का बड़ा संग्रह था। 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान, एएसके का वार्षिक औसत निधि

आवंटन ₹24.09 करोड़ था जिसके सापेक्ष में ₹22.29 करोड़ का औसत वार्षिक उपयोग हुआ था। एएसके के संबंध में निम्नवत पाया गया:

- एएसके की रिक्तता स्थिति में 17.5 *प्रतिशत* (पिछली लेखापरीक्षा के दौरान) से 31.9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। 254 संस्वीकृत पदों में से 81 पद दो महीने से लेकर 24 वर्ष सात महीने तक के बीच की अवधि के लिए रिक्त थे।

- कला खरीद समिति की सिफारिशों के आधार पर एएसके ने 2015 एवं 2017 के दौरान 166 कला वस्तुओं (35 उपहारों सहित) अधिग्रहण किया। तथापि, अधिग्रहित पुरावशेषों की यथार्थता को सुनिश्चित करते हुए परिभाषित प्रक्रियाओं की कमी के कारण एएसआई के माध्यम से केवल 10 वस्तुओं को सत्यापित करने के लिए सक्षम था।

- एएसके के अधिकार में 3,01,626 कलाकृतियाँ थीं जिसमें से 2,86,363 (95 *प्रतिशत*) का परिग्रहण किया गया। तथापि, एएसके ने केवल क्रमश: 9,165 (पांच *प्रतिशत*) एवं 1,774 (तीन *प्रतिशत*) वस्तुओं का अंकीयकरण एवं फोटो प्रलेखन किया। उसने लेखापरीक्षा को शेष कार्य को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति के गठन के संबंध में आश्वासन दिया। खराब प्रलेखन प्रक्रिया के अतिरिक्त एएसके के पास अपने परिग्रहण पंजियों की कोई भी बैकअप कॉपी नहीं थी।

- पिछले प्रतिवेदन में, यह उल्लेख किया गया कि एएसके पास उपलब्ध दुर्लभ सिक्के कभी नहीं गिने गए तथा न ही कभी भौतिक रूप से सत्यापित किए गए। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि उपलब्ध सिक्कों की संख्या एवं उनके सत्यापन के संबंध में स्थिति स्थिर थी। सिवाय चित्रकलाओं एवं पाण्डुलिपियों के, प्रतिमाएं, पत्थर की मूर्तियों एवं सिक्कों का एएसके द्वारा उनके सरंक्षण हेतु कभी भी सर्वेक्षण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, शीघ्र पुर्नस्थापन हेतु चिन्हित दस *प्रतिशत* पाण्डुलिपियों के संबंध में, कार्य में पिछले दो वर्षों से देरी की गई। एएसके में कलाकृत्तियों की संरक्षण स्थिति भी **अनुलग्नक 8.2** में चित्रित की गई है।

- एएसके[66] द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए परिग्रहण करने का कोई भी अद्यीतीय प्रतिरूप नहीं पाया गया। एएसके द्वारा रखे गए नक्शों को कोई भी परिग्रहण संख्या नहीं दी गयी थी।

- एएसके के पास सुरक्षा उपकरण जैसे चौखट धातु संसूचक, बैगेज स्कैनर्स, वॉकी-टॉकीज, आदि उपलब्ध नहीं थे तथा इनकी आवश्यकता का आंकलन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। एएम द्वारा स्थापित 180 सीसीटीवी में से 80 खराब थे। अग्निशमन यंत्रों को छोड़कर कोई भी फायर अलार्म, धूम्र-संसूचक, स्प्रिंकलर्स नहीं लगाए गए।

8.2 एएसआई स्थल-संग्रहालय

एएसआई के पास पूरे देश में फैले अपने क्षेत्राधिकार के अधीन 50 पुरातत्व स्थल संग्रहालय थे। स्थल-संग्रहालयों के संबंध में, मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया कि 1915 में तैयार की गई विस्तृत नीति की पुन: जांच की गई तथा पुन: परिभाषित की गई। उसने सूचित किया कि पुरातत्व संग्रहालयों के लिए विजन, मिशन एवं दिशानिर्देशों पर मसौदा दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, जैसा पैरा 3.1 में देखा गया, एएसआई स्थल-संग्रहालयों के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले दिशा-निर्देश व्यापक दस्तावेज नहीं थे जैसा कि पीएसी द्वारा सिफारिश की गई थी। एएसआई ने 2013-14 से 2019-20 की अवधि के दौरान अपने स्थल संग्रहालयों के अनुरक्षण पर कुल ₹58.34 करोड़ का व्यय किया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, 23 एएसआई स्थल-संग्रहालयों की जांच की गई तथा निष्कर्षों पर चर्चा नीचे की गई है:

8.2.1 एएसआई के पास मध्य प्रदेश के चंदेरी, ग्वालियर, खजुराहो, सांची तथा शिवपुरी में पांच स्थल-संग्रहालय थे।

- पांच स्थल-संग्रहालयों में समाप्त कार्यबल की कमी की सीमा संस्वीकृत कार्यबल के 25 एवं 67 *प्रतिशत* के बीच थी। प्रत्येक स्थल-संग्रहालय के लिए एक सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद (एएसए) तथा दो सहायक पुरातत्वविद् (एए)

[66] वस्तुओं का उनकी क्रम संख्या, अधिग्रहण का वर्ष या उनके प्रकार के अनुसार अधिग्रहण किया गया।

के अनिवार्य पदों[67] के सापेक्ष में एएसए एवं एए के केवल तीन पदों (सभी पांच स्थल-संग्रहालयों की देख-भाल के लिए) को संस्वीकृत किया गया है।

- किसी भी स्थल-संग्रहालय में वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए कोई नियमित आवर्तन नीति नहीं थी। सभी संग्रहालयों में सिवाय चंदेरी के, रिजर्व में रखी गई कुल वस्तुओं की सीमा 76 से 99 *प्रतिशत* तक थी। 2013-14 से 2019-20 के दौरान, वस्तुओं का भौतिक सत्यापन चार स्थल-संग्रहालयों में सिवाय सांची के (2015 में किया गया) नहीं किया गया था।
- तीन स्थल संग्रहालयों अर्थात् चंदेरी, ग्वालियर एवं शिवपुरी में गैलरियों में रखी गई कई कलाकृतियों के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं थे। स्थल-संग्रहालय, ग्वालियर में कई कला वस्तुओं का फोटो प्रलेखन तथा प्रेलेखित फोटो में उनके अधिग्रहण संख्याओं का उल्लेख नहीं किया गया था।
- स्थल-संग्रहालय, ग्वालियर में अलग से रखे पुरावशेष दयनीय स्थिति में पाए गए। स्थल-संग्रहालय, चंदेरी में 407 वस्तुएं बिना कोई सीसीटीवी कैमरे के खुले में प्रदर्शित की गई। चूंकि सम्पूर्ण क्षेत्र एक पतले तार फेन्सिंग से आवृत था फिर भी खुले में इसका प्रदर्शन चोरी/खोने का खतरा अथवा मौसम के कारण खराब होने का खतरा था।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि उन्होंने दिसम्बर 2021 से मध्य प्रदेश में स्थल-संग्रहालयों के लिए एएसए को तैनात किया है। इसके अतिरिक्त स्थल-संग्रहालयों के प्रभारियों को प्रदर्शनियों का नियमित आवर्तन तथा सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं।

8.2.2 एएसआई के अपने कोलकाता सर्किल में तीन स्थल संग्रहालय अर्थात् (i) *हजरदुराय* महल संग्रहालय, मुर्शीदाबाद, (ii) *कूच बेहार* महल संग्रहालय, कूच बिहार, तथा (iii) पुरातत्व संग्रहालय, तामलुक थे।

- *कूच बिहार* महल संग्रहालय ने उपलब्ध 6,963 कलाकृतियों में से केवल 4.9 *प्रतिशत* का ही परिग्रहण किया था। यह उपलब्ध पुरावशेषों की यथार्थता के

[67] एएसआई संग्रहालयों के लिए पैरा 6.8 के दिशानिर्देश।

गैर-सत्यापन के कारण था। इसके अतिरिक्त, पुरातत्व संग्रहालय, तामलुक में उपलब्ध 8,074 वस्तुओं का केवल 3.6 *प्रतिशत* का अंकीयकरण किया गया है।

- तीन स्थल-संग्रहालय ऐसे पाए गए थे, जहाँ उनके द्वारा रखी गई वस्तुओं का केवल 3.2 *प्रतिशत* से 13.5 *प्रतिशत* तक प्रदर्शित किया गया था, कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए नियमित आवर्तन का अभाव था। पुरावशेषों का भौतिक सत्यापन 2013-14 से 2019-20 के दौरान नहीं किया गया था।
- यद्यपि 87 *प्रतिशत* से अधिक कलाकृतियों को रिजर्व में रखा गया था वहां प्रभावी एअर-कंडीशनिंग के साथ भंडारण सुविधाओं, आर्द्रता नियंत्रण प्रणाली, सीसीटीवी कैमरा आदि का अभाव था।
- इन स्थल-संग्रहालयों की संयुक्त भौतिक जांच के दौरान, सार्वजनिक सुविधाओं अर्थात् गाइड सेवा, पार्किंग, दिव्यांग हेतु सुविधा, शिकायत-पंजी आदि उपलब्ध नहीं थी।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि कोलकाता सर्किल के अधीन सभी तीन संग्रहालयों के अंकीयकरण को आर्द्रता नियंत्रण का प्रावधान, निगरानी प्रणालियां एवं सुविधाओं को शामिल करके मार्च 2023 तक पूरा किया जाएगा।

8.2.3 एएसआई के पास कर्नाटक के श्रीरंगपटना, हालेबीदू, ऐहोल, बादामी, विजयपुरा तथा हंपी में छः स्थल संग्रहालय थे।

- किसी भी स्थल-संग्रहालय में वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए कोई भी नियमित आवर्तन प्रणाली नहीं थी। सभी संग्रहालयों में सिवाय बादामी के कुल वस्तुएँ जो रिजर्व में रखी गई थी उनका प्रतिशत 53 से 94 *प्रतिशत* तक था। विजयपुरा, स्थल-संग्रहालय में किसी भी वस्तु का अंकीयकरण नहीं किया गया।
- चार स्थल-संग्रहालयों अर्थात् ऐहोल बादामी, हालेबीदू तथा हंपी में कई प्रदर्शित कलाकृतियों के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं थे। हालेबीदू संग्रहालय में एक कलाकृति (लकड़ी की चौखट) को बिना परिग्रहण के प्रदर्शित किया गया। इसी प्रकार, ऐहोल स्थल सग्रंहालय में मूर्तियों को चाहरदीवारी और पिछवाड़े में बिना परिग्रहण के पड़ी हुई मिली।
- हालेबीदू संग्रहालय में गैलरी में प्रदर्शित मूर्तियों पर धूल और मिट्टी एकत्रित थी। फफूंदी एवं कोई खुले में रिजर्व संग्रह में अधिकतर मूर्तियों/कलाकृतियों पर

काई जमी थी तथा रासायनिक संरक्षण की आवश्यकता थी जैसाकि निम्नवत फोटोग्राफों में चित्रित किया गया:

धूल से ढ़की प्रदर्शित मूर्ति	**मूर्तियों पर लगी फफूंदी**	**क्षतिग्रस्त फेंसिंग**

- हालेबीदू स्थल-संग्रहालय में अनिर्दिष्ट कलाकृतियां एक टूटे दरवाजे वाले कमरे में रखी गई थी। 12 सीसीटीवी कैमरों में से दो कार्यात्मक नहीं थे। संग्रहालयों में अग्निशामक भी कार्यात्मक नहीं थे।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि ऐहोल संग्रहालय परिसर में रखी सभी मूर्तियां प्रलेखित थी तथा एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, हालेबीदू संग्रहालय में मूर्तियां वैज्ञानिक रूप से परिरक्षित थी।

8.2.4 एएसआई के पास दिल्ली सर्किल में पांच स्थल-संग्रहालय (लाल किले में चार तथा *पुराने किले* में एक) थे। तथापि, एएसए को उनमें से किसी में भी तैनात नहीं किया गया था। पिछले प्रतिवेदन में, यह इंगित किया गया कि भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, लालकिला के चार चोरी हुए पुरावशेष 1989 से दरियागंज पुलिस स्टेशन में पड़े थे।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि उन्होंने दिसम्बर 2021 से दिल्ली सर्किल में स्थल-संग्रहालयों के लिए एएसए को नियुक्त किया तथा पुलिस स्टेशन से दो पुरावशेष प्राप्त किए।

8.2.5 एएसआई के पास ओडिशा के कोणार्क, रत्नागिरी तथा ललितगिरी में तीन स्थल-संग्रहालय थे।

- कोणार्क स्थल-संग्रहालय में पुरावशेषों का भौतिक सत्यापन 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान नहीं किया गया था। सर्किल कार्यालय ने आश्वासन दिया कि सत्यापन शीघ्र ही किया जाएगा। यह पाया गया कि एक विशेषज्ञ-समिति ने 13 पुरावशेषों को अप्राप्य होना सूचित किया (दिसम्बर 2015)। तथापि, गुम हुए पुरावशेषों को ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थल-संग्रहालय के पुरावशेष, संग्रहालय में रखे जाने के बजाए (सूर्य मंदिर, कोणार्क) स्मारक में ऐसे ही पड़े थे।

- किसी भी स्थल-संग्रहालय में वस्तुओं को प्रदर्शित करने की कोई आवर्तन नीति नहीं थी। रतनागिरी स्थल-संग्रहालय में 3,540 कलाकृतियों में से 92.9 *प्रतिशत* (3,288) को आरक्षित रखा गया था। केवल 1.7 *प्रतिशत* (60) वस्तुओं का अंकीयकरण हुआ, इसके अतिरिक्त, सर्किल कार्यालय ने सूचित किया कि अंकीयकरण का कार्य अपेक्षित श्रमशक्ति की नियुक्ति के संबंध में एएसआई मुख्यालय से अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि सभी संग्रहालयों को आवर्तन नीति को अपनाने तथा वर्ष में एक बाद पुरावशेषों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ समिति ने चार पुरावशेषों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ समिति ने चार पुरावशेषों का पता लगाया था जबकि अन्यों के लिए प्रयास किए जा रहे थे। उसने यह भी सूचित किया कि कोणार्क में खुले में रखी गई कलाकृतियों को उचित प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा था तथा इनके अंकीकरण का कार्य प्रगति में था।

8.3 एएसआई के अधीन अन्य संग्रहालय

एएसआई के अधीन अन्य संग्रहालयों/भण्डार गृहों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

8.3.1 केन्द्रीय पुरावशेष संग्रह

पुराना किला, दिल्ली में केन्द्रीय पुरावशेष संग्रह (सीएसी) की स्थापना एएसआई द्वारा सर्वेक्षणों, अन्वेषणों, उत्खननों तथा जब्ती के दौरान एकत्रित पुरावशेषों/कलाकृतियों के भण्डारण हेतु 1960 में की गई थी। सीएसी देश के विभिन्न भागों से एकत्रित दुर्लभ पुरावशेषों का एक समृद्ध भण्डार है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ जब्त तथा पुन: प्राप्त पुरावशेषों को आम जनता के लिए प्रदर्शन पर रखा गया था (अगस्त 2019 से)। पिछले प्रतिवेदन से सीएसी भण्डार में कलाकृतियों के भण्डारण में उल्लेखनीय सुधार भी पाए गए थे जैसा निम्न फोटोग्राफो में दर्शाया गया है:

सीएसी में पुरावशेषों की स्थिति-पिछला प्रतिवेदन	**सीएसी की नई गैलरी तथा आरक्षित संग्रह-अनुवर्ती लेखापरीक्षा**	

तथापि, पुरावशेषों हेतु अभी भी एक समान वातानुकूलित पर्यावरण का कोई प्रावधान नहीं था। सीएसी रिजर्व में सीसीटीवी कैमरा तथा अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए थे। पुरावशेषों के एए/ए (अति दुर्लभ तथा दुर्लभ) श्रेणी के विशाल संग्रह के बावजूद सीएसी केवल एक सहायक पुरातत्वविद् द्वारा प्रबंधित था।

8.3.2 समुद्री पुरातत्व संग्रहालय

पीएसी की इच्छा थी कि भारत के महान समुद्री अतीत के पुरावशेषों तथा स्मारकों को प्रदर्शित करने हेतु समुद्री संग्रहालयों का उपयुक्त स्थानों पर स्थापना की जाए।

मंत्रालय/एएसआई ने मुबंई में समुद्री संग्रहालय खोलने के संबंध में अपने प्रस्ताव के बारे में पीएसी को सूचित किया था (अप्रैल 2016)। यद्यपि मंत्रालय/एएसआई द्वारा

ऐसा कोई संग्रहालय खोला गया हो, नहीं पाया गया था फिर भी यह पाया गया था कि पोत परिवहन मंत्रालय ने लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) का निर्माण आरंभ किया था (फरवरी 2020), जिसमें राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय, समुद्री विरासत आधारित थीम पार्क, समुद्री अनुसंधान संस्थान आदि को बनाने का प्रस्ताव था।

8.3.3 स्थल-संग्रहालयों के रूप में मूर्तिकला शेड का विकास

पिछले प्रतिवेदन में यह इंगित किया गया था कि सीएबीए की एक उप-समिति द्वारा मौजूदा मूर्तिकला रोड तथा अन्य स्थलो को स्थल-संग्रहालयों में परिवर्तित करने के संबंध में 2009 में की गई सिफारिश के बावजूद प्रगति नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं थी।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, पिछली लेखापरीक्षा के समय दौरा किए गए रबदेन्त से स्थल, सिक्किम (कोलकाता सर्किल) में एक संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया था। जैसा पहले सूचित किया गया कि कलाकर्तियों को बिना परिग्रहण संख्या के अभी भी शेड में रखा जा रहा था जबकि इस प्रायोजन हेतु निर्मित कांच के बॉक्स खाली थे। यघपि सर्किल कार्यालय ने बताया कि यह केवल एक मूर्तिकला शैड था इसलिए वह पहले उजागर किए गए मामले पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई करने में असमर्थ था।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि एनएमएमए के प्रपत्र के अनुसार व्यापक अभिलेखीकरण प्रगति में था। तथापि, पिछले प्रतिवेदन में की गई अभ्युक्ति पर कोई कार्रवाई न करने का कारण प्रदान नहीं किया गया था।

8.3.4 एएसआई का बाल संग्रहालय

एएसआई का बाल संग्रहालय दिल्ली में स्थित संग्रहालय की एक प्रतिकृति है। संग्रहालय की विशेष रूप से प्रसिद्ध पुरावशेषो के लगभग 50 प्रतिकृति संरचनाओं के माध्यम से भारत की संस्कृति, पुरातत्व तथा ऐतिहासिक विरासत पर बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्थापना की गई थी। एएसआई ने सूचित किया (दिसंबर 2020) कि संग्रहालय में वार्षिक दर्शक संख्या 1,500-2,000 थी। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि कई प्रतिकृतियों को उनके सांस्कृति इतिहास को दर्शाए बिना बाल संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। इसके अतिरिक्त, संग्रहालय के लिए कोई

समर्पित स्टाफ या बजट प्रदान नहीं किया जा रहा था तथा एएसआई ने इसके प्रचार अथवा जागरूकता हेतु कोई पहल नहीं की थी।

मंत्रालय/एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि बाल संग्रहालय के नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन थी।

निष्कर्ष:

मंत्रालय/एसआई के अधीन राष्ट्रीय स्तरीय संग्रहालयों तथा स्थल-संग्रहालयों में पुरावशेषों के प्रबंधन अर्थात् स्टाफ की कमी, कलाकृतियों के अंकीयकरण तथा परिग्रहण की कमी, उनके प्रदर्शन, सत्यापन, सरंक्षण, भण्डारण तथा सुरक्षा से संबंधित मामले अभी भी मौजूद थे। पहले ही पिछले प्रतिवेदन में इंगित की गई यह विचारणीय मुद्दे इन संग्रहालयों के प्रभावी कार्यचालन को प्रभावित कर रहे थे।

अध्याय 9: अन्वेषण एवं उत्खनन

पुरातात्विक अवशेषों का उत्तखनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्राथमिक दायित्वों में से एक है। इस अध्याय में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का अन्वेषण एवं उत्खनन संबंधी गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई है।

9.1 एएसआई में अन्वेषण गतिविधियां

उत्खनन गतिविधियों का अन्वेषण एक हिस्सा है जिसमें, उत्खनन, अन्वेषण, भवन सर्वेक्षण, मंदिर सर्वेक्षण, पूर्व-ऐतिहासिक, अन्तर्जलीय पुरातत्व और गाँव से गाँव सर्वेक्षण जैसे कार्य सम्मिलित हैं। इन गतिविधियों को पूरा करने हेतु एएसआई की शाखाएं हैं।

9.1.1 गाँव से गाँव सर्वेक्षण

पिछले प्रतिवेदन में, लेखापरीक्षा के अनुसार मानव संसाधन की कमी के कारण, एएसआई द्वारा गाँव से गाँव का सर्वेक्षण नहीं किया गया था। यद्यपि एएसआई द्वारा ग्राम सर्वेक्षण प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया था, यह सभी सर्किलों में समान रूप से नहीं किया गया था। 2014-15 से 2019-20 के दौरान, चार सर्किलों[68] में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया परंतु चार सर्किलों[69] में एक ही वर्ष में सर्वेक्षण किया गया। एएसआई ने चयनित मंडलों/वर्षों में ग्राम सर्वेक्षण करने का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया। तथापि, इसके कुछ मंडलों द्वारा कम ग्रामीण सर्वेक्षणों का कारण मानव संसाधनों की कमी उल्लिखित किया गया।

मंत्रालय/ एएसआई ने बताया (जनवरी 2022) कि सभी मंडलों को अपनी वार्षिक रणनीति योजना में गांव से गांव के सर्वेक्षण को सम्मिलित करने का निदेश दिया गया है।

9.1.2 समुद्रवर्ती पुरातत्व

एएसआई में समुद्रवर्ती पुरातत्व पानी के भीतर अन्वेषण हेतु एक विशेषज्ञ शाखा है। पिछले प्रतिवेदन में यह बताया गया था कि 2001 में स्थापित शाखा, विशेषीकृत

[68] अमरावती, दिल्ली, गुवाहाटी और श्रीनगर

[69] भुवनेश्वर, हम्पी-मिनी सर्किल, जोधपुर और मुंबई

मानव संसाधनों की कमी के कारण निष्क्रिय हो गई थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह नोट किया गया था कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। मानव संसाधनों की कमी के अलावा, समुद्रवर्ती पुरातत्व के लिए एएसआई के पास कोई परिप्रेक्ष्य योजना या नीति नहीं थी।

मंत्रालय/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह सूचित किया (जनवरी 2022) कि पानी के भीतर पुरातात्विक अन्वेषण के लिए इच्छुक पुरातत्वविद् को प्रशिक्षण देने पर जोर को पहचान लिया गया है और प्रशिक्षण आरंभ भी किया गया है तथा तदनुसार, इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एएसआई में एक पृथक प्रकोष्ठ को मजबूत किया गया है।

9.2 एएसआई में उत्खनन गतिविधियां

पुरातात्विक स्थलों पर उत्खनन एएसआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एएसआई विभिन्न एजेंसियों जैसे एएसआई सर्किलों, शाखाओं, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उत्खनन अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। *पीएसी ने उत्खनन से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हुए मंत्रालय से अन्वेषण और उत्खनन नीति के अंतर्गत एक कार्य योजना तैयार करने और इन गतिविधियों की निधियों के पर्याप्त आवंटन और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कहा था।*

अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह नोट किया गया था कि पीएसी द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाएं और पिछले प्रतिवेदन में उल्लिखित उत्खनन संबंधी मामलों का समाधान नहीं किया गया है:

- एएसआई की अपनी अन्वेषण और उत्खनन नीति के आधार पर कोई कार्य योजना नहीं थी। उत्खनन कार्य किसी प्राथमिकता सूची, परिप्रेक्ष्य योजना अथवा परिमेय योग्य प्रदर्शन मापदण्ड और दिशानिर्देशों को स्थापित किए बिना किया जा रहा था।

- एएसआई के पास प्राप्त उत्खनन प्रस्तावों, उनकी संस्तुति अनुशंसा अथवा अस्वीकृति के कारण, स्वीकृत प्रस्तावों की स्थिति और उनके निगरानी को दर्शाने वाली कोई केंद्रीकृत सूचना/निगरानी प्रणाली नहीं थी।

- उत्खनन पर प्रतिवेदन तैयार करने में काफी विलम्ब हुआ था। कुछ मामलों में, प्रतिवेदन 60 से अधिक वर्षों से लंबित थे। कुछ प्रमुख उत्खनन, यथा मथुरा, श्रावस्ती, रोपड़, के प्रतिवेदन जो क्रमशः 1954-55, 1958-59 और 1953-54 में आरंभ हुए थे, अभी तक पूर्ण नहीं हुए। इस संबंध में, एएसआई ने उत्खननकर्ता की मृत्यु और सेवानिवृत्ति के कारण प्रतिवेदन लिखित में देरी की बाधाओं की सूचना दी थी।

- भुवनेश्वर सर्किल में, उत्खनन स्थलों (2011-12 से) से प्राप्त पुरावशेषों को उत्खननकर्ताओं द्वारा प्रतिवेदन लिखने के लिए रखा जाना पाया गया था। साथ ही, पिछले प्रतिवेदन में बताए गए 5,915 पुरावशेषों में से, जैसा कि उत्खनन शाखा के भंडार में रखा गया था, उनमें से 4,272 अभी भी भंडारघर में थे, जिनमें से केवल 449 का ही प्रलेखन किया गया था।

- अन्वेषण/उत्खनन पर किया गया व्यय अभी भी एएसआई के कुल व्यय का अभी भी एक प्रतिशत से कम था। (पैरा 5.1.1 का संदर्भ लें)

पिछले प्रतिवेदन में, लेखापरीक्षा द्वारा उत्खनन स्थलों की स्थिति और उनके संरक्षण पर भी टिप्पणी की गई थी। नीचे दी गई फोटोग्राफ के माध्यम से *पुराना किला*, दिल्ली में उत्खनन स्थल की उपेक्षित स्थिति, जिसे 1954 से एएसआई द्वारा नियमित रूप से उत्खनन हेतु उपयोग किया जाता था, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान दर्शाया गया है:

नवंबर 2019 में किया गया अंतिम उत्खनन	**जनवरी 2021 में अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान**

पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण

एएसआई की उत्खनन नीति ने भारत में 500 से अधिक पुरातात्विक स्थलों को उत्खनन/अन्वेषण हेतु महत्वपूर्ण पहचान दी है। इस सूची में से दिल्ली क्षेत्र के दो स्थलों, यथा मंडोली और भोरगढ़ का उत्खनन दिल्ली राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा क्रमशः[70] 1987 और 1992-94 में किया गया था। उत्खनन प्रतिवेदनों के अनुसार, निष्कर्षों से उत्तर-हड़प्पा काल के अवशेषों का पता चला था। यह नोट किया गया था कि महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बाद भी, इन स्थलों को सुरक्षित करने के लिए अगली कार्रवाई नहीं की गई थी। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, इन दो स्थलों के दौरे से पता चला कि इन दोनों पर पूरी तरह अतिक्रमण कर लिया गया है और वे अब अस्तित्व में नहीं थे।

मंत्रालय/एएसआईने सूचित किया (जनवरी 2022) कि उत्खनित अवशेषों को उनके अनावरण[71] पश्चात् संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे थे।

पीएसी ने पुरातात्विक अवशेषों के उत्खनन और अन्वेषण हेतु निर्धारित सार्वजनिक संसाधनों को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहा था। तथापि, कार्य योजना, निधियों के पर्याप्त आवंटन और निगरांनी के अभाव में उठाए गए मामलों पर अभी भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी/फरवरी 2022) के सभी पर्यवेक्षणों और टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए मसौदा उत्खनन नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उत्खनन गतिविधियों के लिए एक निगरानी प्रारूप तैयार किया जा रहा था और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को सम्मिलित किया जा रहा था।

इसने उत्खनन प्रतिवेदनों के लेखन में देरी को स्वीकार किया और यह प्रस्तुत किया कि इसे प्राथमिकता दी जा रही है और नई नीति में इस मामले को भी ध्यान में रखा गया है। भुवनेश्वर सर्किल से संबंधित अभ्युक्ति के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों के प्रलेखन तैयार किए जा रहे थे।

---

[70] एएसआई और उसके अधिकारी इन स्थलों के पूर्व उत्खनन में सम्मिलित थे।

[71] उत्खनन स्थल जैसे, गोट्टीप्रोलू, आंध्र प्रदेश (2018-2020) और सीतागढ़, झारखंड (2020-21) को उनके महत्व और अनावरित संरचना को देखते हुए सुरक्षा के लिए चुना गया है।

9.2.1 कानगानहल्ली, धारवाड़, कर्नाटक में उत्खनन

एएसआई धारवाड़ सर्किल के अधीन *कानगानहल्ली* एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ बौद्ध स्थल है। एएसआई (1994-2001 के मध्य) द्वारा स्थल पर उत्खनन से ईसा पूर्व[72] की पहली शताब्दी के एक अद्वितीय महास्तूप, प्रागैतिहासिक कलाकृतियों, संरचनात्मक अवशेषों और प्राचीन अवशेषों का पता चला था। पिछली प्रतिवेदन में वर्णित स्थल के संरक्षण और सुरक्षा में कमियों के उत्तर में, एएसआई ने उसके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में बताया। इनमें उत्खनन के पैनल के लिए अस्थायी शेड का निर्माण, उनके रासायनिक संरक्षण कार्य और उत्खनन स्थल के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए एक समिति (जुलाई 2020 में) का गठन सम्मिलित है। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि अभी भी उत्खनित स्थल पर निम्नलिखित मामले विद्यमान थे।

- उत्खनन के 20 वर्षों तथा लेखापरीक्षा द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद भी, स्थल के पैनल और अन्य अवशेष प्रकृति की अनियमितताओं के अधीन खुले में बिखरे पड़े थे।

- बौद्ध मूर्ति के संरक्षण के लिए बनाए गए बंद मूर्तिकला शेड की दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई थीं। खुले शेड में कलाकृतियों को रखने के लिए बनाए गए सीमेंट बेड में दरार आ गई थी।

- 23 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह स्थल घनी वनस्पतियों और घास से ढका था, जिससे कलाकृतियों को आग का खतरा पैदा हो गया था। साइट पर लगाया गया सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था जबकि प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी।

[72] सीएजी की 2013 की प्रतिवेदन सं.18 के पृष्ठ 119 पर मामला अध्ययन

उत्खनन किए गए कानगानहल्ली स्थल पर बिखरे पैनल

पिछला प्रतिवेदन

अनुवर्ती लेखापरीक्षा

मंत्रालय/एएसआई ने कहा (जनवरी 2022) कि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में *कानगानहल्ली* के उत्खनन अवशेषों का संरक्षण और निकटतम भवन में आश्रय/स्थानांतरण इसकी प्राथमिकता होगी।

सनौली में उत्खनन के दौरान प्राप्त पुरावशेषों का स्थानांतरण

वर्ष 2018-19 के दौरान, एएसआई के पुरातत्व संस्थान ने उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में सनौली के प्राचीन स्थल पर उत्खनन का कार्य किया था। प्रमुख उत्खनन में आदमकद रथ, तलवार, छेनी, चाकू, दर्पण, कंघी आदि जैसे तांबे से बने औजार पाए गए थे और ये 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक के थे।

सनौली में पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त खोजों को महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि उन्होंने भारतीय उप-महाद्वीप की ताम्रपाषाण संस्कृति को एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान की तथा महान प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे *वेद, महाभारत* आदि[73] की व्याख्या के लिए आधार-सामग्री प्रदान की थी।

[73] सनौली यू.पी. में खोजों पर सचित्र रिपोर्ट- एएसआई द्वारा प्रकाशित

उत्खनन रथ का कलात्मक दृश्य।

यह नोट किया गया था कि सनौली में उनकी खोज के बाद, एएसआई ने सभी मूल्यवान पुरावशेषों को लाल किला, दिल्ली और फिर ग्रेटर नोएडा में नव-निर्मित कार्यालय में पुन: स्थानांतरित कर दिया था। जैसा कि पैरा 6.4 में उल्लेख किया गया है, इन पुरावशेषों के स्थानांतरण हेतु कोई नीति या मानक नहीं थे। तथापि, एएसआई ने सूचित (दिसंबर 2020) किया कि पुरावशेषों को ले जाते समय उनकी सुरक्षा के संबंध में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है।

निष्कर्ष:

जैसा कि पिछले प्रतिवेदन में इंगित किया गया था कि अन्वेषण और उत्खनन गतिविधियों से जुड़े मामलों, यथा कार्य-योजना की गैर-मौजूदगी, केंद्रीकृत सूचना तथा उत्खनन गतिविधियों के लिए निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति, प्रतिवेदन लेखन कार्य में देरी, अपर्याप्त बजट आवंटन आदि का समाधान नहीं किया गया है।

अध्याय 10: विरासत संरक्षण की अच्छी प्रथाएं

अपनी विश्व विरासत क्षमता निर्माण रणनीति के एक भाग के रूप में, यूनेस्को विरासत संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर रहा था। पिछले प्रतिवेदन में, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन और *छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय*, मुम्बई द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाएं, संग्रहालय प्रबंधन में अच्छी प्रथाओं के उदाहरण के रूप में चर्चा की गई थी। एसएआई ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से विरासत प्रबंधन में अपनी तकनीकी क्षमता भी दिखाई थी। गुजरात के पाटन में स्थित *रानी-की-वाव* एक बावड़ी में एएसआई द्वारा किए गए बहाली के कार्य को निम्नलिखित तस्वीरों में दर्शाया गया है:

रानी-वी-वाव 11 वीं शताब्दी में बनायी गयी थी। बावड़ी सरस्वती नदी के बाढ़ से भर गई थी और 1940[74] में फिर से खोजे जाने से पहले सदियों तक गाद से भरी हुई थी। एएसआई द्वारा पुनरूद्धार के बाद, इसे 2014 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

[74] स्रोतः एएसआई

सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई परियोजनाएं जैसे *आदर्श* स्मारक, स्मारक *मित्र,* हृदय[75], स्मारक मानचित्रण के इसरो के साथ समझौता, विरासत संरक्षण में एएसआई द्वारा की गई अच्छी पहल के उदाहरण हैं। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, कुछ विचारणीय मुद्ददों की जांच की गई ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान की जा सके। उन उदाहरणों, जिसकी नीचे चर्चा की गई है, मंत्रालय द्वारा प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने में विचार किया जा सकता है।

ए. स्मारकों और पुरावशेषों का डाटाबेस

एनएमएमए द्वारा देश में सभी स्मारकों और पुरावशेषों का डाटाबेस तैयार करने के संबंध में कार्य पिछड़ रहा था। इसी प्रकार, जनता को विभिन्न सूचनाओं को प्रदर्शित करने वाले सभी सीपीएम की एक सूची बनाने के संबंध में पीएसी की शिफारिसों को लागू नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पुरातात्विक स्थलों/वस्तुओं का डिजिटल प्रबंधन दुनिया के विश्वविद्यालयों और सरकारों द्वारा की जाने वाली एक पहल है। एक "विरासत सूचना प्रणाली" पूछताछ, अनुसंधान और विरासत प्रबंधन के कार्यों को बेहतर सुविधाजनक बनाने के लिए एक केन्द्रीय डेटावेस तैयार करने के लिए सभी स्मारकों/पुरावशेषों से संबंधित सूचनाओं को संग्रहीत और व्यवस्थित करने के लिए एक ढांचा प्रदान कर सकती है। स्मारकों और पुरावशेषों (प्रक्रियाधीन) के डेटाबेस के साथ समान प्रक्रिया का एकीकरण देश में एक व्यापक और गतिशील विरासत सूचना और प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करेंगे।

(पैरा 6.1 एवं 6.2)

[75] आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय) योजना

बी. स्मारकों के रूप में घोषित पुरावशेष

एएमएएसआर अधिनियम किसी भी सिक्के, मूर्तिकला, पांडुलिपि, पुरालेख या कला/शिल्प कौशल के अन्य कार्य को परिभाषित करता है जिसमें लेख, वस्तु या किसी इमारत या गुफा से अलग की गई वस्तु शामिल है। हालांकि, जैसे कि अनुलग्नक 6.2(डी) में दिखाया गया है एसएआई द्वारा स्वतंत्र स्मारकों के रूप में तोपों, बंदूक की मूर्तियों को भी अधिसूचित किया गया है।

***जहान कोसा* तोप, एक पुरावशेष जिसे स्मारक के रूप में सूचित किया गया**

यह नोट किया गया था कि इराक, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब जैसे देशों के प्रासंगिक कानून उसकी प्राचीन वस्तुओं को चल या अचल के रूप में परिभाषित करते हैं। अचल पुरावशेषों को स्मारक के रूप में गलत घोषित करने का मुद्दा (उदाहरण के लिए पत्थर पर खुदी हुई मूर्ति, अचल घुड़सवार तोपों) को चल/अचल के रूप में पुरावशेषों की परिभाषा और अधिसूचना को और विस्तृत करके हल किया जा सकता है।

{पैरा 6.3.4(डी)}

सी. संग्रहालय में पुरावशेषों का प्रबंधन

पुरावशेषों का प्रबंधन उनके अधिग्रहण, उसके बाद परिग्रहण, संग्रहालय गैलरियों में सुरक्षित स्थान, रिजर्व या मूर्तिकला शेड में के साथ शुरू होता है। इस प्रतिवेदन में पुरातनता प्रबंधन पर कई मुद्दों जैसे कलाकृतियों के डाटाबेस की अनुपस्थिति अपूर्ण सौंपने/अधिग्रहण, उनके सत्यापन, भंडारण और प्रदर्शन, को बताया गया है। इस संबंध में, मंत्रालय[76] द्वारा वर्णित संग्रह प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण ग्लासगो संग्रहालय संसाधन केंद्र (जीएमआरसी), स्कॉटलैंड में था। मंत्रालय के अनुसार, जीएमआरसी के पास स्कॉटलैड सात क्षेत्रीय संग्रहालयों का प्रबंधन कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड, स्थान संग्रहालयों और आपस में जुड़े लगभग 10 लाख वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए एक व्यापक सुरक्षा प्रणाली थी। लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई चिंताओं को कृतियों के उनके प्रबंधन के लिए कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस प्रणाली के साथ एक केंद्रीकृत भंडारण केंद्र के माध्यम से समाधान किया जा सकता है।

(पैरा 8.1)

[76] मंत्रालय द्वारा प्रलेखित संग्रहालय हेतु व्यापक सुरक्षा नीति में

अध्याय 11: निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने, स्मारकों एवं पुरावशेषों के परिरक्षण तथा सरंक्षण पर सीएजी के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2013 की सं. 18) के गहन अध्ययन, समीक्षा तथा चर्चाओं के पश्चात स्मारकों एवं पुराववेषों के बेहतर प्रबंधन हेतु रिपोर्ट सं. 39 (अप्रैल 2016) तथा 118 (दिसंबर 2018) के माध्यम से कई सिफारिशें की थी। मंत्रालय को प्रभावी विरासत प्रबंधन हेतु इन अनुदेशों पर उपयुक्त कार्रवाई प्रारम्भ करना प्रत्याशित था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा, पीएसी की सिफारिशों तथा लेखापरीक्षा द्वारा सूचित विचारणीय विषयों पर की गई कार्रवाई (की सीमा का मूल्यांकन करने) के लिए की गई थी।

पिछली लेखापरीक्षा से, मंत्रालय/एएसआई ने विरासत प्रबंधन अर्थात् संग्रहालयों में पुरावशेष संग्रहण के अंकीयकरण हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग, आगंतुकों हेतु ई-टिकटिंग सुविधा प्रारम्भ करना, स्मारकों पर अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आदर्श स्मारक पहल प्रारम्भ करना आदि के लिए विभिन्न नई पहल प्रारम्भ की थी। तथापि, अनुवर्ती लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि पीएसी की अधिकांश सिफारिशें अर्थात् संबंधित अधिनियम/नियमावली का अघतन, विरासत उप-नियम की तैयारी एक प्रभावी शासन तंत्र की आवश्यकता, स्मारकों एवं पुरावशेषों के डाटा का अंकीयकरण, वित्तीय प्रबंधन आदि का अभी भी मंत्रालय/एएसआई द्वारा अनुपालन किया जाना था। आगे पीएसी की विशिष्ट सिफारिशें अर्थात् स्थानीय सरकार/अभिकरणों के साथ एक समन्वय तंत्र की स्थापना, स्मारकों के व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता को कार्रवाई हेतु सर्किल कार्यालयों को सूचित भी नहीं किया गया था। पीएसी द्वारा की गई सिफारिशों के विश्लेषण तथा मंत्रालय/एएसआई द्वारा उन पर किए गए अनुपालन को **अनुलग्नक-11.1** में प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रतिवेदन में चर्चा किए गए ध्यानाकर्षण क्षेत्र तथा आगे उन पर की गई सिफारिशें निम्नानुसार है:

अध्याय	निष्कर्ष	अनुशंसाएं
	पीएसी की प्रथम रिपोर्ट में 25 विशिष्ट मामलों पर सिफारिशें शामिल थी जिनमें से 20 को मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया	मंत्रालय/एएसआई से अत्यधिक तत्परता तथा प्राथमिकता से पीएसी की

	गया था। शेष पांच सिफारिशों में से पीएसी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में चार मामलों पर आगे और सिफारिशें की तथा शेष एक को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। तथापि इसकी सिफारिशों के छः वर्षों के पश्चात भी इनमें से अधिकांश सिफारिशों पर कार्रवाई को अभी भी पूरा किया जाना है।	सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है।
3: नीति एवं विनियम	पीएसी द्वारा 2016 में की गई सिफारिशें प्रभावी विरासत प्रबंधन हेतु अनिवार्य थी। तथापि यह पाया गया था कि अधिकांश मामलों में समय बीत जाने के बावजूद भी पीएसी द्वारा चर्चा किए गए नीति संबंधी विचारणीय क्षेत्रों पर अनिवार्य संशोधन/अधिसूचना करने की प्रक्रिया अभी भी प्रक्रियाधीन थी।	मंत्रालय/एएसआई को संबंधित अधिनियमों/नियमावली में समयबद्ध संशोधन को सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक कार्यनीति तत्काल विकसित करने की आवश्यकता है। यह, अतिक्रमण को कम करने या उससे बचने के लिए सभी संरक्षित स्मारकों हेतु विरासत उप-नियमों की तैयारी में भी शीघ्रता लाएं।
	2011 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के गठन के बावजूद स्मारक के वर्जित/विनियंत्रित क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु विरासत उप-नियमों को तैयार करने में काफी विलम्ब था। उप-नियम तैयार को समय से तैयार करने में सार्थक विलम्ब अतिक्रमण मामलों में परिणामी वृद्धि सहित मंत्रालय/एएसआई की ओर से बड़ी लापरवाही का सूचक है।	

4: शासन एवं अवसरंचना	तत्काल ध्यान दिए जाने वाले कुछ क्षेत्रों अर्थात् विरासत संरक्षण हेतु कार्यनीति/ रोड मैप की आवश्यकता, केन्द्रीय पुरात्तव सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन, रिक्तियों को प्राथमिकता पर भरना, निगरानी एवं शिकायत निवारण प्रणाली की मौजूदगी आदि कि मंत्रालय/एएसआई द्वारा विरासत प्रबंधन हेतु बेहतर कार्य माहौल के लिए निपटान करने की आवश्यकता है। शासन, मानव संसाधन तथा एएसआई के अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित गंभीर बाधाएं, जिसे पीएसी द्वारा भी इंगित किया गया है, इसके प्रचालन में बाधा डालती है।	मंत्रालय/एएसआई को प्रभावी विरासत प्रबंधन को सुनिश्चित करने हेतु शासन एवं अवसरंचना से संबंधित मामलों पर पीएसी की सिफारिशों के समाधान हेतु तत्काल कदम उठाना चाहिए। अतिक्रमण के मामलों पर कार्य करने हेतु केन्द्रीय पुरात्तव सलाहकार बोर्ड तथा समन्वय समितियों का अविलम्ब तत्काल गठन किया जाना चाहिए।
5: वित्तीय प्रबंधन	पीएसी को आश्वासन के बावजूद, उत्खनन तथा अन्वेषण गतिविधियों पर एएसआई का व्यय अभी भी एक प्रतिशत से कम था। यह पहले पीएसी को दी गई अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट में मंत्रालय की कथित स्थिति के बिल्कुल विपरीत थी। राष्ट्रीय संस्कृति निधि में उपलब्ध निधियां वर्षों से संचित हो रही हैं तथा उनका इसके उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है। सभी स्मारकों हेतु विरासत उप-	एएसआई को एक मजबूत एवं पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। उसको उत्खनन एवं अन्वेषण गतिविधियों पर व्यय बढ़ाना चाहिए तथा संरक्षण के वित्तपोषण एवं आगंतुक सुविधाओं जैसी पीएसी द्वारा सिफारिश की गई थी तथा पर्यटन निति के अभिसरण में अधिक

	नियमों को समयबद्ध अंतिम रूप दिया जाना विरासत प्रबंधन में पीपीपी तंत्र के प्रभावी निष्पादन में भी महत्वपूर्ण था।	कोर्पोरेट तथा उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों को शामिल करने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। टिकट वाले/बिना टिकट वाले के रूप में स्मारकों के वर्गीकरण हेतु विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार किए जाने की भी आवश्यकता है क्योंकि उसका अभाव प्रतिकूल रूप से राजस्व को प्रभावित करेगा।
	टिकट वाले/ बिना टिकट वाले के रूप में एक स्मारक के वर्गीकरण, उद्ग्रहण/साझा किए जाने वाले शुल्क की राशि, अधिसूचना जारी करने आदि हेतु पीएसी की सिफारिश के बावजूद इन पहलुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देशों की कमी थी।	
6: स्मारकों एवं पुरावशेषों की पहचान एवं अधिसूचना	स्मारकों एवं पुरावशेषों के केन्द्रीकृत एवं अंकीकरण की डेटाबेस को तैयार करने के संबंध में कार्य राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन की स्थापना के 14 वर्ष बाद भी धीमा था।	स्मारकों एवं पुरावशेषों के प्रलेखन एवं अंकीकरण, वर्गीकरण एवं स्मारकों की अधिसूचना संबंधित मुद्दे शीघ्र ही मंत्रालय द्वारा विरासत प्रबंधन हेतु विस्तृत कार्यनीति के हिस्से के रूप में संबोधित किए जाने चाहिए। इन्हें राष्ट्रीय महत्व के रूप में चिन्हित करने की प्रक्रिया की समीक्षा तथा उनकी अधिसूचनाओं एवं ए.एस.आई. के स्वामित्व
	पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उस पर पी.ए.सी. की सिफारिशों को इंगित करने के बावजूद, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से संबंधित मुद्दे अर्थात् उनके चयन हेतु मानदण्ड एवं प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु सभी संरक्षित स्मारकों की सूची तैयार करने स्मारकों का वर्गीकरण स्मारकों की सूची में विसंगतियों का	

	परिशोधन उनकी अधिसूचना एवं गैर-अधिसूचना आदि का समाधान नही किया गया है।	के लिए अन्य दस्तावेजों का पुर्नलोकन करना चाहिए। स्मारकों के रूप में चिन्हित पुरावशेषों को अधिसूचना के माध्यम से चल या अचल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता है।
7: स्मारक प्रबंधन	चयनित स्मारकों की संयुक्त भौतिक जांच से प्रकट हुआ कि अधिकतर स्मारकों में आगंतुकों की सुविधाओं का प्रावधान, संरक्षण कार्यों, सुरक्षा आदि स्मारकों के प्रबंधन से संबंधित विचारणीय मुद्दे बाओलीस के अनुरक्षण पर विशिष्ट सिफारिशों एवं पीएसी द्वारा जीवंत एवं अन्य स्मारकों के बावजूद अस्वीकार्य रहे।	पिछली लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की तुलना में वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए अतिक्रमित स्मारकों की वृद्धि ने स्मारकों एवं पुरावशेषों की उपेक्षा, क्षति, नुकमान/चोरी अतिक्रमण आदि के प्रति मंत्रालय/एएसआई का खराब और उत्साहहीन प्रतिक्रिया तंत्र को प्रकट किया। स्मारकों प्रबंधन से संबंधित विचारणीय मुद्दों को मंत्रालय द्वारा तत्काल संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।
8: पुरावशेष	मंत्रालय/एएसआई के अधीन राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों एवं स्थल-संग्रहालयों	कलाकृतियों की सुरक्षित प्रतिरक्षा, रख-रखाव, एवं

प्रबंधन	में, पुरावशेषों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दे अर्थात् स्टाफ की कमी, अंकीकरण का अभाव एवं कलाकृतियों का परिग्रहण, उनका प्रदर्शन, सत्यावन, संरक्षण, भंडारण एवं सुरक्षा अभी भी थे। पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इन विचारणीय मुद्दों को पहले ही इंगित किया गया था। तथा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा पीएसी प्रतिवेदन में पहले से इंगित ये विचारणीय मुद्दे इन संग्रहालयों के प्रभावी कार्य करने को प्रभावित कर रहे थे।	अनुरक्षण हेतु उनके उचित प्रबंधन के लिए कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस प्रणाली सहित एक सुरक्षित केन्द्रीकृत भण्डारण सुविधा को सृजित किए जाने की आवश्यकता है पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद, पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सूचित मंत्रालय एएसआई के अधीन राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों एवं स्थल संग्रहालयों की कार्य पद्धति में विचारणीय मुद्दों को सम्बोधित नहीं किया गया है, को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए।
9: अन्वेषण एवं उत्खनन	जैसाकि पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित तथा पीएसी द्वारा भी चर्चा किएगए अन्वेषण एवं उत्खनन गतिविधियों से संबंधित मुद्दों अर्थात् कार्य योजना का न होना, उत्खनन गतिविधियों हेतु केन्द्रीकृत सूचना एवं निगरानी तंत्र का अभाव, प्रतिवेदन लेखन कार्य में देरी, पर्याप्त बजट आवंटन का समाधान नहीं किया गया है।	अन्वेषण एवं उत्खनन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रभावी प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय/एएसआई आदि का दृष्टिकोण अत्यन्त न्यून था। मंत्रालय/एएसआई-1 अन्वेषण एवं उत्खनन हेतु अपने संसाधनों एवं शीघ्र निधियों को अभिनियोजित करने की सिफारिश की।

पीएसी ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में (दिसम्बर 2018) अपने पहले प्रतिवेदन (अप्रैल 2016) में दिए गए सुझावों के जबाब में मंत्रालय की ओर से अधिक विलम्ब को दर्शाया था। इसके अतिरिक्त, पीएसी, की गई कार्रवाई टिप्पणियों को प्रस्तुत करने में मंत्रालय की धीमी प्रतिक्रिया को देखकर चकित था तथा यहां तक कि ढ़ाई वर्ष के बाद भी मंत्रालय द्वारा अपनी सिफारिशों पर कार्रवाई को प्रक्रियाधीन बताया गया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान मंत्रालय/एएसआई ने अधिकतर अभी भी विलम्बित मुद्दों पर समयोचित कार्रवाई को सुनिश्चित किया था (जनवरी 2022)। विरासत प्रबंधन में समग्र परिवर्तन लाने के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि मंत्रालय/एएसआई सभी पिछली/वर्तमान अनुशंसाओं पर अपने निष्पादन का जायजा लें तथा पिछली विफलताओं के लिए व्यक्तियों/इकाइयों की जवाबदेही को सुनिश्चित करें एवं ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।

नई दिल्ली
दिनांकः 31-03-2022

(प्रवीर पाण्डेय)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 31-03-2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक 2.1

(पैरा 2.3 का संदर्भ लें)

संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का चयन

राज्य/श्रेणी	शामिल सर्किल	एएसआई के तहत विश्व विरासत स्थल	*आदर्श एवं टिकट वाले स्मारक*	शहरीकरण/जलमग्न के कारण पता लगाए गए या प्रभावित सूचित किए गए स्मारक	स्मारक जिन पर अतिक्रमण सूचित किए गए	अन्य स्थल/स्मारक (गैर टिकट वाले सहित)	कुल	शामिल किए गए स्थल संग्रहालय
चयन *		100%	100%	25%	30%	12%		
दिल्ली	1	3	6	3	6	10	**28**	**5**
हरियाणा	1	0	3	0	2	5	**10**	**1**
कर्नाटक	3	2	8	1	6	28	**45**	**6**
मध्य प्रदेश	2	3	6	0	1	13	**23**	**5**
महाराष्ट्र	2	3	4	2	7	10	**26**	**0**
ओडिशा	1	1	4	0	11	4	**20**	**3**
पश्चिम बंगाल	2[1]	0	5	6	2	19	**32**	**3**
कुल चयन	**12**	**12**	**36**	**12**	**35**	**89**	**184**	**23**

**प्रत्येक चयनित राज्यों में विशिष्ट श्रेणी में उपलब्ध स्मारकों के संबंध में चयन प्रतिशत (न्यूनतम) था।*

1. अन्य स्थल/स्मारकों में वे स्मारक शामिल हैं जो अन्य श्रेणियों में शामिल नहीं थे अपितु पूर्व प्रतिवेदन में उस पर टिप्पणी की गयी थी।
2. प्रारम्भिक निष्कर्ष/प्रतिवेदन के आधार पर अतिरिक्त स्मारकों/स्थलों निरीक्षित किए गए एवं इस प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई।
3 मध्य प्रदेश में तीन विश्व विरासत स्थलों के तहत, 26 स्मारकों को शामिल किया गया।

[1] 1 अगस्त 2020 में मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में 'रायगंज' को शामिल करते हुए सात नए सर्किलों के सृजन की घोषणा की। यद्यपि कुछ स्मारक जो पहले कोलकाता सर्किल के क्षेत्राधिकार में थे और रायगंज सर्किल में स्थानांतरित किया गए फिर भी प्रतिवेदन में अभी भी उनका एएसआई कोलकाता सर्किल के अधीन संबोधन किया गया है।

अनुलग्नक 5.1

(पैरा 5.2.1 का संदर्भ लें)

एएसआई में वित्तीय अनियमितताएं

राज्य	सर्किल/प्रभाग	टिप्पणियां
दिल्ली	**दिल्ली सर्किल**	✓ कुछ उप-मंडलों के लिए, स्मारकों पर हाउसकीपिंग उपलब्ध करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय विशिष्ट खंड अर्थात *विरासत स्थलों पर जनशक्ति उपलब्ध करवाने में, आवश्यक अनुभव* को डाला गया था। परिणामस्वरुप, सात मामलों मे, केवल दो एजेंसिया ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया, जिनमें से एक ने वित्तीय बोली के लिए अर्हता प्राप्त की। एएसआई स्मारकों पर हाउसकीपिंग कार्य के लिए ठेका देने की प्रक्रिया में प्रतियोगिता का अभाव था। ✓ सर्किल स्मारकों के लिए हाउसकीपिंग अनुबंध दे रहा था। (i) जहां दैनिक रखरखाव सेवा प्रदान करने के लिए अन्य एजेंसी के साथ समझौता किया गया था (*अग्रसेन की बाओली*) (ii) जिन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, वे एएसआई के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं थे और इसने उसकी अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया शुरु की थी।(*सराय शाहजी, राजपुर* कब्रिस्तान, *डी' एरमाओ* कब्रिस्तान) (iii) जो अन्य एजेंसी द्वारा नियंत्रित क्षेत्र के अंदर थे और ए.एस.आई द्वारा उनका दैनिक रखरखाव संभव नहीं था (*सुंदरवाला महल, बड़ा बताशा, लक्कडवाला* मकबरा, *सुंदर बुर्ज*-सभी *सुंदर* नर्सरी के अंदर)। लेखापरीक्षा ने अनुमान लगाया कि अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2020 तक की अवधि के दौरान इन स्मारकों पर दैनिक हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करने में ए.एस.आई द्वारा 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। ✓ *कोटला फिरोज शाह* में हाउसकीपिंग के काम के लिए दिए गये (सितंबर 2018) कार्य के दायरे में जंगल की सफाई, दीवारो, रास्तों से अतिरिक्त वनस्पतियों, घासों, पेड़ों, झाड़ियों को हटाना, व उन्हें ढेर लगाना आदि शामिल था। यह नोट किया गया कि दिए गए कार्य के दायरे में शामिल होने के बावजूद, मंडल ने उसी कार्य को दूसरी एजेंसी को सौंप दिया, जिससे राजस्व में ₹0.57 लाख का नुकसान हुआ।

राज्य	सर्किल/प्रभाग	टिप्पणियां
दिल्ली	**बागबानी प्रभाग**	✓ पुरातत्व उद्यानों के रखरखाव के लिए ठेके देने और उन्हें अंतिम रूप देने में अनियमितातयें अर्थात प्रभाग में बोलियों की उनके जमा करने की अंतिम तिथि के बाद उनकी गणना, प्राप्ति और अंतिम रुप देने में त्रुटि, अधिक क्षेत्र के लिए अनुबंध प्रदान करना, क्षेत्र और आवश्यक जनशक्ति का गलत अनुमान आदि देखा गया। साथ ही, उनके वार्षिक अनुमोदन के विरुद्ध, चयनित बोलीदाताओं के कार्टेल को मासिक आधार पर कार्य दिए जा रहे थे।
हरियाणा	**चंडीगढ़ सर्किल**	✓ सर्किल ने 2016-2020 के दौरान उनकी संस्वीकृत संख्या 71 से अधिक 65 ब.का.क की नियुक्ति पर ₹1.65 करोड़ का व्यय किया। ✓ टिकट बिक्री की प्राप्तियाँ 19 से 59 दिनों के बीच तक के विलम्ब के बाद सरकारी खाते में जमा करायी गयी।
मध्य प्रदेश	**भोपाल सर्किल, जबलपुर सर्किल**	✓ निर्माण कार्य पर लगाये गये ₹1.33 लाख राशि के श्रम उपकर की राशि की वसूली नहीं की गयी। इस संबंध मे भोपाल सर्किल ने कहा कि उसे प्रावधान की जानकारी नहीं थी। ✓ भोपाल सर्किल में, जून 2019 में प्राप्त ₹11.29 लाख राशि की निर्माण सामग्री, श्रम से संबंधित निविदा (जून 2021) को अंतिम रूप नहीं देने के कारण खराब (कार्य के लिए उपयोगी नहीं) हो गई थी। ✓ पिछले प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद,2005-09 के दौरान खरीदे गए ₹3.66 लाख के रसायन का उपयोग नहीं किया गया, जिसमें से ₹2.14 लाख के रसायन उसके प्रयोग के पहले ही समय सीमा समाप्ति हो गई थी।
महाराष्ट्र	**औरंगाबाद सर्किल, मुंबई सर्किल**	✓ 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान, ₹57.49 लाख (संरक्षण और रखरखाव कार्य के 1 *प्रतिशत* की दर पर) की राशि का श्रम उपकर को वसूल नहीं किया गया। इस संबंध में मुंबई सर्किल ने कहा की जनशक्ति की कमी और नियमों की अनभिज्ञता के कारण उपकर नहीं वसूला गया। ✓ टिकट बिक्री की प्राप्तियां 3 से 122 दिनों के बीच की देरी के बाद सरकारी खातें में जमा की गई।
ओडिशा	**भुवनेश्वर सर्किल**	✓ 2013-14 से 2019-20 तक की अवधि के दौरान, ₹52.70 लाख (संरक्षण और रखरखाव कार्य के 1 प्रतिशत की दर पर) की राशि का श्रम उपकर नहीं लगाया गया। इस संबंध में भुवनेश्वर सर्किल ने कहा कि संबंधित अधिकारी को आगामी अनुमानों से नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।

राज्य	सर्किल/प्रभाग	टिप्पणियां
		✓ सर्किल में, कार्य पूर्ण होने के बावजूद, ₹1.14 करोड़ की राशि और विभिन्न पार्टियों को भुगतान किये गए अग्रिम को तीन से सात वर्षों की अवधि के लिए समयोजित नहीं किया गया था। सर्किल कार्यालय ने सूचित किया की मामले की समीक्षा की गई है और बकाया अग्रिम का समायोजन किया जाएगा। ✓ टिकट बिक्री की प्रप्तियां 250 दिनों तक की देरी के बाद सरकारी खाते में जमा की गई।
पश्चिम बंगाल	**कोलकाता सर्किल**	✓ टिकट बिक्री की प्रप्तियां 10 से 55 दिनों की देरी के बाद सरकारी खाते में जमा की गई।

अनुलग्नक-5.2

(पैरा 5.3 का संदर्भ लें)

प्रवेश शुल्क में संशोधन (₹ में)

	भारतीय नागरिकों, सार्क और बिम्सटेक देशों[2] के नागरिकों और भारत के विदेशी नागरिकों के लिए			अन्य विदेशी आगंतुकों के लिए		
	01.04.2016 से पहले	01.04.2016 के बाद	01.08.2018 से	01.04.2016 से पहले	01.04.2016 के बाद	01.08.2018 से
विश्व धरोहर स्थल	10	30	40	250	500	600
अन्य टिकट वाले स्मारक	5	15	25	100	200	300

<u>अगस्त 2018 से, निम्नलिखित प्रावधान जोडे गए</u>

1. लाल किले, दिल्ली में, भारतीय नागरिकों आदि पर शुल्क ₹50 प्रति व्यक्ति और नगद रहित भुगतान के लिए ₹35 प्रति व्यक्ति है।
2. ताज समूह के स्मारकों, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार पर भारतीय नागरिकों आदि पर नकद रहित शुल्क ₹35 प्रति व्यक्ति है।
3. ताज समूह के स्मारकों, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, लाल किला और कुतुब मीनार पर विदेशी आगंतुकों पर नकद सहित शुल्क ₹550 प्रति व्यक्ति है। अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक विदेशी आगंतुको के लिए अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया है (प्रति व्यक्ति ₹850 और नकद रहित भुगतान के लिए ₹800 प्रति व्यक्ति).
4. अन्य ₹200 प्रति व्यक्ति (आगंतुकों की सभी श्रेणियों के लिए) ताजमहल के मुख्य मकबरे में प्रवेश के लिए शुल्क- दिसंबर 2018 से।
5. अकबर के मकबरे, मरियम के मकबरे, इतिमद-उल-दौल के मकबरे, रामबाग और मेहताब बाग (सभी आगरा में), *जंतर मंतर, खान-ए-खाना, पुराना किला,* तुगलकाबाद किला, कोटला फिरोजशाह, सफदरजंग मकबरा (सभी दिल्ली में) पर भारतीय नागरिकों आदि पर नकद रहित भुगतान के लिए शुल्क ₹20 प्रति व्यक्ति।
6. अकबर के मकबरे, मरियम के मकबरे, इतिमद-उल दौल के मकबरे, रामबाग ओर मेहताब बाग (सभी आगरा में), *जंतर-मंतर, खान-ए-खाना, पुराना किला,* तुगलकाबाद किला, कोटला फिरोजशाह, सफदरजंग मकबरा (सभी दिल्ली में) पर

[2] सार्क देशों में शामिल है- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। बिम्स्टेक देशों में शामिल है- बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।

विदेशी आगंतुकों पर नकद रहित भुगतान के लिए शुल्क ₹250 प्रति व्यक्ति। अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक विदेशी आगंतुकों के लिए अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है- (₹400 प्रति व्यक्ति और नकद रहित भुगतान के लिए शुल्क ₹350 प्रति व्यक्ति)

1 अप्रैल 2016, के बाद, विश्व धरोहर स्थलों के लिए पेशेवर और अन्य एजेंसियों द्वारा फिल्म की शूटिंग हेतु प्रभार को ₹5000 प्रति दिन (सभी प्रकार के स्मारकों के लिए) से ₹1 लाख तक बढ़ाया गया और अन्य स्मारकों के लिए ₹50,000 प्रति दिन कर दिया गया।

अनुलग्नक 6.1

(पैरा 6.3.1 का संदर्भ लें)

अधिसूचना मानदंड के अभाव के कारण सीपीएम की सूची में विसंगतियां

राज्य	सर्किल	स्मारक विवरण	
ए.1 ऐसे उदाहरण जहां एक ही परिसर में स्थित एक से अधिक स्मारकों को अलग स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया।			
		परिसर	स्मारक
दिल्ली	दिल्ली	रोशानारा बाग परिसर	2
		कुदेसिया बाग परिसर	2
बिहार	पटना	बराबर और नागार्जुन पहाड़ियां	7
		कुरीसरीया	5
		प्राचीन संरचना, राजगीर, नालंदा	3
		मानेर,पटना	4
कर्नाटक	धारवाड़	मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर, बगलकोट	3
		कोटीगुड़ी, बगलकोट	2
ओडिशा	भुवनेश्वर	गंगाधरस्वामी मंदिर जगदीश्वरस्वामी मंदिर	2
उत्तराखंड	देहरादून	जागेश्वर मंदिर परिसर, अलमोड़ा	6
ए.2 ऐसे उदाहरण जहां एक परिसर के भीतर सभी संरचनाओं को एकल स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया था।			
		स्मारक	
दिल्ली	दिल्ली	लाल किला	
		कुतुब परिसर	
कर्नाटक	हंपी	बीदर किला	
बी. ऐसे उदाहरण जहां स्मारक के हिस्से को संरक्षित घोषित नहीं किया गया			
		संरक्षित स्मारकों का नाम	**संरक्षित क्षेत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया क्षेत्र**
दिल्ली	दिल्ली	शहांजहानाबाद शहर की दीवार, दरियागंज	सड़क के उस पार की दीवार का कुछ हिस्सा असंरक्षित

			छोड़ दिया गया था।
कर्नाटक	धारवाड़	चंद्रागिरी पहाड़ियों में बसदी, श्रवणबेलगोला असंरक्षित	14 बसदियों में से 11 को संरक्षित घोषित नहीं किया गया और उन्हें असुरक्षित छोड़ दिया गया।
टिप्पणियां:-पिछले प्रतिवेदन में, मंत्रालय ऐसे मामलों में अपनाए गए वर्गीकरण के लिए अपने उत्तर (उपरोक्त भाग बी) के समर्थन में कोई प्रलेखित कारण प्रदान करने में असमर्थ रहा।			
सी-ऐसे उदाहरण जहां कुछ कोस-मीनार राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किए गए थे। दिल्ली सर्किल में, एएसआई एक कोस-मीनार (दिल्ली चिडियाघर के अंदर) का संरक्षण कर रहा था, जबकि तीन का दिल्ली सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग (बदरपुर में स्थित) द्वारा संरक्षित किया गया था।			

नोटः जैसा कि पिछले प्रतिवेदन में बताया गया है।

अनुलग्नक-6.2

(पैरा 6.2 व 6.3.4 का संदर्भ लें)

केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में विसंगतियां।

राज्य	सर्किल	स्मारक	
ए. ऐसे मामले जहां एक ही स्मारक को दो बार अधिसूचित किया गया			
दिल्ली	दिल्ली	कुतुब परिसर के तहत अधिसूचित स्मारकों में लौह हिंदू स्तंभ भी शामिल था।	
		हौज शम्सी को शम्सी तलब के रूप में भी अधिसूचित किया गया।	
बी. स्मारक जहां अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई थी (जैसा कि पहले बताया गया था)			
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	पुसलापाइ मे प्राचीन स्थल, जिला प्राकासम	
केरल	त्रिसूर	शिव मंदिर, थिरुवंचिकुलम	
मध्य प्रदेश	भोपाल	कमलापती महत और आस-पास के क्षेत्र, भोपाल	
		चित्रित शैलाश्रय, दो बौद्ध स्तूप और अन्य अवशेष, सिहोर	
	जबलपुर	*लड़ाकी का टीला,* कटनी	
		देवी मंदिर सहित कंकालीदेवी मंदिर का स्थान और उसके पास का खंडहर मंदिर, कटनी	
त्रिपुरा	आइजॉल	प्राचीन टील जिसे श्याम सुंदर कहा जाता है	
		पूजाखोला, त्रिपुरा	
उत्तर प्रदेश	सारनाथ	लंबा टीला, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश	
		बड़ा आयताकार टीला, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश	
		खंडहरों का छोटा शंकाकार टीला जिसे देवी-का-स्थान कहा जाता है, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश	
		प्राचीन बौद्ध स्थल् जिसे चौखंडी स्तूप के नाम से जाना जाता है, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश	
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सेंट जोंस चर्च *सर्किल कार्यालय ने स्वीकार किया कि स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के संबंध में अंतिम अधिसूचना उसके पास उपलब्ध नहीं थी।*	
सी. केंद्र और राज्य दोनों द्वारा संरक्षित स्मारक।			
आंध्र प्रदेश	अमरावती	खंडहर में किला, धरनीकोटा	एएसआई और राज्य विभाग दोनों द्वारा अधिसूचित। पहले की रिपोर्ट में, एएसआई ने
		समालकोट में भीमेश्वर मंदिर, पूर्वी गोदावरी जिला।	

राज्य	सर्किल	स्मारक	
			कहा था कि राज्य विभाग से इन स्मारकों को राज्य सूची से हटाने का अनुरोध किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश	सारनाथ	एक छोटे हाथी पर खड़े एक विशाल सिहं का पत्थर समूह	राज्य पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश की संरक्षित सूची में भी शामिल है।
डी. स्मारकों के रूप में संरक्षित पुरावशेषों के उदाहरण			
असम	गुवाहाटी	सिबसागर तालाब के तट पर अहोम काल के आठ तोपे, सिबसागर	
		बादशाह शेरशाह की बंदूक, सदिया	
		मुगल नवारा की दो कुंडा बंदूकें, सदिया	
छत्तीसगढ़	रायपुर	गणेश प्रतिमाएं, बरसुर, दंतेवाड़ा	
कर्नाटक	धारवाड़	प्राचीर पर और ट्रॉफी में सभी पुरानी बंदूके, विजयपुरा	
महाराष्ट्र	मुंबई	महादेव पत्थर, शोलापुर	
		नक्काशीदार पत्थर, पालघर	
ओडिशा	भुवनेश्वर	तीन विशाल मातृकाएं, जाजपुर	
		तीन बुद्ध मूर्तियां, जाजपुर	
राजस्थान	जयपुर	लूटी हुई बंदुकें, भरतपुर	
		संगमरमर झूला, भरतपुर	
तमिलनाडु	चेन्नई	तोप, वैल्लोर	
उत्तर प्रदेश	झांसी	पांच आदमकद हाथी की मूर्तियां, महोबा	
	सारनाथ	एक छोटे हाथी पर खड़े एक विशाल सिहं का पत्थर समूह। यह अकबर के पुल पर पड़ा है।	
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	दलमदल बंदूक और वह मंच जिसमे इसे खड़ा करके रखा गया है।	
		जहां कोसा बंदूक, मुर्शिदाबाद	
	सर्किल का जवाब की एएमएएसआर अधिनियम, 1958 के पारित होने से पहले दो स्मारकों को संरक्षित किया रहा था, मान्य नही था क्योंकि एएसआई/सर्किल ने उनकी अधिसूचना रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।		

अनुलग्नक-6.3

(पैरा *6.3.5* का संदर्भ लें)

स्मारकों को एएसआई द्वारा गैर-अधिसूचित नहीं किया गया

राज्य	सर्किल	ए.एस.आई द्वारा रिपोर्ट किए गए स्मारक		
		अभी तक लापता **(24)**	शहरीकरण के कारण प्रभावित **(14)**	जलाशय के नीचे जलमग्न **(12)**
आंध्र प्रदेश	अमरावती		प्राचीन बौद्ध अवशेष और स्मारकों पर ब्राह्मी शिलालेख	नागार्जुनकोंडा की पहाडियां प्राचीन अवशेषों, मूर्तियों, नक्काशी, प्राचीन टीले पर छवियों के साथ, नागुआवरम
अरुनाचल प्रदेश	गुवाहाटी	तांबे के मंदिर के खंडहर, पाया, लोहित		
असम	गुवाहाटी	बादशाह शेरशाह की बंदूकें, सदिया		
दिल्ली	दिल्ली	बारह खंबा कब्रिस्तान, दिल्ली इंचला वाली गुमटी, मुबारकपुर कोटला	जोगाबाई के नाम के जाना जाने वाला टीलापूल चादर अलीपुर कब्रिस्तान **कैप्टन मैक बार्नेट और अन्य का मकबरा**, शिलालेख वाली घेराबंदी बैटरी स्थल शिलालेख वाली घेरबंदी बैटरी मेजर एडवर्ड काये, कुदेशिया मस्जिद बाग पर शिलालेख वाली घेराबंदी बैटरी (2)	
गुजरात	राजकोट		प्राचीन स्थल, सेजकपुर ऐतिहासिक स्थल संख्या 431-435 बडोदरा।	
हरियाणा	चंडीगढ़	*कोस मीनार,* मुजेसर, फरीदाबाद, *कोस मीनार,* शाहबाद, कुरुक्षेत्र		
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर			सीतला, नारदा, ब्रह्मा और राधा कृष्ण की शिला नक्काशी, कठुआ शेर की सवारी करती हुई देवी की चट्टान नक्कासी,

राज्य	सर्किल	ए.एस.आई द्वारा रिपोर्ट किए गए स्मारक		
		अभी तक लापता **(24)**	शहरीकरण के कारण प्रभावित **(14)**	जलाशय के नीचे जलमग्न **(12)**
				,कठुआ विश्वेशर एवं अन्य गुफा मंदिर, कठुआ
कर्नाटक	बैगलूरु		प्रागैतिहासिक, स्थल, चिक्कजाला प्रागैतिहासिक स्थल, हेज्जाला	**प्रागैतिहासिक स्थल, कित्तूर**
मध्य प्रदेश	जबलपुर	शिलालेख, सतना		
महाराष्ट्र	मुंबई	पुराना यूरोपीय मकबरा, पूणे, एक बुरुज, अगरकोट		
राजस्थान	जयपुर	किले, नगर, टोंक, 12 वीं सदी के मंदिर बारानी में शिलालेख		
उत्तराखंड	देहरादून	कुटुंबारी मंदिर, द्वारहाट, अल्मोड़ा		
उत्तर प्रदेश	सारनाथ, लखनऊ, झांसी	1000 ई. के तीन छोटे लिंग मंदिर क्षेत्र के खंडहर, आहुगी,मिर्जापुर, पहाडियां के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सिरे पर महापाषाण के साथ तीन स्थल, चंदौली टेबल पर कोषागार भवन पर टैबलेट, वाराणसी तैलीप वाला बौद्ध खंडहर, वाराणसी एक बरगद का बाग जिसमें प्राचीन इमारत के चिन्ह है, अमावे बलिया, बंद कब्रिस्तान, कटरा नाका, बांदा गनर बुर्किमल का मकबरा, मेहरोनी, ललितापुर तीन मकबरे, लखनऊ-फैजाबाद रोड मील 6 और 7 पर कब्रिस्तान जहरायला रोड़ लखनऊ गौघाट में कब्रिस्तान, लखनऊ	कब्रिस्तान (बस स्टैड) जालोन	

राज्य	सर्किल	ए.एस.आई द्वारा रिपोर्ट किए गए स्मारक		
		अभी तक लापता **(24)**	शहरीकरण के कारण प्रभावित **(14)**	जलाशय के नीचे जलमग्न **(12)**
		सांडी-खेड़ा नामक विशाल खंडहर स्थल, पाली शाहबाद, हरदोई		
पश्चिम बंगाल	कोलकाता रायगंज	किले के खंडहर, बामन पुरकुर, नदिया		एक टीला और सूर्य की मूर्ति, पारशनाथ एक जैन मूर्ति के साथ एक टीला, पारशनाथ एक पेड़ के नीचे महिषासुर का वध करने वाली दुर्गा की छवि, सरेनगढ़, बांकुरा मंदिर स्थल अब केवल एक टीले द्वारा प्रतिनिधित्व किया, सरेनगढ़, बांकुरा नन्दी की छवि के साथ एक टीला, सरेनगद,बांकुरा गणेश व नंदी की मूर्तियां के साथ एक टीला, सुरेनगढ़, बांकुरा

नोटः मोटे अक्षरों मे-संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान विद्यमान नहीं पाया गया

अनुलग्नक 7.1

(पैरा 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 और 7.3 का संदर्भ लें)

स्मारकों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणाम

	विवरण	राज्य	सर्किल	स्मारकों की संख्या		तस्वीरें एवं विवरण
				डब्ल्यू एचएस	*आदर्श और टिकट वाले*	
विश्व धरोहर स्थल, आदर्श और टिकट वाले स्मारक पर उपलब्ध है।	**सार्वजनिक सुविधाएं** (एक या ज्यादा) अर्थात पीने का पानी, शौचालय ब्लाक, दिव्यांगजनों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है।	दिल्ली	दिल्ली	--	4	तुगलाकाबाद किला, दिल्ली सर्किल में शौचालय ब्लाक पानी की आपूर्ति की समस्या के कारण काम नहीं कर रहा था। ए.एस.आई ने अक्तूबर 2021 में डी.डी.ए से जलापूर्ति के लिए मांग की थी।
		हरियाणा	चंडीगढ़	--	3	
		कर्नाटक	बैंग्लूरू, धारवाड़, हम्पी	--	4	
		मध्य प्रदेश	भोपाल, जबलपुर	2#	1	
		महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुंबई	--	2	
		ओडिशा	भुवनेश्वर	1	1	
		पश्चिम बंगाल	कोलकाता, रायगंज		4	
	पर्यटक सुविधाएं (एक या ज्यादा) अर्थात अमानती घर, वाई-फाई, पार्किंग, रास्ते, गाईड, दुभाषिया, आडियो गाईड सेवाएं, प्रचार सामग्री उपलब्ध नहीं है	दिल्ली	दिल्ली	3	6	सुल्तान गढ़ी में क्षतिग्रस्त क्यूआर कोड़ स्कैनर, दिल्ली सर्किल जिसे सबसें खराब टिकट वाला स्मारक घोषित किया गया।
		हरियाणा	चंडीगढ़	--	3	
		कर्नाटक	बैंगलौर, धारवाड़ हम्पी	2*	6	
		मध्य प्रदेश	भोपाल, जबलपुर	3	4	
		महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुंबई	3	3	
		उड़ीसा	भुवनेश्वर	1	1	
		पश्चिम बंगाल	कोलकाता, रायगंज		6	
सभी स्मारक	स्मारक परिचारक सांस्कृतिक और सुरक्षा संकेत, स्थल मानचित्र, सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा उपकरण (एक या अधिक पर उपलब्ध	दिल्ली	दिल्ली	16		स्मारक बीबी साहब की मस्जिद, भोपाल सर्कल को 1970-72 से बंद कर दिया गया
		हरियाणा	चंडीगढ़	2		
		कर्नाटक	बेंगलूरु, धारवाड़, हम्पी	5		
		मध्य प्रदेश	भोपाल, जबलपुर	22		
		महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुंबई	4		

	नहीं) स्मारक या उसका हिस्सा जनता के लिए बंद है	ओडिशा	भुवनेश्वर	18	था। सर्किल कार्यालय ने सूचित किया कि इस संबंध में जांच के बाद उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
		पश्चिम बंगाल	कोलाकाता, रायगंज	17	

नोटः रायगंज सर्किल मे कुछ स्मारक(पहले कोलकाता सर्किल के तहत) सिक्किम में स्थित है।

*=नौ स्मारकों का समूह, हंपी और एक पट्टाडकल में स्थित

#=खजुराहो में स्मारकों का समूह

अनुलग्नक 7.2

(पैरा 7.2.2 का संदर्भ लें)

स्मारकों पर अनुचित संरक्षण और अनधिकृत अतिक्रमण/निर्माण

<table>
<tr><th>सर्किल</th><th colspan="2">तस्वीरें और विवरण</th></tr>
<tr><td rowspan="4">दिल्ली</td><td colspan="2">25 स्मारकों में से (तीन लुप्त को छोड़कर), बड़ी दरारें (ii) प्लास्टर गिरने (15), रिसाव (3) और रासायनिक उपचार की आवश्यकता (5) के मामले देखे गए।</td></tr>
<tr><td>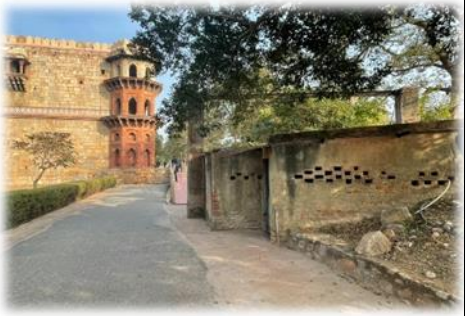</td><td> </td></tr>
<tr><td>स्मारक पर पंप रूम का निर्माण किया गया-पुराना किला</td><td>स्मारक में कमरे बनाने के लिए ढका हुआ गलियारा-सफदरजंग मकबरा</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>स्मारक पर बनाई गई झूठी छत-लाल किले पर रंग महल</td><td>लाल किले में औपनिवेशकीय काल के भवन में लिफ्ट का प्रावधान किया जा रहा था।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">औरंगाबाद, मुंबई</td><td colspan="2">27 स्मारकों में से, बडी दरारें(6), प्लास्टर गिरने (6), रिसाव (9) और रासयानिक उपचार की आवश्यकता (13) के मामले देखे गए</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>डोमिनिकन चर्च और कान्वेंट अगरकोट की जर्जर स्थिति</td><td>सिद्धेश्वर महादेव में आधुनिक टाइल फर्श, टोका</td></tr>
</table>

सर्किल	तस्वीरें और विवरण	
	अजंता पर महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा अनाधिकृत निर्माण	गृहनेश्वर मंदिर में अतिक्रमण
चंडीगढ़	10 स्मारकों में से. बड़ी दरारें (8), प्लास्टर गिरने (6) रिसाव (5) और रासायनिक उपचार की आवश्यकता (8) के मामले देखे गए।	
	स्मारक पर अवैध निर्माण-अला वरदी खान मस्जिद, गुरुग्राम, हरियाणा	
भोपाल जबलपुर	46 स्मारकों में से, बड़ी दरारें (12), प्लास्टर गिरने (10), रिसाव (11) और रासायनिक उपचार की आवश्यकता (31) के मामले देखे गए।	
	स्मारकों की बाहरी दीवार पर काले धब्बे, सास-बहू मंदिर, ग्वालियर किला	स्मारक पर बड़ी दरारें, तेली का मंदिर ग्वालियर किला
	स्मारक पर बिजली उपकरण और तस्वीरे शांतिनाथ मंदिर, खजुराहो	स्मारक में खुले में पड़े पुरावशेष, भोजशाला, धार

सर्किल	तस्वीरें और विवरण	
कोलकाता, रायगंज	26 स्मारकों (6 जलमग्न को छोड़कर), बड़ी दरारों (8), प्लास्टर गिरने (8) रिसाव (6) और रासायनिक उपचार (2) के मामले देखे गए।	
	स्मारकों की जर्जर स्थिति-तमलुक राजबटी और क्लाइव हाउस	
	स्मारकों के संरक्षित क्षेत्र में किए गए नए निर्माण-दुबडी मठ	पैच वर्क, मुद्रा भवन में किए गए मूल कार्य के सममित नहीं है।
बेंगलुरु, धारवाड़ हम्पी	45 स्मारकों मे से (एक लुप्त को छोडकर, बड़ी दरारें (16), प्लास्टर गिरने (13), रिसाव (16) और रासायनिक उपचार (30) के मामले देखे गए।	
	चार साल के रासायनिक संरक्षण के बाद दरिया दौलत बाग, मैसूरु में विकृत छत।	परित्यक्त चेन पुली प्रणाली, पुराना शिव मंदिर, हंपी
	आधुनिक ईंटों और सीमेंट की इस्तेमाल किया, चित्रदुर्गा	एएसआई कार्यालय के लिए बीदर किला, बीदर में किए गए परिवर्तन

सर्किल	तस्वीरें और विवरण	
	सरस्वती मंदिर और भूमिगत शिव मंदिर (हंपी सर्कल) के संबंध में, पिछली रिपोर्ट में बताए गए मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के संबंध में एएसआई द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, एएसआई ने 2015-2020 की अवधि के दौरान इन स्मारकों पर कोई संरक्षण व्यय नहीं किया।	
भुवनेश्वर	20 स्मारकों में से, रिसाव (17) और रासायनिक उपचार (20) के मामले देखे गए।	
	सूर्य मंदिर कोणार्क में अतिक्रमण पर अवैध निर्माण	
	स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में बना होटल, खांडगिरी गुफांए, भुवनेश्वर	बौद्ध स्थल पर जलवायु के संपर्क में पड़े रहे पुरावशेष रत्नागिरी

अनुलग्नक 7.3

(पैरा 7.2.3 का संदर्भ लें)

बगीचों का अनुचित प्रबंधन/स्मारकों पर वनस्पति की अधिक वृद्धि

सर्किल	तस्वीरें और विवरण	
दिल्ली		
	स्मारक पर नहीं उठाया जा रहा बगीचे का कचरा (1 साल से)	स्मारक पर अनियंत्रिक वनस्पति वृद्धि-नाई का कोट
औरंगाबाद, मुंबई		
	जंजीरा किला, मुरुड और डोमिनिकन चर्च अगरकोट में अत्यधिक वनस्पति	
कोलकाता, रायगंज		
	स्मारक पर अत्यधिक वनस्पति वृद्धि-बरकोना देउल और नीलकुंठी टीले	
बेंगलुरू, धारवाड, हंपी		
	दरिया दौलत बाग, मैसूर में घनी वनस्पति	किले के आस-पास घनी वनस्पति, गुलबर्ग

भुवनेश्वर		
	स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में बागवानी गोदाम-ब्रह्मेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर	त्रिलोचनेश्वर मंदिर में बिना रखरखाव के बगीचा, जाजपुर

अनुलग्नक 8.1

(पैरा 8.1 का संदर्भ लें)

राष्ट्रीय संग्रहालय में कलाकृतियों को सौंपना/लेना, सत्यापन और गुम होना।

अनुभाग	रिपोर्ट की गई कलाकृतियों की संख्या		टिप्पणियां (अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई स्थिति)
	बरदराजन समिति	*येचुरी समिति*	
नृविज्ञान	10,552	9,480	सूचित किया कि 9452 वस्तुओं में से 8952 को को सौंप दिया गया/अधिग्रहण कर लिया गया और शेष 501 लापता/पता नहीं था।
पुरातत्व	9,414	9,650	9655 वस्तुओं की सूचना दी, जिनमें से 9416 का भौतिक सत्यापन किया गया और 241 उधार दिए स्थानांतरित किया गया।
हथियार और कवच	6,457	6,722	रिपोर्ट की गई 6457 वस्तुओं को अक्टूबर 2018 में भौतिक रूप से सत्यापित किया गया।
मध्य एशियाई पुरावशेष	12,382	12,382	12382 वस्तुओं की रिपोर्ट की गई जिनमें से 125 प्रदर्शन पर थीं।
सजावटी कला	9,415	9,444	9,433 वस्तुओं की सूचना दी, जिनमें से 9358 भौतिक रूप से सत्यापित/अधिग्रहण किए गए (जून 2019) कुछ वस्तुओं जैसे- गोलकंडा रुमाल, बीदरी पंदन, गंजीफा कार्ड, धात्विक मोर, आइवरी का झंडा गायब बताया गया। 125 वस्तुए प्रदर्शन पर थी।
आभूषण	535	569	535 वस्तुओं की रिपोर्ट की गई।
पूर्व-इतिहास	5,437	5,437	क्यूरेटर ने केवल 1942 वस्तुओं (गैलरी मे 1296+35 और रिजर्व में 612) को अपने कब्जे में लेने की सूचना दी और शेष कलाकृतियों के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
पांडुलिपियां	14,160	14,143	14,143 वस्तुओं की सूचना दी। हालांकि येचुरी समिति रिपोर्ट के सापेक्ष में 8718 (पार्शियन और अरबी) और 5452 (संस्कृत) पांडुलिपियों में से केवल 7814 (पार्शियन और अरबी) और 1458 (संस्कृत) को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है(दिसंबर 2020)

मुद्राशास्त्रीय और पुरालेख	1,19,791	1,19,791	केवल 12744 वस्तुओं को भौतिक रुप से सत्यापित/हंस्तारित/अधिग्रहीत करने की सूचना दी।
पेंटिंग्स	16,135	16,323	क्यूरेटर ने बताया कि केवल 2959 पेंटिंग्स को सत्यापित किया गया है और उनका अधिग्रहण कर लिया गया है। अगस्त 2019 में शुरू की गई कलाकृतियों को भौतिक रूप से सौंपने की प्रक्रिया लंबित थी। (मार्च 2021)
पूर्व-कोलंबियन और पश्चिमी कला	2,435	2,909	केवल 1205 वस्तुओं (2011 में भौतिक रूप से सत्यापित) की रिपोर्ट की जिनमें से तीन गायब थी।
कुल	**2,06,713**	**2,06,985**	

अनुलग्नक 8.2

(पैरा 8.1 का संदर्भ लें)

विभिन्न संग्रहालायों मे कलाकृतियों का संरक्षण और प्रदर्शन स्थिति।

राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली

चित्र-1- कलाकृतियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए पार्क किए गए वाहन, चित्र-2- मूर्तियो के सामने फेंका हुआ कूड़ा, चित्र-3-मूर्तियों के साथ रखी निर्माण सामग्री, चित्र-4, 5- तहखाने और संग्रहालय के अन्य हिस्सों (पुरालेख गैलरी) में उपेक्षित पड़ी कलाकृतियां। चित्र 6,7- कला वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना कार्य किया जा रहा है।

<table>
<tr><td colspan="3">भारतीय संग्रहालय, कोलकाता</td></tr>
<tr><td> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>प्लास्टिक में लिपटी और एक के उपर एक रखी कलाकृतियों</td><td colspan="2">प्लास्टिक में निपटी और एक के उपर एक रखी कलाकृतियां।</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="3">दीवार/खम्भों के साथ जोड़ने के लिए कलाकृतियों पर प्रयुक्त सीमेंट और अन्य सामग्री।</td></tr>
<tr><td colspan="3">एशियाटिक सोसायटी</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>पांडुलिपि का मरम्मत की आवश्यक</td><td>नाजुक हालत में दुर्लभ किताब</td><td>लिथोप्लेट्स का ढेर</td></tr>
</table>

अनुलग्नक 8.3

(पैरा 8.1.3 का संदर्भ लें)

सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र

प्रत्येक वर्ष में सत्यापन प्राधिकारी के दिनांक और नाम के बिना विभिन्न संख्या में कला वस्तुओं के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र (उपलब्ध 46,216 के प्रति) और वही टंकण गलतियों के साथ

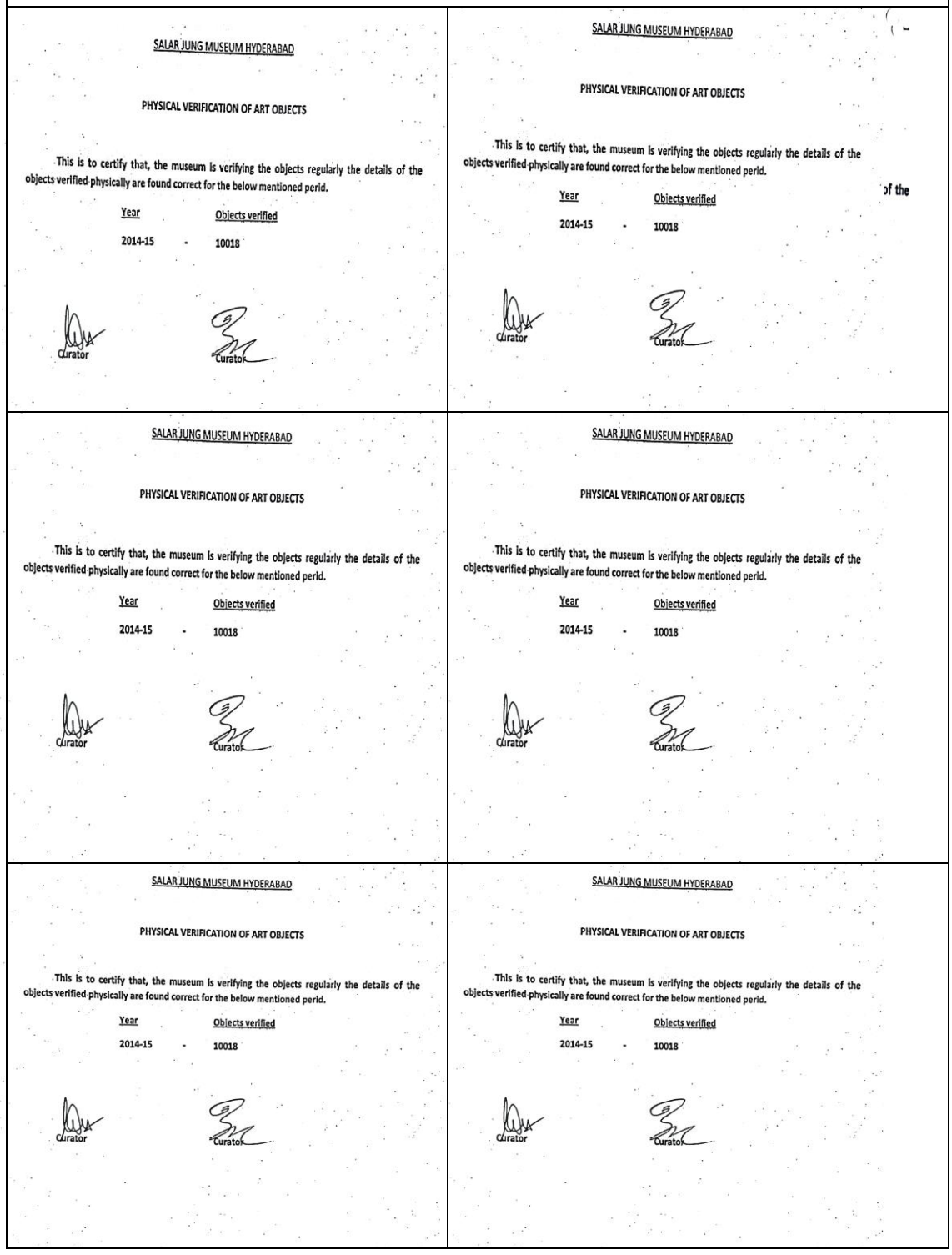

SALAR JUNG MUSEUM HYDERABAD

PHYSICAL VERIFICATION OF ART OBJECTS

This is to certify that, the museum is verifying the objects regularly the details of the objects verified physically are found correct for the below mentioned perid.

Year		Objects verified
2014-15	-	10018

Curator Curator

अनुलग्नक- 11.1

(अध्याय-11)

पीएसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
1	राष्ट्रीय संरक्षण नीति	नई नीति के तहत स्मारकों और संरक्षण गतिविधियों की अधिसूचना और अधिसूचना वापस लेने को तीन महीने के भीतर सुव्यवस्थित करने की नीति के तहत नियम अधिसूचित करें।	स्वीकृत	ऐस कोई दस्तावेज/नियम एएसआई (3.1) द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया। ना पता लगाने योग्य घोषित स्मारकों की अधिसूचना वापस लेना लंबित था। (6.3.5) नीति में शामिल महत्वपूर्ण अनुदेश का पालन नहीं हो रहा था (7.2.1)
2	अन्वेषण और उत्खनन नीति	पुरातत्व उत्खनन और अन्वेषण पर राष्ट्रीय नीति के तहत अंतिम अधिसूचना और कार्य योजना तैयार करने में तेजी लाना। अन्वेषण और उत्खनन में निधियों का पर्याप्त आवंटन और इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।	स्वीकृत	माननीय मंत्री द्वारा अनुमोदित उत्खनन और अन्वेषण नीति अधिसूचित नहीं की गई थी (3.1)। उत्खनन नीति पर आधारित कोई कार्य योजना नहीं थी तथा एएसआई की गतिविधि पर व्यय अभी भी उसके कुल व्यय के एक प्रतिशत से भी कम था। (9.2 तथा 5.1.1)
3	पुरावशेषों और कला खजाने का अधिग्रहण	पीएसी ने एएटी अधिनियम में संशोधन करने में देरी पर गंभीर चिंता और नाराजगी दर्शाई थी और 1997 में शुरू हुए मसौदे को अंतिम रूप देने में तेजी लाने को कहा था। इसने मंत्रालय से तीन महीने के भीतर उन पुरावशेषों की वसूली या खरीद के लिए आवश्यक कदमों का पता लगाने और सूचित करने को कहा, जो सांस्कृतिक मूल्य के हैं, लेकिन विदेशों में बेचे गए है।	स्वीकृत	कार्य अभी भी प्रक्रिया में था (3.1)। तथापि मंत्रालय ने कलाकृतियों की वसूली में प्रगति की थी (6.4)।

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
4	जीवंत स्मारकों का प्रबंधन	जीवंत स्मारकों के प्रबंधन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। प्राचीन स्मारकों, शिलालेखों के संरक्षण और सुरक्षा के प्रयासों में तेजी की आवश्यकता है।	स्वीकृत	एएसआई के पास इन स्मारकों का ब्यौरा नहीं था जहां अधिसूचना जारी होने के बाद प्रार्थना/पूजा शुरू की गई थी। यह मूर्त स्मारकों के प्रबंधन के साथ किए गए समझौता ज्ञापन का विवरण प्रदान करने में असमर्थ था। (7.1.3.1)
5	मंत्रालय के अधीन पुरातत्व संग्रहालयों के लिए एक समान प्रक्रिया	एएसआई (स्थल संग्रहालयों के माध्यम से) के स्वामित्व वाली पुरावशेषों के प्रबंधन के लिए व्यापक नीति दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया, जो लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों जैसे अधिग्रहण, परिग्रहण पंजी, आर्वतन आदि को दर्शाता है। सीपीएम एवं पुरावशेषों की भी राष्ट्रीय पंजी की तैयारी की जानी है।	स्वीकृत	एएसआई के स्वामित्व वाले पुरावशेषों से संबंधित सभी मुद्दों को दर्शाने वाला एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार नहीं किया गया था। आगे, मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संग्रहालयों के लिए कोई एकरूप क्रिया विधि नहीं थी। (3.1 एवं 6.4)
6	जन-शक्ति और पुनगर्ठन की कमी	जन-शक्ति की कमी को दूर करने के लिए एएसआई में संवर्ग पुनगर्ठन प्रक्रिया का मुद्दा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाना था।	पीएसी द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में आगे की सिफारिशें की गई है।	एएसआई के पुनर्गठन प्रक्रिया में कुछ प्रगति देखी गई क्योंकि अतिरिक्त 758 पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में अनुमोदन जारी किया गया था। हालांकि, एसएसआई में कुल रिक्ति की स्थिति और बिगड़ गई थी (4.2)।
7	वर्तमान रिक्तियां भरना	मंत्रालय को एएसआई में सभी रिक्त पदों को छह माह के भीतर भरने के लिए सम्मिलित प्रयास करना चाहिए।		
8	राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण	मंत्रालय परामर्श से अपने विभिन्न अभिकरणों और ईकाईयों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और समय सीमा की निगरानी तथा रिक्त पदों को	पीएसी ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में आगे की	31 संरक्षित स्मारकों को शामिल करते हुए केवल पांच विरासत उप-नियमों को अधिसूचित किया गया है, जबकि 165 विरासत उप-नियमों को अंतिम रूप देना विभिन्न स्तरों

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		भरने के लिए एक आंतरिक तंत्र विकसित करता है।	सिफारिशें की है।	पर था। पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्यों के पदों को अभी तक क्रमशः मार्च 2019 तथा जनवरी 2014 से रिक्त रखा गया है।(3.2)
9	सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था	जिला और पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण की घटनाओं की जांच के लिए एएसआई प्रत्येक सर्किल में संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय तंत्र का गठन करें। सुरक्षा के लिए जन-शक्ति को मजबूत करना, सभी स्मारकों और संग्रहालयों के लिए एक व्यापक सुरक्षा नीति विकसित करते हुए सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आईटी में प्रगति करना । सभी एएसआई स्मारकों और संग्रहालयों में सार्वजनिक सुविधाएं होगीं।	पीएसी द्वारा अपने दूसरे प्रतिवेदन में आगे सिफारिशें की गई है।	समन्वय तंत्र विद्यमान नहीं पाया गया (4.1.4.1) एएसआई ने वेब- आधारित उपयोगिता के लिए इसरो के साथ समझोता ज्ञापन दर्ज किया जो उपयोगकर्ताओं को इसरो द्वारा तैयार किए गए मानचित्र आधारित सामग्री का पता लगाने की अनुमति देता है। मंत्रालय ने अपने नियंत्रण वाले संग्रहालयों के लिए व्यापक सुरक्षा नीति भी लाई थी (7.3)। स्मारकों पर *आदर्श स्मारक* घोषित करते हुए जन सुविधाओं का सर्जन किया जा रहा था।(7.1.2)
10	प्रशिक्षण और कार्यान्वयन के विशेषज्ञ समूह का प्रतिवेदन	एएसआई को प्रशिक्षित कर्मियों की कमी को दूर करने हेतु नई एचआरडी नीति लागू करना चाहिए। लाल किले में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान।	स्वीकृत	मंत्रालय/एएसआई के पास अपनी विरासत गतिविधियों की ओर क्षमता निर्माण के लिए अवसंरचना थी। हालांकि, पदों को नहीं भरा गया और छात्रों का नामांकन कम था। यह उम्मीद थी कि नए पुरातत्व संस्थान की स्थापना से कमियों को दूर किया जाएगा (4.2.1)
11	बजटीय आवंटन	एएसआई की आवश्यकताओं के लिए वास्तविक प्रक्षेपण के आधार पर निधि की मांग उठाई जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए एएसआई पूर्व-बजट योजना तैयार करें।	स्वीकृत	2017-18 के बाद, एएसआई के समग्र खर्च और विरासत संरक्षण पर इसके खर्च में वृद्धि मध्यम रहा (5.1)
12	राजस्व सृजन	टिकट वाले और बिना टिकट वाले स्मारकों के	स्वीकृत	हालांकि एएसआई ने अधिक स्मारकों को टिकट वाले की

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		वर्गीकरण के लिए संरचित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और अधिक स्मारकों को टिकट वाली श्रेणी में लाने के लिए एक व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। टिकट तथा अन्य शुल्कों की समीक्षा की जानी चाहिए और उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। मंत्रालय/एएसआई उचित दिशा-निर्देशों के साथ सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध स्थलों को प्रीमियम किराये राजस्व सृजन में वृद्धि करने के लिए तलाश करेंगे।		श्रेणी में लाया और प्रवेश शुल्क में संशोधन किया था, अपनाए, गए मानदंड पारदर्शी नही था (5.3)। यदियपि, आगंतुकों की संख्या को अभिलेखित करने की प्रणाली शुरू करने के लिए एएमएएसआर अधिनियम में संशोधन अभी भी लंबित था (5.3.1)।
13	गैर-बजटीय वित्त पोषण	स्मारक स्थलों पर संरक्षण और आगंतुक सुविधाओं के वित्त पोषण में अधिक कॉर्पोरेट समूहों और व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एएसआई और एनसीएफ के बीच समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए।	स्वीकृत	एनसीएफ की विधियों का उपयोग विरासत गतिविधियों के लिए नहीं किया जा रहा था, क्योंकि इसकी ₹19.50 करोड़ की प्राथमिक राशि 2020-21 तक बढ़कर ₹56.71 करोड़ हो गई। (5.1.2)
14	पहचान मानदंड और सर्वेक्षण	पीएसी ने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की पहचान करने के लिए ऐसे स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित श्रेणी में रखने हेतु एक व्यापक सर्वेक्षण अतिदेय है। इसने सिफारिश की कि स्मारक के राष्ट्रीय महत्व के निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों को जल्द से जल्द (छः महीने के भीतर अंतिम रूप दिया जाए तथा उसके बाद	स्वीकृत	दिशा-निर्देश तैयार नही किए गए है और एक निश्चित स्मारक को अधिसूचित करने मे मानदंड की अनुपस्थिति को परिभाषित करने वाले उदाहरण अभी भी मौजूद थे। (6.3.1) एएसआई द्वारा व्यापक सर्वेक्षण/समीक्षा जिसके राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की पहचान की जा सके जिनका संरक्षण किया जा सके या उन स्मारकों की पहचान जिनका समय के साथ महत्व गुम हो चुका था और राज्यों को देने की जरूरत

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जिन्हे संरक्षित किया जा सकता है, की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए लक्ष्य समयरेखा के साथ एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।		थी, द्वारा नहीं किया गया था। (6.3.2)
15	अधिसूचना मुद्दे	एएसआई अधिसूचना के प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए मंडल कार्यालय कर्मियों के लिए कार्यशाला आयोजित करेगा। अधिसूचना वापस लेने के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने मे तेजी लाई जा सकती है। एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनके अधीन आने वाले स्मारकों की सूची तैयार करने मे चूक करने वाले मंडलो और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।	मंत्रालय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, पीएसी ने निर्णय लिया कि आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।	केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची की समीक्षा संशोधन के लिए एएसआई की कोई परिभाषित प्रक्रिया/अनुसूची नही थी (6.3.3)।
16	गुम स्मारक	एएसआई अधिसूचित स्मारकों के भौतिक सत्यापन, स्थिति और अस्तित्व के संबंध में तेजी लाएं। समिति ने महसूस किया कि स्मारकों के विश्वसनीय डाटाबेस के अभाव में एएसआई अपने मूल अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ था।	स्वीकृत	जनता को प्रदर्शित करने वाले सीपीएम के केन्द्रीकृत डेटाबेस/सूची में सभी अनुशंसित जानकारी उपलब्ध नहीं थी (6.2)। एएसआई ने स्वीकार किए की न पता लगाने वाले स्मारकों को गैर अधिसूचित नही किया गया था (6.3.5)।
17	अधिसूचना की प्रक्रिया	एएसआई/मंत्रालय ने पुरानी अधिसूचनाओं की आवधिक समीक्षा के भौतिक अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की। एएसआई/मंत्रालय ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने पर	स्वीकृत	पुरानी अधिसूचना की अवधि समीक्षा की प्रणाली विद्यमान नही थी (6.3.3)। आगे, 100 वर्ष पुराने स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने वाले ऐसे कोई दिशा-निर्देश अस्तित्व में नहीं पाए गए।

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		विचार कर सकता है जिससे प्राचीन स्मारक (1700 एडी का) और समकालीन स्मारक जो 100 वर्ष पुराने है और राष्ट्रीय महत्व के हैं, स्वतः संरक्षित हो सके।		
18	स्मारकों का वर्गीकरण	स्मारकों के वर्गीकरण की अवधारणा ऐसे किसी प्रावधान जो स्मारक पर दर्शकों की संख्या का आंकलन कर सके, के अभाव में बनाई गई। समिति ने स्मारकों के वर्गीकरण के संबंध में कमियों को दूर करने के लिए एएमएएसआर अधिनियम में आवश्यक संशोधनों करने के लिए कहा और गैर-टिकट वाले स्मारकों में दर्शकों की संख्या अभिलेखित करने की एक प्रणाली स्थापित की।	स्वीकृत	स्मारकों के वर्गीकरण का कार्य अभी भी प्रक्रियाधीन था (6.2.1)। दर्शकों की संख्या अभिलेखित करने और स्मारकों के वर्गीकरण की एक प्रणाली शुरू करने के लिए एएमएएसआर अधिनियम में संशोधन लंबित था (3.1)।
19	अतिक्रमण और अनाधिकृत गतिविधियां	समिति ने सिफारिश की कि एएसआई/मंत्रालय के संरक्षित स्मारकों के उपयोग पर स्पष्ट दिशानिर्देश विकसित करने पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त दिशा निर्देशों के आधार पर उपयोगकर्ताओं/रहने वालों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हो। एएसआई के पास विवादित स्वामित्व या अतिक्रमण वाली स्थलों की अधिसूचना के लिए एक निर्धारित नीति होनी चाहिए और जिला और	स्वीकृत	जीवंत स्मारकों के प्रबंधन के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के प्रयास नही पाए गए। एएसआई द्वारा बताए गए अतिक्रमित स्मारकों की स्थिति गलत पाई गई। अतिक्रमण/अनाधिक्रमण निर्माण मामलों की अवधि समीक्षा के लिए तंत्र का अभाव था। इसके अलावा, जीवंत स्मारकों पर दिशानिर्देश या नीति दस्तावेज एएसआई द्वारा तैयार नही किए गए (7.1.3.1)।

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		पुलिस अधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण की घटनाओं की जांच के लिए प्रत्येक सर्किल से संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय निकाय का गठन करना चाहिए।		
20	अन्य उद्देश्यों के लिए स्मारकों का उपयोग	स्मारकों के कुछ हिस्सों का निवास के लिए उपयोग बंद कर दिया जाना चाहिए और एएसआई या अन्य अभिकरण द्वारा कार्यालयों के रूप में उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मंत्रालय सीपीएम में सांस्कृति गतिविधियों को अनुमति देने वाले दिशानिर्देशों में तेजी लाएं तथा अंतिम रूप दें।	स्वीकृत	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्मारक अभी भी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है (उदाहरणार्थ लाल किले में एएसआई और सुरक्षा अभिकरणों के विभिन्न कार्यालयों के लिए जगह को कब्जा कर लिया गया)। (7.1.1)
21	केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची	सभी सीपीएम की एक सूची तैयार करें और जनता के लिए विभिन्न जानकारी जैसे श्रेणी, सर्कल और राज्य, स्थान और निकटतम शहर से दूरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, अतिक्रमण विवरणों इत्यादि प्राप्त करने के लिए दो साल के भीतर पोर्टल पर इसे प्रदर्शित करें।	स्वीकृत	एएसआई ने सूचित किया कि 3,150 स्मारकों के लिए राजपत्र अधिसूचना के संबंध में डेटा संकलित किया गया। हालांकि, जनता को प्रदर्शित करने वाला सीपीएम का डेटाबेस/सूची सभी अनुशंसित जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं थी (6.2)
22	समुद्री पुरातत्व	समिति ने विशेष रूप से इस दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक विशेषता के साथ एएसआई के एक पृथक विंग की सिफारिश की। समुद्री संग्रहालयों, जिससे महान समुद्री अतीत की कलाकृतियां और स्मारकों के प्रदर्शन हेतु स्थापित	स्वीकृत	संबंधित शाखा में, जनशक्ति की कमी के अतिरिक्त, पानी के नीचे पुरातत्व लेने के लिए एएसआई के पास कोई परिप्रेक्ष्य योजना या नीति नहीं थी (9.1.2)। इसके अलावा, मंत्रालय/एएसआई द्वारा खोला गया ऐसा कोई समुद्री संग्रहालय नही पाया गया। (8.3.2)

संख्या	मुद्दा	2015-16 की 39 प्रतिवेदन में पीएसी की अभियुक्तियां और सिफारिशें	मंत्रालय/पीएसी की प्रतिक्रिया	अभ्युक्ति (कोष्ठक में पैराग्राफ संख्या) *मंत्रालय/एएसआई से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2022) संबंधित पैराग्राफ में शामिल है.*
		करना।		
23	परिवर्धन और संवर्धन के लिए आईटी का लाभ उठाना	खराब होने वाले स्मारकों और पुरावशेषों के परिवर्धन में आईटी के फायदे का पुरी तरह से लाभ उठाने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। इलैक्ट्रॉनिक डाटा और छवियों का उपयोग करके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों के परिवर्धन के लिए एक रोडमैप विकसित करे। जागरूपकता, व्याख्या आदि के लिए विशेष रूप से निधियां निर्धारित करें।	स्वीकृत	एएसआई ने अपने स्मारकों पर वेब आधारित सामग्री के लिए इसरो के साथ समझौता किया (7.3)। हालांकि, विरासत संरक्षण के लिए कार्यनीति या रोड-मैप का अभाव था (4.1.2)।
24	*बाओलियां* और अन्य स्मारकों का रखरखाव	समिति ने एएसआई को इस क्षेत्र में सक्रिय कुछ अग्रणी निजी संगठनो के सहयोग से स्मारकों को पुनः स्थापित करने के कार्य में अपने प्रयासों को मजबूत करने की सिफारिश की।	स्वीकृत	अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, दिल्ली सर्किल के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पंद्रह *बाओलियों* की स्थिति खराब पाई गई क्योंकि 13 गीली *बाओलियों* मे से 10 गंदी हो चूकी थी। आगे, *अग्रसेन की बाओली* के संबंध में, जैसा कि पहले की प्रतिवेदन में उल्लिखित किया गया है, समाधान नही किया गया है। (7.1.3.2)
25	क्षतिग्रस्त स्मारकों का पुनः स्थापन	समिति ने क्षतिग्रस्त स्मारकों के पुनः स्थापन कार्य एवं हटाए गए हिस्सों को प्रदर्शन के लिए परिरक्षण करने के संबंध में जारी किया।	स्वीकृत	हालांकि स्मारक का संरक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, भौतिक निरीक्षण के दौरान पाये गए अनुचित संरक्षण कार्यो/मूल संरचनाओं में किए गए परिवर्तन, स्मारक के निषिद्ध क्षेत्रों में निर्माण आदि को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

शब्दकोष

'पुरावशेष' में को भी सिक्का, मूर्तिकला, चित्रकला, शिलालेख या शिल्प कौशल की कला का अन्य कार्य शामिल है; कोई वस्तु, किसी इमारत या गुफा से अलग की गई वस्तु या चीज जो ऐतिहासिक हित की हो, या केन्द्र सरकार द्वारा एक पुरातत्व घोषित की गई हो, जो कम से कम सौ वर्षों से अस्तित्व में हो।
'ताम्रपाषाण' अर्थात चाल्को+लिथिक का अर्थ है तांबा+पत्थर। यह उस संस्कृति या अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जब तांबे के औजारों के साथ-साथ पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था।
'संरक्षण' का अर्थ उन प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से स्मारक की सामग्री, बनावट और अखंडता को इसके पुरातात्विक और स्थापत्य मूल्य, इसके ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक या अमूर्त संघों के संदर्भ में सुरक्षित रखा जाता है।
'कोस-मीनार' मध्यकालीन अवसंरचना (खंभे) है जिनका निर्माण राजमार्गों पर यात्रा और संचार के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में किया गया है।
'जीवंत स्मारक' का अर्थ है स्मारक जो अभी भी उस उद्देश्य के लिए उपयोग में था जिसके लिए उन्हें स्मारक की अधिसूचना के समय मूल रूप से डिजाइन किया गया।
'स्मारक' में कोई भी संरचना, निर्माण या स्मारक, या कोई टुमुलस या नजरबंदी का स्थान, या कोई गुफा, चट्टान, मूर्तिकला, शिलालेख या एकाश्म शामिल हैं: जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रूचि का था और जो कम से कम एक सौ सालों से अस्तित्व में था और शामिल हैं- (i) प्राचीन स्मारक के अवशेष (ii) एक प्राचीन स्मारक का स्थल (iii) किसी प्राचीन स्मारक के स्थल से सटे भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे स्मारक को बाड़ लगाने या ढ़कने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए आवश्यक हो, और (iv) एक प्राचीन स्मारक के सुविधाजनक निरीक्षण तक पहुँच के साधन
'परिरक्षण' का अर्थ है किसी स्मारक की यथास्थिति को बनाए रखना जिसमें उसकी स्थापना शामिल है जिसमें या तो जानबूझकर मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से या उसके कपड़ा या उसके तत्काल पर्यावरण के, क्षय के प्राकृतिक एजेंटो की कार्रवाई के कारण, परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
'निषिद्ध क्षेत्र' का अर्थ है राष्ट्रीय महत्व के घोषित संरक्षित स्मारकों का क्षेत्र और सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला हुआ।
'संरक्षित क्षेत्र' का अर्थ किसी भी प्राचीन स्मारक से है जिसे अधिनियम द्वारा या

उसके तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है।
'विनियमित क्षेत्र' का अर्थ है प्रत्येक प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संबंध में क्षेत्र और राष्ट्रीय महत्व के घोषित अवशेष और सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैले हुए। इस दूरी को और बढ़ाया जा सकता है।
'जीर्णोद्धार' का अर्थ है स्मारक या उसके किसी भागो को यथासम्भव पूर्व ज्ञात अवस्था या स्थिति में वापस लाना।
'मूर्तिकला शेड एक ऐसा स्थान है जहां एक शालिका के भीतर स्थल के पुरातात्विक अवशेष और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है।
'समुदाय की सामाजिक पूंजी' एक विशेष समाज में रहने और काम करने वाले लोगों के बीच संबंधों का तंत्र है जो उस समाज को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है।
'वक्फ बोर्ड' एक ऐसी संस्था है जो कुछ चल, अचल इस्लामी संपत्तियों को संभालती है।

शब्द-संक्षेप की सूची

एए	सहायक पुरातत्वविद्
एएटी	पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम
एएचएमएएसआर	प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम
एएमएएसआर	प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम
एएमपी	प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम
एएसए	सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद्
एससआई	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
एटीएन	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
बीसीई	पूर्व सामान्य युग
सीएबीए	केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड
सीएसी	केंद्रीय पुरावशेष संग्रह
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीसीटीवी	क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन
सीई	सामान्य युग
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीपीएम	केंद्रीय संरक्षित स्मारक
सीपीडब्ल्यूडी	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
डीडीए	दिल्ली विकास प्राधिकरण
डीआरसी	प्रलेखन संसाधन केन्द्र
जीवीओ	वैश्विक *वैश्य* संगठन
एचबीएल	विरासत उपनियम
आईएम	भारतीय संग्रहालय
एमसीडी	दिल्ली नगर निगम
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमटीएस	बहु कार्य कर्मचारी
एनबीसीसी	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम
एनसीएफ	राष्ट्रीय संस्कृति कोष
एन एम	राष्ट्रीय संग्रहालय
एनएमए	राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण
एनएमएचसी	राष्ट्रयी समुद्री विरासत परिसर
एनएमएमए	राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन
एनपीसी-एएमएएसआर	राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल एवं अवशेष संरक्षण नीति
एनपीसीसी	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम
पीएसी	लोक लेखा समिति

आरएफआईडी	आकाशवाणी आवृत्ति पहचान
एसडीएमडी	दक्षिण दिल्ली नगर निगम
एसएलआईसी	राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति
एसएससी	कर्मचारी चयन आयोग
टीसीआईएल	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड
यूपीएससी	संघ लोक सेवा आयोग
यूएनईएससीओ	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
वीएंडए	विक्टोरिया और अल्बर्ट
डब्ल्यूएपीसीओएस	जल एवं बिजली परामर्श सेवाएं
डब्ल्यूएचएस	विश्व विरासत स्थल

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in